

HARYANA VIDHAN SABHA COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS

(2022-2023)

(18TH REPORT)

ON

ANNUAL TECHNICAL INSPECTION REPORT ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIs) & URBAN LOCAL BODIES (ULBs) FOR

THE YEAR 2011-12 TO 2018-19

AUDITED BY THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) HARYANA

AND

ANNUAL AUDIT REPORT OF THE LOCAL AUDIT DEPARTMENT HARYANA ON THE ACCOUNTS OF URBAN LOCAL BODIES (ULBs) & PANCHAYATI RAJINSTITUTIONS (PRIs)

FOR THE YEAR 2015-16

AUDITED BY THE DIRECTOR, LOCAL AUDIT
DEPARTMENT, HARYANA

(Presented to the House on 21st March, 2023) HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT CHANDIGARH, 2023

	TABLE OF CONTENTS				
		Paragraphs	Page(s)		
Con	nposition of the Committee on Local Bodies and Panch itutions	ayatı Raj	(111)		
	Introduction	-	(v)		
lmp and	ortance, Working & Functions of the Committee on Loc Panchayati Raj Institutions	al Bodies	(VII)		
	Report		1		
Sr No	Name of the Department (i) Urban Local Bodies (ii) Development & Panchayats	Paragraphs			
	(Part-I)				
1	Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2011 12 2012-13 2013 14 2014 15 2015-16 & 2016-17 audited by the Principal Accountant General (Audit) Haryana Urban Local Bodies Department Haryana	17	3-14		
	(Part-II)				
2	Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2017-18 & 2018-19 audited by the Principal Accountant General (Audit) Haryana Urban Local Bodies Department Haryana	8-38	15 56		
	(Part III)	-			
3	Annual Audit Report of the Local Audit Department Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2015 2016 (Part-II (A) Gram Panchayats audited by the Director Local Audit Department Haryana	39-48	57-206		
	(Part IV)				
4	Annual Audit Report of the Local Audit Department Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2015 2016 (Part-II (B) Panchayat Samiti) and (Part-II (C) Zila Parishad audited by the Director Local Audit Department Haryana	49 53	207-233		
Арр	endix — Pending paragraph Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions Urban Local Bodies Department & Development & Panchayats Department Haryana		234 238		

P

COMPOSITION OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS

(2022-2023)

Chairpersoi	า
-------------	---

1 Shri Narender Gupta M L A

Members

- 2 Shri Ghanshyam Saraf M L A
- 3 Shri Bishan Lai Saini M L A
- 4 Smt Seema Trikha M L A
- 5 Shri Bishamber Singh M L A
- 6 Shri Neeraj Sharma M L A
- 7 Shri Surender Panwar M L A
- 8 Shri Rakesh Daultabad M L A
- 9 Shri Dura Ram M L A

Special Invitee

- 1 Shri Mamman Khan M L A
- 2 Shri Jagdish Nayar M L A

Secretariat

- 1 Shri Rajender Kumar Nandal Secretary
- 2 Shri Jagtar Singh Under Secretary
- Tr Raghuvir Singh Kadian M L A has resigned from the Membership of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions on 04th May 2022 and his resignation has been accepted by the Honble Speaker wef 05th May 2022 vide Notification No HVS/LB/PRIC-1/2022-2023/48 dated 05th May 2022
- ** Shri Dura Ram M L A were nominated as Member and Shri Mamman Khan M L A as Special Invitee of the Committee w e f 11th May 2022 for the remaining period of the year 2022-23 vide Notification No HVS/LB/PRIC-1/2022 2023/56 dated 11th May 2022
- Shri Jagdish Nayar M L A was nominated as Special Invitee of the Committee w e f 28th September 2022 for the remaining period of the year 2022-23 vide Notification No HVS/LB&PRIC 1/2022-2023/81 dated 29th September 2022

1

Ä

INTRODUCTION

- I Narender Gupta Chairperson of the Committee on Local Bodies and Panchayati Raj Institutions having been authorized by the Committee to present this 18th Report on the account of Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2011 12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016 17 & Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2017-18 & 2018 19 audited by the Principal Accountant General (Audit) Haryana Urban Local Bodies Department Haryana and Annual Audit Report of the Local Audit Department Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2015 2016 (Part-II (A) Gram Panchayats) (Part II (B) Panchayati Samiti) and (Part II (C) Zila Parishad audited by the Director Local Audit Department Haryana
- The Committee examined/scrutinized of the Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2011-12 2012-13 2013-14 2014 15 2015 16 2016 17 & Annual Technical Inspection Report (ATIR) on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2017-18 & 2018 19 audited by the Principal Accountant General (Audit) Haryana Urban Local Bodies Department Haryana and Annual Audit Report of the Local Audit Department Haryana on the Accounts of Urban Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2015 2016 (Part II (A) Gram Panchayats) (Part-II (B) Panchayat Samiti) and (Part-II (C) Zila Parishad audited by the Director Local Audit Department Haryanaas per details given in the Report and its annotated reply submitted by the concerned department. The Committee has gone into the details of the matter and has tried its level best to make its observations/recommendations strictly as per the information/record produced before the Committee by the concerned quarters and as per law
- The Committee considered and approved this Report in its meeting held on 10th March, 2023
- A brief record of the proceedings of the meetings of the Committee has been kept in the Haryana Vidhan Sabha Secretariat
- I as Chairperson of the Committee place on record the appreciation for all the Members of the Committee for their cooperation and valuable suggestions for the consideration of Annual Technical Inspection Reports & Annual Audit Reports

- The Committee places on record its appreciation for the assistance rendered to it by the Principal Accountant General (Audit) Haryana and Director Local Audit Department Haryana and her/his officers The Committee would like to express its thanks to the Principal Secretary to Government Haryana Local Bodies Department and the Additional Chief Secretary to Government Haryana Development & Panchayats Department and other Officers/officials of both the departments who appeared for oral evidence before the Committee for their cooperation and information given by them
- 7 The Committee is also thankful to the Officer/officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat for their whole hearted co operation and assistance given by them to the Committee

CHANDIGARH THE 10TH MARCH, 2023 --sd--NARENDER GUPTA CHAIRPERSON

IMPORTANCE, WORKING AND FUNCTIONS OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS

INTRODUCTION

The Local Bodies & Panchayati Raj Institutions Committee consists of nine MLAs from the different political parties. The Chairperson of the Committee is appointed by the Honble Speaker from amongst the Members of the Committee. The term of the office of Members of the Committee is for one year. In the meeting of the Committee in absence of the Chairperson any one member of the Committee is chosen to preside over the meeting and Quorum for holding the meeting of the Committee is of three members.

IMPORTANCE

X

The importance of the Local Bodies & Panchayati Raj Institutions Committee to see that a large sum of money that has been spent on Local Bodies or the Panchayati Raj institutions is spent for the welfare of the people and also to watch and supervise that whether the affairs of the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions are being managed in accordance with the provisions of law

WORKING

The Committee on Local bodies and Panchayati Raj Institutions has been constituted for the examination of the Audit Reports and Accounts of Local Bodies which include Notified Area Committees Municipal Committees Improvement Trusts and Municipal Corporations and Panchayati Raj Institutions which include Panchayat Samities and Zila Parishads. The Committee is assisted by representatives of the Local Audit Department Haryana at the time of oral examination of the departmental representatives.

FUNCTIONS

The functions of the Committee on Local Bodies & Panchayati Raj Institutions Committee are laid down in Rule 273 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislature Assembly which are reproduced below

- (a) to examine the audit reports and accounts of the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions as may be selected by the Committee
- (b) to examine the reports if any of the Examiner Local Fund Accounts laid on the Table of the House
- (c) to examine in the context of autonomy whether affairs of the Local Bodies or the Panchayati Raj Institutions are being managed in accordance with the provisions of law and
- (d) to examine any other aspect of the working of any Local Body or the Panchayati Raj Institution as may be referred to it by the Speaker

The Committee goes through the various paragraphs relating to embezzlements misappropriations and defalcations etc and give its observations/ recommendations on various issues After examining the replies the Committee prepares its report and presents it to the House during the Assembly Sessions of Haryana Vidhan Sabha

REPORT

GENERAL

The Committee on the Local Bodies & Panchayati Raj Institutions for the year 2022 2023 consisting of Nine Members under the Chairmanship of Shri Narender Gupta was nominated by the Honble Speaker on 20th April 2022 vide Notification No LB&PRIC 1/2022-2023/28 dated 20th April 2022

The Committee held total 34 meetings during the year 2022-2023 till the finalization of the Report

Part-I

Σ

Ì

Ž

17TH REPORT OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND
PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS OF HARYANA VIDHAN SABHA
FOR THE YEAR 2021-22, ANNUAL TECHNICAL INSPECTION
REPORT ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS &
URBAN LOCAL BODIES FOR THE YEAR 2011-12 TO 2016-17
AUDITED BY THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)
HARYANA, URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT, HARYANA

17TH REPORT OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS OF HARYANA VIDHAN SABHA FOR THE YEAR 2021-22, ANNUAL TECHNICAL INSPECTION REPORT ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS & URBAN LOCAL BODIES FOR THE YEAR 2011-12 TO 2016-17 AUDITED BY THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) HARYANA, URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT, HARYANA

[1] Para No 4 1 1 (2011 13) Non-realization of rent Rs 42 11 Lakhs

Any amount which is due to Municipalities and remains outstanding the Executive Officer/Secretary may serve the notice of demand upon concerned persons. Any sum due for recovery shall without prejudice to other mode of collection, be recovered as arrear of land revenue as provided under section 98 of Haryana Municipal Act. 1973.

During audit it was noticed that an amount Rs 42 11* lakhs were pending on account of rent from shopkeepers pertaining to the period from April 2010 to March 2012 as on July 2013 in Municipal Council Jind and Municipal Corporations Karnal and Yamunanagar The municipalities stated (July 2013) that efforts were being made to recover the balance amounts by issuing notices to the shopkeepers

The Committee has desired that para at Sr No 4 (in respect of MC Jind) be kept pending as sincere efforts be made to recover the outstanding amount in account of rent of shops within a specific time frame

The Department in its written reply stated as under -

Sr No	Amount to be recovered	Amount recovered	Balance	Remarks
1	17 79 875 (38 Shops)	16 56 510 (35 Shops)	1 23 365 (3 Shops)	A sum of Rs 17 79 875/- was pending as on 31 03 2012 against about 38 shopkeepers Out of these total Rent have been recovered from 35 shopkeepers & notices have been issued to rest of these three shopkeepers/tenants
2	9 50 421 (1 Shop)	0 00	9 50 421	An amount of Rs 9 50 421/- was due towards Shri Ranbir S/o Shri Bharat Singh and Honble Court decided to the effect that recovery of Rs 9 50 421/- be made by attaching the property of the defaulting shopkeeper But no land or Building was on his name As such this amount is not recoverable
3	69 468 (2 shops)	0 00	69 468	Recovery of Rs 69468/- against 02 shopkeepers is under consideration with the Honble

				Court
4	2 91 705 (29 Shop)	0 00	2 91 705	Recovery of an amount of Rs 2 91 705/ was due towards 29 shopkeepers who have left the shops vacant & ran away No address is available where they are residing These 29 shops were reallotted by way of open auction As such this amount is not recoverable
Total	12,42,126	16,56,510	1434959	

The Committee has desired that para Sr No 1, 2 3 & 4 be kept pending and sincere efforts be made to recover the outstanding amount on account of rent of shops within a specific time frame

[2] Para 4 9 Encroachment of land (2011-13)

The land under the ownership of MCs should be free from all encroachments In case of any encroachment or unauthorized occupation by any person/bodies the committee should take timely action for getting the same freed from encroachment under Section 408-A of Haryana Municipal Corporation Act 1994 and Section 181 of Haryana Municipal Act 1973 Scrutiny of records of two ULBs showed that 97 15 Acre of land costing Rs 106 82 crore was under encroachment as of March 2012 as per details given in Table 15

Name of ULB	Land under encroachment (In acres)	Value of land (Rs In crores)	
Municipal Corporation Gurgaon	77 55	101 16	
Municipal Committee Rania	19 50	5 66	
Total	97 15	106 82	

On this being pointed out by Audit the MC Gurugram stated October 2012) that suitable action regarding vacation of land from encroachment has been initiated against encroachers MC Rania stated (November 2013) that the land had been under encroachment before the constitution of the MC The fact however remains that the municipalities failed in getting the land free from encroachment

The Committee has desired that the para be kept pending as the court proceeding with regard to release of 14 acre from encroachment is still going on and efforts are being made by the department for release of 28 64 acre of land

The Department in its written reply stated as under

Gurugram	1	The total land measuring 77 65 acres is under encroachment and out of which land measuring 13 39 acres has been got free from encroachment
	2	21-52 acres gair maurusi land has been acquired by HSVP & HSIIDC

	 Court Case in pending on 14 10 Acre of Land Action is being taken for removal of encroachment on 28 64 acres land
Ranıa	Residential houses have been built up since the time of Panchayat and before the constitution of Municipal Committee Rania MC has got done the demarcation of the said land. Notices to encroachers have been issued.

The Committee has desired that the latest status be submitted to the Committee at the earliest possible

[3] Para No 4 2 2 4 Loss of revenue due to inaction (2015-16)

Provision contained in the Chapter XVIII of the Haryana Municipal Corporation Act 1994 read with the Section 352 (2) of the Act and Section 128 of Haryana Municipal Act 1973 provide that various trades commercial activities etc can only be performed in Municipal areas after getting permission/license for these purposes and payment of requisite fee Further paragraph IX 2 and IX 3 of the Municipal Account Code 1930 provide that proper record/registers in Form License-I II and III are to be maintained and no license shall be issued for a period of more than a year. Scrutiny of records revealed that In Municipal Corporation Panchkula and Gurgaon trades and commercial activities had been running in the municipal areas. Audit observed that MC Panchkula since its existence (March 2010) had not made any provision for charging licence fee on commercial activities as of March 2016 This has resulted in loss of revenue of Rs 628 crores (Appendix 12) (calculated on the basis of licence fee fixed by MC Ambala) In MC Gurugram Rs 0 36 crore was outstanding on this account In 12 municipalities* the number of units carrying out commercial activities had not been assessed. The Executive Officers/Secretaries of these municipalities stated (March July 2016) that license fee is charged on those units who applied for licenses survey to identify the commercial units was not conducted. Hence it could not be ensured whether all units carrying out commercial activities had been charged with license fee Six municipalities** had identified 533 license units and license fee of Rs 8 51 lakhs was recoverable from them Thus revenue on account of the license fees for commercial activities remained untapped

- * (i) Kaithal (ii) Jind (iii) Shahabad (iv) Pehowa (v) Ladwa (vi) Nissing (vii) Dharuhera (viii) Sampla (ix) Bawanikhera (x) Gharaunda (xi) Jhajjar and (xii) Mahendergarh
- ** (i) Pundri Rs 0 83 lakh of 30 units (ii) Kalanwali Rs 3 09 lakhs of 57 units (iii) Rania Rs 0 28 lakh of 42 units (iv) Mahendergarh Rs 2 47 lakhs of 273 units (v) Siwani Rs 0 68 lakh of 75 units and (vi) Samalkha Rs 1 16 lakh of 76 units

The Committee has desired to keep the para pending till complete recovery with the direction to fix the responsibility of the officers/ officials concerned followed by necessary disciplinary proceeding under intimation of the Committee

The Department in its written reply stated as under -

This Para is related to non implementation of Trade Licencing as well as nonrecovery of Trade Licence Fees by the Municipalities mentioned in the Audit Para The brief about the applicability of Trade Licencing is given here under -

The provisions regarding applicability of license in respect of trades were in vogue since the year 1911 and now many of these trades have either vanished or become redundant having no relevance in present times. Further due to multiplicity of Government entities who are entrusted with monitoring the trade/business activities resulting in in overlapping of control/powers over such trading/business activities. In this backdrop a bill was placed for approval in the budget session of Haryana Vidhan Sabha held in March 2022 for amending the provisions of the applicable Acts relating to trade licence so as to minimise the number of trades/businesses to be kept under the ambit of issuance of Trade Licence.

However both draft bills were referred to the Select Committee by the Haryana Vidhan Sabha The same has been finalized by the Select Committee and will be placed in the forthcoming session of the Hon ble Haryana Vidhan Sabha

The Committee has desired that to keep the para pending till complete recovery with the direction to fix the responsibility of the officer/officials concerned followed by necessary disciplinary proceedings under intimations of the Committee

[4] Para No 4 2 2 6 Non Levy of installation/license and processing fee on Dish Antenna of Automated Teller Machines (ATMs) (2015-16)

The Haryana Municipal Corporation/Haryana Municipal (Communication and Connectivity Infrastructure) Bye laws 2013 provides that no communication infrastructure shall be laid/installed without obtaining a license under these bye laws from the competent authority within the areas of a municipality. One time installation/license fee of Rs 5000 and processing fee of Rs 1 000 per dish antenna (other than dish antenna installed under DTH) shall be charged for grant of license. Scrutiny of records of 27 municipalities revealed that installation and processing fee on accounts of dish antennas of ATMs was not being charged on the concerned banks. The municipalities were unaware of the provisions of ibid Bye-laws and hence no demand was raised. This resulted in non receipt of revenue of Rs 1 34 crore (Appendix 14) to municipalities. The concerned Municipalities (except Faridabad and Gurugram) stated (November 2015. July 2016) the notices would be issued to all banks.

The Committee has desired to keep the para pending on the assurance of the department that similar action will be taken as directed by the Committee in para 4 2 2 4. The Department in its written reply stated as under -

Directions have been issued to all MCs to make recovery on account of installation/license fee & processing fee on dish antenna of ATMs MCs have also started to initiate recovery under this Head as under -

Sr No	Name of MC	Period	No of ATMs	Amt Recoverable	Amt Recovered	Balance
1	Panchkula	2011 16	255	15 30	0 00	15 30

		Total		133 50	7 24	126 26
27	Hansı	2013 15	29	1 74	0 12	1 62
26 ———	Fatehabad	2012 15	36	2 16	0 00	2 16
25	Hisar	2013 15	174	10 44	0 65	9 79
24	Karnal	2012 15	201	12 06	0 42	11 64
23	Yamunanagar	2013 14	133	7 98	0 00	7 98
22	Samalkha	2011 16	24	1 44	0 12	1 32
21	Siwani	2011 16	08	0 48	0 43	0 05
20	Namaul	2011 16	32	1 92	0 00	1 92
19	Palwal	2011 16	54	3 24	0 06	3 18
18	Gurugram	2011 16	401	24 06	0 00	24 06
17	Fandabad	2011 16	622	37 32	0 72	36 60
16	Mahendergarh	2011 16	12	0 72	0 00	0 72
15	Jhajjar	2011 16	27	1 62	0 18	1 44
14	Bahadurgarh	2011 16	31	1 86	1 00	0 86
13	Rania	2011 16	07	0 42	0 42	0 00
12	Kalanwali	2011 16	08	0 48	0 00	0 48
11	Gharaunda	2011 16	15	0 90	0 58	0 32
10	Bawanı Khera	2011 16	02	0 12	0 00	0 12
9	Sampla	2011 16	12	0 72	0 12	0 60
8	Dharuhera	2011 16	16	0 96	0 36	0 60
7	Kaithal	2011 16	50	3 00	0 00	3 00
6	Nissing	2011 16	09	0 54	0 32	0 22
5	Pundri	2011 16	04	0 24	0 00	0 24
4	Ladwa	2011 16	15	0 90	0 00	0 90
3	Pehowa	2011 16	22	1 32	1 32	0 00
2	Shahabad	2011 16	26	1 56	0 42	1 14

₹

ý

¥

•

.

The Committee has desired that para be kept pending and sincere efforts be made to recover the outstanding amount on account of installation/license and processing fee on Dish-Antenna of Automated Teller Machines (ATMs)

[5] Para No 46 Excess payment of EPF to man power supplying agencies (2015 2016)

As per the provision contained in the Employees Provident Funds Scheme 1952 the EPF contribution was payable on maximum wages ceiling of Rs 6 500 per month during the period from June 2001 to August 2014 Municipal Council Hansi and Municipal Corporation Hisar outsourced services of sanitation staff from service providers Scrutiny of records of these municipalities revealed that the service providers claimed EPF on the actual wages of the sanitation staff instead of ceiling of Rs 6500 per month. This resulted in excess payment of Rs 11 09 lakh during April 2013 to June 2014 (Appendix 17) to the services providers. On being pointed out the concerned Municipalities admitted the facts and stated (January 2016) that recovery of excess payment would made from the concerned services providers. The matter was referred (August 2016) to the Principal Secretary to Government of Haryana Urban Local Bodies Department. Their reply was awaited (January 2017)

The Committee has desired that para be kept pending with regard to recovery of Rs 3,41,559/ from M/s Balak Associates and recovery process be continued by issuing to the firm

The Department in its written reply stated as under -

Hisar – The notice for recovery of excess amount had been issued to four Service provider agencies namely M/s Balak Associates Sona Enterprises Shiva Security Haryana Manpower out of which excess amount of EPF Rs 1 39 295/- from M/s Shiva Security and amount of Rs 2 84 724/ from M/s Haryana Manpower has been recovered in the month of 09/2020 and nothing are pending against these agencies

Now an amount of Rs 3 41 559/ against the agency M/s Balak Associates and amount of Rs 13 925/ against the agency M/s Sona Enterprises is still pending in order to recover the excess amount of EPF notices had been issued to the agencies Efforts are being made to recover the excess amount of EPF

Hansi – Notices have been issued to manpower supplying agency for recovery of excess payment of EPF. The excess amount will be recovered by MC. Hansi soon

The Committee has desired that para be kept pending with the view that recoveries be made in time bound manner and Committee be informed accordingly

[6] Para No 47 Irregularities relating to Solid waste management (2015-16)

The Haryana Municipal Act 1973 and the Haryana Municipal Corporation Act 1994 provide that solid waste management is the function of the municipality Further the Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules 2000 provide that every municipal authority shall be responsible for creating infrastructure for collection storage segregation transportation procession and disposal of municipal solid waste. The Central Finance Commissions from time to time also emphasized that the local bodies should spend the grants on the basic services such as water supply sewerage solid waste.

management etc Following irregularities relating to solid waste management were noticed

Yamunanagar - SWMP under Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Town (UIDSSMT) for Municipal Corporation Yamunanagar Jagadhri (MCY) was completed (December 2012) at a cost of Rs 11 28 crores MCY entered (August 2012) into agreement with a firm for systematic treatment processing and disposal of municipal solid waste in accordance with Municipal Solid Waste (Management & Handling) Rules 2000 (Rules) for 30 years Clause 8 2 of the agreement provided that in the event of any default by the operator the MCY shall be entitled to terminate the agreement and appropriate the performance security

The Executive Officer MCY stated (January 2017) that show-cause notice was issued against the firm and the concerned bank was requested (August 2015 to December 2016) to forfeit performance security of Rs 65 lakhs Encashment of bank guarantee was still awaited (December 2016) Audit observed that SWMP was non functional since December 2014 and solid waste was not being disposed off after proper treatment. However, while action was initiated against the defaulting firm no action was initiated to make the SWMP functional through any other agency despite its remaining non functional for more than two years. The matter was referred (August 2016) to the Principal Secretary to Government of Haryana Urban Local Bodies Department, their reply was awaited (January 2017).

Corporation Gurugram (MCG) entered (October 2008) into an agreement for development of the Integrated Municipal Solid Waste Processing Plants & Sanitary Landfill As per the agreement the MC Gurugram was to lease 30.5 acres land in 2008 at village Bandhwari Gurugram to the MC Faridabad for 30 years and MC Faridabad was in operation and maintenance of the facility for 30 years and MC Faridabad was in turn to implement the scheme and was also responsible for development operation and maintenance of the facility for 30 years Further MCF entered into an agreement (September 2009) with a firm for operation and maintenance of the SWMP for 30 years. The integrated SWMP was completed (January 2010) at a cost of Rs. 78.95 crores and became functional in December 2010.

Audit observed that the SWMP was non-functional since October 2013 and the solid waste was being dumped at the plant site. A sum of Rs 9 81 crores were also recoverable from the firm on account of machinery of MCF taken away by it and hiring charges of machinery/water tankers provided to the firm Besides. MCG also spent Rs. 19 89 lakhs (September to December 2013) on sanitary work at the plant site and on pending electricity on behalf of the firm Further non functioning of the SWMP and dumping of waste directly in landfill led to foul smell with the result that MCG had to allot (May 2014) the work of bio culture spray on the dumped waste at the rate of Rs. 2 50 lakhs per month for a year to another firm. The SWMP was lying nonfunctional for the last three years which had resulted in nonachievement of the intended objective. The Commissioner. MCF stated (December 2016) that the performance security of

Rs Three crores had been forfeited and the case of recovery and other dues owing to non operation of the SWMP by the firm was pending with the Arbitrator The matter was referred (August 2016) to the Principal Secretary to Government of Haryana Urban Local Bodies Department their reply was awaited (January 2017)

The Committee has desired to keep this para pending as the department has requested for some time to seek thedetailed report in this regard

The Department in its written reply stated as under -

(iv) Yamunanagar Municipal Corporation Yamunanagar entered into agreement with M/s Hydroair Tectonic (PCD) Ltd on 03 08 2012 for systematic treatment processing and disposal of Municipal Solid Waste for 30 years

This agency has stopped the work in December 2014 & Municipal Corporation had directed the agency to execute the work as per agreement. But the agency was failed to execute the work as per the agreement and having failed to execute the work as per the agreement the agency was blacklisted on 08 08 2017 by Municipal Corporation. Yamunanagar Initially for Bank Guarantee of Rs. 1.5 crores and after its expiry the agency has deposit only Rs. 65 Lacks against Rs. 1.5 Crores. The same was forfeited on 27 04 2018.

Agency moved in an arbitration case and the arbitrator announced the award in favour of Municipal Corporation Yamunanagar on 26 02 2021 as under -

- (i) Rs 85 00 Lakhs (as balance amount out of Bank guarantee of Rs 1 5 Crores) alongwith interest @ 1 5% per month w e f 28 05 2015 from the date of this award be paid within 60 days failing which respondent shall also be liable to pay penal interest of 2% on the amount till its realization
- (II) Rs 38 61 661/- as electricity dues along with surcharge as per prevalent rules of the Electricity Department be paid within 60 days
- (III) Rs 2 00 000/- as cost of Arbitration proceedings/Litigation Expenses

Having failed to pay the amount as per award Municipal Corporation Yamunanagar filed an execution appeal in Honble District Court Yamunanagar vide case No EXE/358/2021 which is pending in the Court of Honble Additional and District Session Judge Yamunanagar The next date of hearing of this case is 28 07 2022

Faridabad Establishment of Solid Waste Management Plant at Bandhwari was a joint venture of MCG & MCF MCF has filed arbitration case against the defaulting agency i.e. M/s AKC Developers Ltd claiming Rs 980 73 lakhs (approx Rs 980 crores) The counter claim of Rs 1091 66 crores had been submitted & placed before Sole Arbitrator by the agency Also suit No ARB-172/2018 was filed by the agency before the Hon ble High Court for time extension and reduction of arbitration fees

The award amounting to Rs 8 19 33 278/ had been passed in favour of Municipal Corporation Faridabad alongwith interest @ 12% per annum on

08 02 2019 till its actual realization. The above referred case No. ARB 172 of 2018 has been dismissed by Hon ble High Court vide order dated 13 12 2019.

MCF has filed Execution Petition of Arbitral Award dated 08 02 2019 before the District Judge Faridabad in the year 2019 for recovery of award amount of Rs 8 19 33 278/- alongwith 12% interest per annum (till its actual realization) from the agency M/s AKC Developers Ltd The case is scheduled for next hearing for 19 07 2022 in the Court of Shri Rajesh Garg Ld ADJ Faridabad

Gurugram (1) Due to non functional of Solid Waste Management Plant at Bandhwari MCG has engaged agency named as M/s Organic Solution to spray bio culture for reducing foul smell destroying insects & mosquitoes for the safety of general public and to maintain hygiene & public health in the public interest and to save environment. The expenditure of Rs. 2.50 lakhs approx per month has been spent in the public interest.

(2) Establishment of Solid Waste Management Plant at Bandhwari was a joint venture of MCG & MCF MCF has filed arbitration case against the defaulting agency Arbitrator has given award on 08 02 2019 in favour of MCF MCF has filed Execution Petition of Arbitral Award dated 08 02 2019 before the District Judge Faridabad in the year 2019 for recovery of award amount of Rs 8 19 33 278/- alongwith 12% interest per annum (till its actual realization) from the agency M/s AKC Developers Ltd The case is scheduled for next hearing for 19 07 2022 in the Court of Shri Rajesh Garg Ld ADJ Faridabad

The Committee has desired that Yamuna Nagar, Faridabad & Gurugram part pending as the department has requested for some time to seek the detailed report in this regard

[7] Para No 41 Non-obtaining of bank guarantee resulted in nonrecovery of penalty and other payments due (2016 17)

Municipal Corporation Karnal (MCK) entered into an agreement (August 2014) with Hydro Air Tectonic Limited Mumbai (operator) for operation and maintenance of the Solid Waste Management Plant (SWMP) for a period of 30 years. As per agreement, the operator was required to provide a performance guarantee equivalent to Rs 150 crore (in the form of bank guarantee from a nationalized bank) to the MCK within 20 days of signing of agreement which would remain valid for the tenure of the agreement. The performance guarantee was to be released to the firm at the rate of Rs 5 lakhs per completed year of the agreement Further as per agreement MCK had the liberty of recovering penalty or any other payments due from the firm by invoking the performance guarantee to the extent of the amount cue Scrutiny of records of MCK revealed that the Corporation had not obtained performance guarantee from the operator though it was required to be obtained as per the agreement. The firm abandoned (August 2015) the operation and maintenance of the SWMP for which MCK issued notices from time to time MCK finally terminated (February 2017) the agreement and imposed penalty of Rs 28 80 lakhs Apart from penalty Rs 46 71 lakhs were also recoverable from the operator on account of payment of electricity bill miscellaneous expenses interest and lease money etc A total amount of Rs 75 71 lakhs remained unrecovered from the operator as of August 2017 Had performance guarantee been obtained from the operator as per agreement recoverable amount of Rs 75 51 lakhs could have been recouped from the performance guarantee? Thus MCK had extended undue favour to the operator as it

allowed operation and maintenance of the SWMP without obtaining the performance guarantee. The Chief Sanitary Inspector. MCK stated (September 2017) that the issue for filing recovery suit against the firm in the competent court was under process. The matter was referred (September 2017) to the Principal Secretary to Government of Haryana Urban Local Bodies Department, their reply was awaited (November 2017).

The Committee has desired to keep this para pending. Keeping in view the fact civil suit for recovery was filed and performance guarantee of Rs. 1.5 crore was not taken by the department

The Department in its written reply stated as under -

Karnal The process for appointment of Arbitrator under Arbitration & Conciliation Act 1996 is under way at the level of Municipal Corporation Karnal as per clause 12.2 of the Concession Agreement executed between MC Karnal and Hydro Air Tectonic Ltd Mumbai (Operator)

The Committee has desired to keep the para pending

*

Part-II ANNUAL TECHNICAL INSPECTION REPORT ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS & URBAN LOCAL BODIES FOR THE YEAR 2017-18 & 2018-19 AUDITED BY THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) HARYANA,

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT, HARYANA

ANNUAL TECHNICAL INSPECTION REPORT ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS & URBAN LOCAL BODIES FOR THE YEAR 2017 18 & 2018 19 AUDITED BY THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) HARYANA, URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT, HARYANA

[8] Para No 4 1 2 1 Non preparation of plans

As per provisions of HMC Act. MCs were required to prepare plans for economic development and social justice including all the functions entrusted to them. Further every MC was required to prepare various plans for the areas under its jurisdiction and submit the same to the District Planning Committee for consolidation into a Development Plan (DP) of the district

Audit scrutiny showed that neither any plan for economic development and social justice was prepared in the test-checked MCs nor DPs of districts were prepared during 2015-18 Development works/schemes were executed by the MCs on ad hoc basis without proper plan MCP admitted (May 2018) that plans were not prepared and had not given any assurance as well for preparation of plans in future

Recommendations The Department should prepare plans for economic development and social justice

The Department in its written reply stated as under -

Gurugram

आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 42 के तहत सूची बद्ध कुल 18 कार्यों में से एक नगरपालिका के कार्यों में से एक है। इसमें निम्न शामिल हैं —

- 1 नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन।
- 2 भूमि उपयोग का विनियमन भवनो का निर्माण।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 346 (1) नगरपालिका क्षेत्र के भीतर नियत्रित क्षेत्र की घोषणा के लिए प्रदान करती है और उक्त अधिनियम की धारा 346 (2) नियत्रित क्षेत्र की विकास योजना तैयार करने और सरकार को इसे प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करती है। विकास योजना अधिसूचना में नियत्रित क्षेत्र को आवासीय वाणिज्यक औद्योगिक परिवहन और सचार सार्वजनिक उपयोगिताओं सार्वजनिक और अर्ध—सार्वजनिक क्षेत्र खुली जगह कृषि क्षेत्र विशेष क्षेत्र और प्राकृतिक सरक्षण क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विकास योजना में उपलब्ध कराए गए विभिन्न भूमि उपयोग विकास योजना के साथ सलग्न क्षेत्रीय विनियमों द्वारा नियत्रित होते हैं। उल्लेखनीय है कि आम जनता से आपित्त एव सुझाव आमित्रत करने के लिए विकास योजना के प्रारूप का शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करने से पूर्व योजना को अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय समिति एव जिला योजना समिति के समक्ष रखा जाता है। इन समितियों द्वारा की गई आपित्तयों और सुझावों को निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग को अग्रेषित करने से पहले योजना में विधिवत शामिल किया जाता है।

गुरुग्राम शहर के आसपास के नियंत्रित क्षेत्रों को निवेशक टाउन एड कट्री प्लानिग विभाग द्वारा घोषित किया गया था जो बाद में वर्ष 2008 में निगम के गठन के बाद नगरपालिका क्षेत्र का हिस्सा बन गया। हालांकि इन नियंत्रित क्षेत्रों को टाउन एड कट्री प्लानिग विभाग द्वारा 30 01.2014 तक प्रशासित किया जाना जारी रहा हैं। इन नियंत्रित क्षेत्रों को गुरुग्राम—मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स—2031 ई० की अतिम विकास योजना नगर एव ग्राम आयोजना विभाग द्वारा तैयार करके 15 11.2012 को राजपंत्र शासन में

प्रकाशित की गई। पजाब अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र (अनियंमित विकास प्रतिबंध अधिनियम 1963 (1963 का अधिनियम संख्या 41) के प्रावधानों के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जिसे गुरुग्राम—मानेसर शहरी की अतिम विकास योजना के रूप में जाना जाता है। परिसर—2031 ई धारा 348 की उप—धारा (1) के प्रावधान के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र के अदरूनी क्षेत्र जिसे 1963 के अधिनियम संख्या 41 के तहत पहले से ही नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है के लिए नियंत्रित क्षेत्र माना जाएगा। 1994 के अधिनियम के उद्देश्य और यदि पूर्वोक्त अधिनियम के तहत ऐसे नियंत्रित क्षेत्र के लिए पहले से ही किसी योजना को अधिसूचित किया गया है तो इसे 1994 के अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भी माना जाएगा। सूक्ष्म स्तर पर मवनों का निर्माण हिरयाणा बिल्डिंग कोड—2017 द्वारा विनियंमित है।विकास योजना को जीएमडीएध्र्यचएसवीपीध्र्चएसआईआईडीसी और टाउन एड कट्री प्लानिग विभाग द्वारा निजी कॉलोनाइजरों को लाइसेंस देकर जमीन पर क्रियान्वित किया जाता है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय—समय पर सभी जिलों के लिए जिला योजना सम्तियों का गठन किया गया है और गुरुग्राम जिले के सबध में ऐसी समिति का गठन 08 03 2019 को किया गया है।

Panchkula

आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 42 के तहत सूचीबद्ध कुल 18 कार्यों में से एक नगरपालिका के कार्यों में से एक है। इसमें निम्न शामिल है –

- 1 नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन।
- 2 भूमि उपयोग का विनियमन भवनो का निर्माण।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 346 (1) नगरपालिका क्षेत्र के अदरूनी नियत्रित क्षेत्र की घोषणा के लिए प्रदान करती है और उक्त अधिनियम की धारा 346 (2) नियत्रित क्षेत्र की विकास योजना तैयार करने और सरकार को इसे प्रस्तुत करने के लिए प्रदान करती है। विकास योजना अधिसूचना में नियत्रित क्षेत्र को आवासीय वाणिज्यक औद्योगिक परिवहन और सचार सार्वजनिक उपयोगिताओं सार्वजनिक और अर्ध—सार्वजनिक क्षेत्र खुली जगह कृषि क्षेत्र विशेष क्षेत्र और प्राकृतिक सरक्षण क्षेत्र जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। विकास योजना में उपलब्ध कराए गए विभिन्न भूमि उपयोग विकास योजना के साथ सलग्न क्षेत्रीय विनियमों द्वारा नियत्रित होते हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि सरकार में मसौदा विकास योजना के प्रकाशन से पहले आम जनता से आपित्त एव सुझाव आमित्रित करने हेतु राजपत्र योजना को अनुमोदन हेतु जिला स्तरीय समिति एव जिला योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन समितियों द्वारा की गई आपित्तयों और सुझावों को निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग को अग्रेषित करने से पहले योजना में विधिवत शामिल किया जाता है।

पचकूला शहर के लिए नियत्रित क्षेत्र को पजाब न्यू कैपिटल कट्रोल एक्ट 1952 के तहत टाउन एड कट्री प्लानिग डिपार्टमेट द्वारा दिनाक 21 03 1972 की अधिसूचना के तहत घोषित किया गया था। उक्त क्षेत्र के एक मास्टर प्लान को पचकूला मास्टर प्लान के रूप में अधिसूचना दिनाक 04 12 1986 और प्रकाशित किया गया था। पचकूला विस्तार विकास योजना अधिसूचना दिनाक 08 09 2009 के द्वारा प्रकाशित किया गया तथा सूक्ष्म स्तर पर भवनो का निर्माण हरियाणा भवन सहिता 2017 द्वारा विनियमित है। विकास योजना को एमसीपी/एचएसवीपी/ एचएसआईआईडीसी और नगर एव ग्राम नियोजन विभाग द्वारा निजी कॉलोनाइजरों को लाइसेस देकर जमीन पर क्रियान्वित किया जाता है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय—समय पर सभी जिलों के लिए जिला योजना समितियों का गठन किया गया है और पचकूला जिले के सबध में ऐसी समिति का गठन दिनाक 09 01 2019 को किया गया है।

The Committee has desired to keep the para pending with the direction to completed the all process

[9] Para No 4 1 2 2 Non establishment of Area Sabha and Ward Committees

The Haryana Municipal Citizens Participation Act 2008 provides for constitution of an Area Sabha (AS) in each Ward to generate proposal sand determine the prioritization of the schemes/development programmes for implementation in the area Similarly Ward Committees (WCs) for each ward consisting of a Ward Councilor as Chairperson and eminent members (not lessthan three and not more than ten persons) nominated by the Corporations wereto be constituted. Audit observed that ASs and WCs were not constituted inany of the Wards. The MCP admitted (June 2018) that the ASs were not constituted but no reasons were given for this while MCG stated (October2018) that ASs and WCs had not been established. No assurance was alsogiven for constituting AS and WC by either of the MCs. The proposals for implementation of schemes were not received through ASs and WCs with theresult that priority of the schemes and development programmes was not being determined with reference to the needs and demandin respective areas.

Recommendations. MCs concerned should establish ASs and WCs for initiation of proposals and determine the prioritisation of the schemes/ development programmes

The Department in its written reply stated as under

Panchkula

नगर निगम पचकूला ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 10 और हरियाणा नगर नागरिक भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार नगर निगम पचकूला के क्षेत्र में आने वाली वार्ड समिति/क्षेत्र/उप—क्षेत्र समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। शहरी वातावरण में सुधार और स्थानीय स्तर पर नागरिक सेवाओं के वितरण में निर्वाचित प्रतिनिधि और स्वैच्छिक नागरिक समूहों की अधिक भागीदारी क साथ नागरिक भागीदारी को मजबूत करना।

हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 और हरियाणा नगर नागरिक भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 10 में निहित प्रावधान के अनुसार वार्ड समिति/ क्षेत्र/ उप–क्षेत्र समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाना है/—

- 1 वार्ड के पार्षद वार्ड समिति के अध्यक्ष होगे।
- 2 सेक्टर/कालोनी का पूरा क्षेत्र विशेष वार्ड के अतर्गत कवर किया जाएगा।
- अतर्गत शामिल किया जाएगा।

यहाँ नम्रतापूर्वक कहा जाता है कि क्षेत्र सभा और वार्ड समिति के गठन का मामला विचाराधीन है और निकट भविष्य में इसका गठन किया जाएगा। तथापि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नगर निगम पचकूला की सभा द्वारा वर्ष 2021 में पहले ही पाच तदर्थ समितियों का गठन किया जा चुका है और उनकी बैठके नियमित रूप से हो रही हैं।

The Committee has desired to keep the Panchkula part pending [10] Para No 413 Financial management

4 1 3 2 Non adjustment of outstanding advances

Rule XVII 14 of Municipal Account Code 1930 stipulates that the MC shall prescribe a time limit on the expiry of which advances shall be accounted for or refunded Test-check of record srevealed that advances aggre gating to Rs 342 911 crore sanctioned for carrying out various development activities within the municipal limits were pending for adjustment as of March 2018 Ageanalysis of pending advances showed as under

Sr No	Pendency	Number of advances	Amount
1	More than five years but less than 10 years	504	203 59
2	More than one year but less than five years	77	139 32
Total		581	342 91

Audit observed that no time limit was prescribed for adjustment of advances. The pendency indicated laxity on the part of the MCs in enforcing codal provisions regarding adjustment of the advances MCG and MCP stated (April May 2018) that instructions would be issued to all the concerned for adjustment of outstanding advances urgently

Further Audit noticed that MCG drew advances of Rs 48 40 lakhs and disbursed to 12 employees in 38 cases during March 2015 to October 2016. The amount was refunded in MC fund by these employees during September 2016 to March 2018 without utilisation of any amount. Thus the amount was drawn without any requirement Audit observed that no approval was obtained from the Commissioner for disbursement of advances which tant amount to temporary embezzlement of MC funds.

Municipal Corporation Gurugram Rs 342 51 crores and Municipal Corporation Panchkula Rs 0 40 crore

Recommendation The MCs concerned may prescribe the time limit for adjustment of advances

The Department in its written reply stated as under -

Panchkula अस्थाई अग्रिमो के विवरण को दर्शाने वाले विवरण के अनुसार जो लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित किया गया था कुल रु 39 90 166 / --लबित दिखाया गया था। जिसमे से रु 2 60 168 / – का समायोजन किया गया है जो कि स्वर्गीय श्री प्रीत मोहिदर टैक्स कलेक्टर के नाम पर था और शेष विभाजन निम्नानुसार है/-

कर्मचारियों के नाम पर अस्थायी अग्रिम -

Sr No	Name of official	Total Amount (Rs)	Balance (Rs)
1	Mukesh Sharma ME	100000	100000
2	EO MC PKL	27648	27648
3	HARTRON	187225	187225
4	HARTRON	616035	616035
5	Devender singh Sect MC Kalka	5000	5000
6	MD HARTRON	410000	410000
7	Bharat Raj Dutt FSO	86400	86400
	Total	1432308	1432308

कर्मचारियों से अग्रिम वसूली की अस्थायी स्थिति-

Sr No	Name of official	Total Amount (Rs)	Recovered amount (Rs)	Balance (Rs)
1	Parveen Malik JE	742400	0	742400
2	Parveen Malık JE	458800	0	458800
3	Muneshwar JE	150000	0	150000
4	Dinesh Garg JE	155200	0	155200
5	Dinesh Garg JE	155200	0	155200
6	Dinesh Garg JE	155200	0	155200
7	Dinesh Garg JE	155200	0	155200
8	Dinesh Garg JE	155200	0	155200
Total		2127200	0	2127200

सुलभ इटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के लिए लबित कुल राशि रु0 21 27 200 / — और जब तक कि अग्रिमों का निपटान नहीं हो जाता तब तक के लिए नगर निगम पचकूला ने सुलभ इटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के 39 51 500 /-रुपये अप्रैल से सितंबर 2021 की अवधि के भुगतान की राशी को रोक दिया हैं।

Gurugram

अस्थाई अग्रिम राशि रूपये 3 42 21 83 575 95 जिसका उल्लेख नीचे परिशिष्ट एफ मे दर्शाया गया है। अब दिनाक 31 03 2022 तक रू० 175 45 करोड समायोजित करने बकाया है। इस शेष राशि के 150 00 करोड़ रूपये नगर निगम फरीदाबाद को लोन के रूप मे दिये गये थे जो कि अभी तक बकाया है। समायोजन हेतू आवश्यक प्रयास किये जा रहे है।

क्रमाक	सरकारी विमाग/ अधिकारी का नाम	कुल राशि रू०	बरामद राशि	बकाया
1	जन स्वास्थ्य विभाग	1981392 23	0	1981392 23
2	पीडब्ल्यूडी (बी०एड०आर०)	192260962 49	0	192260962 49
3	डी₀एच₀बी₀वी₀एन₀एल₀	46513348 40	5159456 80	41353892 75
	अन्य			
4(1)	एम०सी॰एफ॰	1500000000 00	0	1500000000 00
4(11)	एन०एच०ए०आई०	1222234024 00	1222234024 00	0
4(III)	अधिकारी/अधिकारी/विभाग	459093985 00	440136020 20	18957964 80
	कुल	342 21 करोड़	166 75 करोड़	175 45 करोड़

अन्य अग्रिमों में 280 अग्रिम दर्शाए गए है जिसमें 72 प्रकरणों से वसूली की गई है। शेष 208 प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा है। 38 मामलों में 12 कर्मचारियों से राशि रू० 4840 लाख ब्याज सहित वसूल की गई है।

The Committee has desired to keep remaining 208 cases pending with the direction that recovery be made at the earliest and copy of the recovery be placed before the committee

[11] Para No 4 1 3 Financial management

4 1 3 3 Non availment of exemption from Goods and Services Tax

The Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) vide their Notification dated 28 June 2017 provided exemption from Goods and Services Tax to pure services (excluding works contract service or other composite supplies involving supply of any goods) provided to a local authority by way of any activity in relation to any function entrusted to municipalities under article 243W of the Constitution As per this notification the municipalities were not required to pay GST to the agencies on the bills provided for various services2 from July 2017 onwards

Scrutiny of records showed that MCP had not availed benefits of the exemption and paid GST amounting to Rs 38 16 lakh to the agencies for providing various services during July 2017 to May 2018 resulting in avoidable financial burden on the municipality MCP admitted the fact and stated (June2018) that exemption notification was not in the notice of concerned staff and added that refund would be taken from the contractor

Recommendations Relevant exemption notification of Government should be kept in view before hiring / availing of pure services and making payment of GST for such services

The Department in its written reply stated as under -

Panchkula

यह प्रस्तुत किया जाता है कि माल और सेवा कर से छूट का लाम न लेने का विवरण नीचे दिया गया है –

Sr No	Name of Firm	Amount of GST paid
1	OSCAR Security & Fire Services	3742842 00
2	Ekam Tour & Travel	115200 00
	Total	3858042 00

इस सब्ध में दोनों फर्मों से फोन पर सपर्क किया गया है और उन्हें उस चालान की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है जिससे फर्म ने जीएसटी जमा किया था। इसके अलावा चालान का विवरण प्रदान करने के लिए दोनों फर्मों (मैसर्स ओएससीएआर सिक्योरिटी एड फायर सर्विसेज एड एकम टूर एड ट्रैवल) को नोटिस दिए गए थे। फर्म ने टेलीफोन पर आश्वासन दिया था कि उन्होने जीएसटी विभाग में जीएसटी जमा कर दिया है और चालान जल्द से जल्द एमसी पचकूला को प्रस्तुत किया जाएगा।

अत यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि फर्मों को दिया गया जीएसटी 38 58 लाख रूपये जीएसटी खाते में जमा किया जाएगा और जीएसटी के लिए एमसी पचकुला द्वारा दी गई राशि सरकार से सरकार के लेनदेन है जिसमें व्यक्तिगत रूप से किसी भी ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान नहीं किया गया था। इसके अलावा फर्मों स जीएसटी राशि वसूल करने के लिए कार्यालय स्तर पर कानूनी कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि एमसी को हुए नुकसान को तदानुसार निपटाया जा सके।

The Committee has desired that the latest status be submitted to the Committee at the earliest possible

[12] Para No 4 1 3 5 Purchase of store items on quotation basis instead of e tendering

The Director Urban Local Bodies (DULB) Haryana informed (November 2014) all municipalities about the decision of the State Government for enforcement of e-tendering system for all type of civil works purchase ofstores or engagement of labour under outsourcing policy with effect from December 2014 Further it was decided (June 2016) by the Government that the minimum threshold value of e-tendering in respect of procurement of stores/goods/works/services in the State would be Rs one lakh in each case (without any splitting of order) Audit observed that expenditure of Rs 92 85 lakhs was incurred for procurement of various store items such as lights stationary furniture items and execution of works during September 2015 to October 2016 and all the purchases were made on quotation basis instead of e tendering MCG stated (April 2018) that tender could not be floated as material was purchased on urgent basis while MCP stated (June 2018) that material was purchased without e tendering in emergent case and further added that tenders would be invited for purchase of material in future. The replies were not acceptable as items

such as lights stationary furniture benches for parks mobile toilets etc are not of urgent nature and if considered necessary approval for purchase of these items without following the system of e tendering should have been obtained from the Government

Recommendations MCs concerned may consider purchasing the material without e tendering in emergent case 4

Municipal Corporation Gurugram Rs 43 98 lakhs and Municipal Corporation Panchkula Rs 48 87 lakhs

The Department in its written reply stated as under

Panchkula

नगर निगम पचकूला द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि विभिन्न शाखाओं में कई अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं और कार्यालय के सुचारू सचालन के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार स्टेशनरी और फर्नीचर आदि की खरीद सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद की गई है।

The Committee has desired to keep the Panchkula part pending [13] Para No 4 1 4 5 Swachh Bharat Mission (Urban)

Diversion of funds As per guidelines of Swachh Bharat Mission (Urban) {SBM (U)} an incentive of Rs 14 000 per household was to be given to the targeted beneficiaries for the construction of Individual House Hold Latrines (IHHLs) Scrutiny of records revealed that an amount of Rs 4 90 crores was released (May 2017) to MCP for providing first and second instalment of incentive money to 7 000 targeted beneficiaries Subsequently on the basis of survey the numbers of eligible beneficiaries were reduced to 1 994 as applicants had provided fake account details their families had applied from other cities residential addresses were shown in unauthorized colonies etc Further it was revealed that MCP had spent Rs 0 86 crore on IHHL and Rs 3 71 crores on various items such as salary of motivators workshops purchase of mobile toilets dustbins and e cart rickshaws hiring of vehicles advertisements refreshment of meeting purchase of mobile phone etc out of IHHLs funds Spending of funds of Rs 3 71 crores on items other than incentive to house holds for construction of latrines was irregular and tant amount to diversion of funds As per paragraph 64 of the guidelines (2014) of SBM (U) there would be no incentive support for the construction of public toilets under SBM State Government released (November 2016) grants of Rs 3 98 crores out of central share for IEC community toilets and solid waste management but MCG had spent Rs 2 15 crores out of Rs 3 98 crores on construction of public toilets and balance funds of Rs 1 83 crores were lying unspent with MCG. Thus, the funds meant for IEC community toilets and solid waste management were diverted towards construction of public toilets

MCP stated (June 2018) that the amount would be recouped from the municipal funds while MCG stated (April 2018) that grants had been utilized for development work for public use. The reply of MCG was not tenable as funds were meant for construction of community toilets IEC and solid waste management not for public toilets the expenditure on which was prohibited under the scheme *Double/triple release of first instalment* Scrutiny of records and analysis of computerized data of IHHL beneficiaries of MCG revealed that first instalment of financial assistance was given twice to 22 beneficiaries and thrice to one beneficiary. This resulted in excess payment of Rs 1 68 lakhs

Audit observed that double/multiple payments occurred due to improper scrutiny of applications by ULB as applicants had submitted two/three different applications by minor change in name father s/husbands name address bank account number etc. Thus proper checks were not exercised while scrutinizing the applications MCG however accepted (April 2018) the double payment of 22 beneficiaries and stated that excess payment made would be adjusted in next instalments. Further developments were awaited (February 2021)

Recommendation The MC concerned may exercise proper checks while scrutinizing the applications so that double payment could be avoided

The Department in its written reply stated as under

Panchkula

इस पैरा के सबध में सीएसआई शाखा द्वारा विनम्रतापूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि सामुदायिक शौचालय आईईसी (सूचना शिक्षा और संचार) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण के लिए एसबीएम (यू) के तहत प्राप्त धन को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम यानी प्रेरको के वेतन के तहत खर्च किया गया था। (लोगो को प्रेरित करने के लिए काम करने वाले प्रेरक कि कैसे कचरे को अलग किया जाए और अपने स्तर पर रसोई के कचरे को कैसे संसाधित किया जाए)। ओडीएफ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोबाइल शौचालयो की खरीद महत्वपूर्ण थी। ओडीएफ केंद्र और राज्य सरकार का महत्वाकाक्षी कार्यक्रम है। ओडीएफ को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक को शौचालय उपलब्ध कराना आवश्यक था। इसलिए जिन लोगो के पास शौचालय निर्माण के लिए पर्याप्त जगह नही थी मोबाइल शौचालय खरीदकर उस स्थान पर स्थापित किए गए जो स्वच्छ भारत मिशन का भी हिस्सा था। क्डेदान और ई-कार्ट रिक्शा की खरीद के सबध मे यह कहा जाता है कि क्डेदान और ई-कार्ट रिक्शा को घर-घर कचरे के सग्रह और सड़क के कचरे को हटाने कें लिए खरीदा गया था जो कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का भी एक हिस्सा है। वाहनों को किराए पर लेने के लिए यह कहा गया है कि शहर के कचरे को साफ करने के लिए विभिन्न स्थानों से कचरा उठाने के लिए वाहनों को किराए पर लिया गया था जो कि स्वच्छ भारत मिशन का भी एक हिस्सा है। उपरोक्त तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए यह भी कहा गया है कि एसबीएम के तहत प्राप्त सभी निधियों का उपयोग एसबीएम आदि जैसे एसबीएम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया गया था। फिर भी लेखा शाखा एमसी पचकूला ने रुपये की राशि के हस्तातरण की प्रक्रिया शुरू की है। 250 82 000 / -- एमसी फंड से आईएचएचएल घटक को सक्षम प्राधिकारी की मजूरी लेने के बाद और राशि का सत्यापन डीयूएलबी पचकूला से एमसी पचकूला द्वारा कार्यालय पत्र संख्या 331 दिनाक 06 05.2022 के माध्यम से मागा गया है। जैसे ही सत्यापन/उत्तर प्राप्त होगा राशि तुरत स्थानातरित कर दी जाएगी और तदनुसार पीएजी (लेखापरीक्षा) हरियाणा को भी सुचित किया जाएगा।

Gurugram	उक्त पैरे के बारे अवगत करवाया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन स्कीम के अन्तर्गत (सीटी /पीटी) सार्वजनिक (शौचालय) हैंड में पैसा न होने के कारण
	अन्तर्गत (साटा / पाटा) सावजानक (शायांक्य) हुन न नेता र होने पर पररा
	पब्लिक की डिमाड होने पर पैसा अन्य मद से पब्लिक टॉयलेट मे प्रयोग किया गया
	क्योंकि यह अति अनिवार्य था। परन्तु सरकार से पैसा प्राप्त होने पर उक्त राशि को
	सब्धित हैड मे जमा करवा दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की अनुदान राशि को
	दिशा निर्देशानुसार सामुदायिक शौचालय पर खर्च कर दी गई है। भविष्य मे इस
1	बात का ध्यान रखा जाएगा।

The Committee has desired that fresh/updated reply be submitted to the Committee for its consideration and recovery be expediated under intimation of the Committee

[14] Para No 4 1 5 2 Loss due to change in specifications

As per terms and conditions of the technical notes of three6 road works allotted in October 2017 no change could be made in specifications and scope of work without specific approval of the competent authority before commencement of work and further specified that any deviation from the sanctioned detailed estimate would need approval of the competent authority Scrutiny of records of MCP revealed that the administrative approval and technical sanction of these road works were obtained from competent authority wherein thickness of mastic asphalt was 40 mm but its thickness was changed to 25 mm without recording any justification and without approval of the competent authority The sanctioned rate of 40 mm thick mastic asphalt was Rs 874 per square metre (sqm) But at the time of preparing of comparative statement rate was compared with 25 mm thick and finally these three works were allotted (October 2017) at the rate Rs 825 per sqm for 25 mm thick mastic asphalt

Audit observed that rate of 25 mm thickness was Rs 690 per sqm in case of another work allotted in March 2018 (Construction of bitumen mastic asphalt road from Gandhi chowk to Railway station Kalka (Railway Road) via SDM office Ward No 1 Kalka) Thus the reasonable rate of 25 mm mastic asphalt was Rs 690 per sqm but these three works were executed at the rate of Rs 825 per sqm without the approval of the competent authority This resulted in loss of Rs 29 06 lakh MCP stated (June-2018) that the matter would be investigated and appropriate action would be taken

Recommendation MC may execute the work as per specifications with the approval of the competent authority before commencement of work and if deviation, it should be approved by the competent authority

The Department in its written reply stated as under -

Panchkula

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन कार्यों को एमसी कालका के क्षेत्र में निष्पादित किया गया था उपरोक्त कार्य की फाइल इजीनियरिंग शाखा में ट्रेस करने योग्य नहीं है। नगर निगम पचकूला द्वारा नियमानुसार कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। यह भी उल्लेख किया गया है कि एजेसी को किसी भी भुगतान को जारी करने से पहले एक पूर्व—लेखापरीक्षा प्रणाली मौजूद है जिसके लिए सक्षम अधिकारियों से प्राप्त सभी आवश्यक अनुमोदनों की जाच करने के लिए सयुक्त उपनिदेशक लेखापरीक्षा व आरएओं की प्रतिनियुक्ति की जाती है। जिसके बाद भुगतान जारी किया जा रहा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन के बिना कोई भुगतान जारी करना सभव नहीं है। तथापि अनुशसा के अनुसार नगर निगम पचकूला सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के अनुसार आगे कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

The Committee has desired that responsibility of the erring officials/officers be fixed to take strict action against them and sincere and pragmatic efforts intimation of the Committee

[15] Para No 4 1 6 1 Unauthorized installation of mobile/communication towers

Urban Local Bodies Department notification (October 2013) provides for charging of licence and processing fees (*Rs* 2 50 lakhs per site for erection of mobile/communication tower and *Rs* 1 000 per tower as processing fee) for the installation of communication infrastructure. The competent authority shall proceed to get the unauthorized communication structure removed at the expense of such service provider

Test check of records of MCG revealed that 259 mobile towers were installed within the jurisdiction of MCG. Audit observed that these towers were installed without permission of the competent authority and installation charges and processing fees of Rs 6.50 crores was not recovered from the concerned tower owners MCG stated (May-2018) that notices had been issued to the owners of mobile towers which were running without permission. Further developments were awaited (February 2021)

The Department in its written reply stated as under -

Gurugram

यह सूचित किया जाता है कि विभिन्न सीडब्ल्यूपी में माननीय उच्च न्यायालय ने मोबाइल टावर के बुनियादी ढाचे के खिलाफ को दडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिये गये हैं। यहा यह भी उल्लेख किया जाता है कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा नवीन टावर के निर्माण एव विद्यमान टावरों के नियमितीकरण की अनुमित प्रदान करने के लिम्बत आवेदनों पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार एमसीजी ने उपनियम 2013 के तहत वर्ष 2017—18 और 2018—19 (74+18) के लिए सीसीआईपी—2017 के तहत अनुमित देने के लिए रू० 92 00 000/— वर्ष 2017—18 के लिए तथा रू० 11 61 000/—वर्ष 2018—19 (9+2) के लिए प्राप्त किये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त एमसीजी ने वर्श 2020—21 2021—22 और 2022—23 (80+341+47) के लिए सीसीआईपी—2017 के तहत मौजूदा टावरों के नियमितीकरण और नए टावर के निर्माण के लिए कुल भाुल्क रू० 2 54 70 000 /— अब तक प्राप्त किया है और एचईपीसी पोर्टल पर मौजूदा टावरों के नियमितीकरण और नए टावर के निर्माण की अनुमति देने के लिए 529 आवेदन प्रक्रियाधीन है।

The Committee has desired that fresh/updated reply be submitted to the Committee for its consideration and recovery be expediated under intimation of the Committee

[16] Para No 4 1 6 2 Non recovery of Property tax including fire tax

Section 87 of the HMC Act provided that the municipality shall levy property tax payable by the owner or occupier of building and land at the rates notified by the Government from time to time Section 95 of the HMC Act further provides liable the Commissioner shall recover the said amount from the occupier by attachment of rent payable by occupier

Scrutiny of Demand and Collection Registers of MCG and MCP revealed that property tax including fire tax amounting to Rs 166 40 Crore was in arrears as on March 2018. It was also observed that concerned MCs had not recovered the amount of outstanding property tax from the owner by attachment of rent under section 95 of the HMC Act. Even the proceedings and notices of attachment of rent had not been issued with the result that huge arrears had accumulated.

MCG (April 2018) stated that notices would be issued and recovery would be made while MCP stated (June 2018) efforts were being made to recover the outstanding tax. The reply is not tenable as non-realisation of the dues is attributable to administrative short comings in initiation and processing of action for recovery by the concerned Municipalities.

The Department in its written reply stated as under -

Раг	ch	ku	la

इस सबध में विनम्र निवेदन है कि नगर निगम के अभिलेख के अनुसार अग्नि कर सहित सम्पत्ति कर की निम्न वसूली की गई है—

(करोड़ रुपये में)

Year	Arrear	Demand	Total	Recovery demand	Recovery arrear	Balance
2017 18	3 40	10 00	13 40	6 10	2 10	5 20
2018-19	5 20	10 00	15 20	7 20	0 80	7 20
2019-20	7 20	10 00	17 20	8 00	1 00	8 20
2020-21	8 20	10 00	18 20	10 20	1 80	6 20
2021 22	6 20	10 00	16 20	9 40	1 00	5 80
2022 23	6 00	10 00	15 80			
		TOTAL			750	

मार्च 2018 तक के एरियर 340 करोड़ रुपये पूरी तरह से वसूल किए गए है। अत उक्त पैरा ड्राप करने का कष्ट करे।

Gurugram

163 00 करोड रुपये बकाया सपत्ति कर और अग्नि कर में से सपत्ति कर और अग्नि कर बकाया की निम्नलिखित वसूली (वर्ष—वार) निम्नानुसार है —

Sr No	Year	Recovery Amount (Rs. in Cr.)
1	2018 19	66 90
2	2019 20	31 94
3	Exempted property tax	24 00
Total		122 84 Cr

हरियाणा सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचना सख्या 14/5/2017—3c—॥ दिनाक 16 11 2018 21 11 2018 28 02 2019 और स 14/5/2017—3सी—॥/29052 दिनाक 20 05 2020 द्वारा छूट की राशि रु 24 00 करोड एमसीजी द्वारा बकाया सपत्ति कर और अग्नि कर बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए—

- 1 680 सपत्तियों को सील किया गया।
- 2 13018 सपत्ति कर नोटिस जारी किए गए।
- 3 272 कोर्ट केस दर्ज किए गए हैं।

यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सपत्ति कर और अग्नि कर बकाया को वसूली के लिए अगले वर्ष के लिए आगे बढाया जाता है।

अत नगर निगम गुरुप्राम द्वारा सपत्ति कर की वसूली की शुरूआत और प्रसंस्करण में कोई कमी नहीं है।

The Committee has desired that fresh/updated reply be submitted to the Committee for its consideration and recovery be expediated under intimation of the Committee

[17] Para No 4163 Non recovery of rent of shops

As per Demand and Collection Register for the year 2017-18 maintained in MCG and MCP shops lease rent amounting to Rs 1 35 crores was outstanding as on March 2018 as per details given below

Number of years for which outstanding	Number of shops	Amount outstanding (in lakh)
More than 10 years	106	81 53
Between five to 10 years	46	39 88
Between one to five years	38	13 68
Total	190	135 09

As is evident from the above table the rent was outstanding for the period exceeding 10 years as well MCs stated (April-June 2018) that notices would be issued to tenants for deposit of outstanding rent Thus notices were not issued to the defaulters by MCs which resulted in non-recovery of rent

The Department in its written reply stated as under -

नगर निगम गुरूग्राम द्वारा वित्तीय वर्ष 2017—18 के दौरान दुकान के किराए के रूप Gurugram में 18346 लाख रूपये की माग के खिलाफ 8606 लाख रुपये की राशी वसूल की गई है। नगर निगम गुरुग्राम में कुल 1093 दुकाने हैं तथा दुकान के किराए की वसूली के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है-1 100 नोटिस जारी किए गए। 2 43 कोर्ट केस चल रहे हैं। 24 दुकानों का दुकान किराया वसूली के लिए विचाराधीन है चार दुकानों को सील कर दिया गया है और सात दुकानो को किराए की पुन नीलामी के लिए नोटिस जारी किया गया है सडक चौडीकरण के चलते 24 दुकानो की तहबाजारी व लाइसेस फीस निरस्त कर दी गई है। सबधित नगर पालिका वार्ड पार्षद के सहयोग से नोटिस देकर एव व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से शेष दुकान किराया वसूल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस सबध में प्रस्तुत किया जाता है कि पहले नगर निगम पचकुला के अर्न्तगत Panchkula पचकुला व कालका तथा पिजौर जोन आते थे। इसके उपरान्त कालका तथा पिजौर जोन को कालका के रूप में अलग से परिषद बना दिया गया। कुल बकाया राशि रू 135 करोड तत्कालीन कालका और पिजौर सहित नगर निगम पचकूला के लिए लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुसार 11 14 लाख थे अब नगर परिषद कालका अलग से गठित है। 11 14 लाख रुपये बकाया की वस्ली मे से नगर निगम पचकूला द्वारा 189 लाख और नगर परिषद कालका द्वारा 925 लाख रूपये वसूल कर लिए गये हैं। अत इस पैरा में नगर निगम पचकुला कालका और पिजौर जोन सहित दर्शाई गई 11 14 लाख रूपये की राशी की पूरी तरह वसूली कर ली गई है। अत पैरा डाप करने का कष्ट करे।

The Committee has desired to keep the para pending

[18] Para No 4 1 6 4 Loss of revenue for trade and commercial activities

Sections 330 331 335 and 336 read with the Section 352 (2) of the HMC Act 1994 stipulate obtaining of permission/licence for carrying out various trade/commercial activities etc. in the municipal areas Annual fee for providing permission/licences has been prescribed by the MCG and MCP and in November 2008 and June 2016 respectively Scrutiny of records of MCG and MCP revealed that 6 187 units9 were carrying out various trades and commercial activities in the areas of these MCs as of March 2018 without permission/licences of the MCs. This resulted in non-generation of revenue of Rs 3 22 crores. On being pointed out MCG stated (April 2018) that notice would be issued to recover the fee while MCP stated (June 2018) that though the committee so formed finalised the rates of trade licenses in June 2016 yet the sanction from Government was pending.

as the Commissioner is fully competent for deciding the rates. The fact remains that MCs were not making adequate efforts to recover the amount with the result that huge potential of revenue on this account remained untapped.

The Department in its written reply stated as under -

Gurugram	एचएमसी अधिनियम 1994 की धारा 330 331 335 और 336 के प्रावधानों के तहत व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए व्यापार लाइसैस जारी करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्ष 2017—18 में राशि रू० 629 करोड़ की वसूली की गई है तथा अब तक कुल राशि 909 करोड़ की वसूल की गई है।
Panchkula	यह प्रस्तुत किया जाता है कि व्यापार/वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमित/लाइसेस प्रदान करने के लिए कुल 43 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 12 आवेदन अलग—अलग कारणों से खारिज कर दिए गए हैं और 31 आवेदन विचाराधीन है। अतिम निर्णय तदनुसार लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

The Committee has desired to kept the para pending

[19] Para No 4 1 6 5 Non recovery of Municipal Electricity Tax

Section 87 of the HMC Act provides that a tax on the consumption of energy at the rate five paisa for every unit of electricity consumed by any person within the limits of the municipality is leviable. Scrutiny of records of MCG revealed that tax on consumption of energy amounting to Rs 59 50 crores was recoverable from Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam Limited (DHBVNL) as of March 2018 Audit observed that proper action was not taken by MCG to recover the amount from DHBVNL MCP had not maintained any records regarding Municipal Electricity Tax recoverable from Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam Limited However MCP had realized Rs 6 61 crores as municipal electricity tax against the budget estimate of Rs 12 crores during 2015 18 MCP stated (June 2018) that recovery would be made as per demand. The reply is not tenable as MCP had not taken concrete steps to assess and recover the actual amount of tax Audit further observed that there were no proper mechanism to reconcile and timely recovery of the Municipal Electricity Tax from the DISCOMs As a result huge potential revenue remained untapped

Recommendation MCs concerned should strengthen the system for recovery of taxes, rent, fee, etc to make the municipalities self sustainable

The Department in its written reply stated as under -

Gurugram

सरकार के पत्र संख्या डीयूएलबी/बीए-2/2021/13547-13556 दिनाक 1905 2021 अनुसार 31 12 2020 तक की बिजली खपत पर 2 प्रति ात उपकर का निपटान किया है।

The Committee has desired to kept the para pending

[20] Para No 4 1 6 6 Loss of revenue due to delay in tendering process on outdoor advertisement

The Honble High Court of Punjab and Haryana permitted (November 2014) MCG to put unipoles for advertisement on 77 places There after MCG decided to put unipoles at 69 sites measuring 17 679 50 square feet Audit observed that MCG invited (September 2015) tenders for outdoor advertisement after lapse of nine months of the permission of the Honble High Court The contract was awarded (December 2015) to an outdoor media company at the rate of Rs 463 per square feet per month and the company started the work in March 2016 Had MCG invited the tenders immediately after the permission by Hon ble High Court the MC would have been able to earn additional revenue for 11 months11 which worked out as Rs nine crore 9 00 41 694) MCG stated (April 2018) that (17679 50x463x11=Rs reserve price for auctioning of advertisement rights was to be finalized by a committee headed by Divisional Commissioner and meeting of committee was held only in April 2015 and subsequently tenders were floated in July 2015 Audit is of the opinion that MCG should have insisted the committee for finalization of reserve price at the earliest to avoid loss of revenue of huge amount. Had the Committee headed by the Divisional Commissioner held the meeting immediately after the orders of the Honble High Court of Punjab and Haryana for fixationof reserve price revenue of Rs nine crores would have been earned Responsibility should be considered to be fixed for the loss due to delay in fixation of reserve price

The Department in its written reply stated as under -

Gurugram

यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2012 के सीओसीपी 2695 में पजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ श्री नवदीप के असिजा ने एमसीजी क्षेत्र में विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए 77 साइटो की पहचान की और उन्हें स्वीकार किया। श्री नवदीप के असिजा की रिपोर्ट को एमसीजी द्वारा 2012 के सीओसीपी सख्या 2695 में माननीय उच्च न्यायालय में दायर हलफनामें के माध्यम से स्वीकार किया गया था। इसके बाद एमसीजी द्वारा हलफनामें के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने एमसीजी को निविदा आमित्रत करने की अनुमित दी थी। इन 77 साइटो के लिए 21 11.2014 को। उच्च न्यायालय ने निविदा आमित्रत करने के आदेश दिनाक 24 12 2014 को सीएमसी को अनुमोदन के लिए ईई (एनएफ) द्वारा मामले में आदेश और बैठक के निर्धारण के लिए रखा गया था। 05 01 2015 को सीएमसी कार्यालयों में एक बैठक आयोजित की गई थी साइट के सत्यापन के बाद 69 यूनीपोल के स्थान को सिमित द्वारा अनुमोदित किया गया था। सीई द्वारा 19 01 2015 को निविदा के आरक्षित मूल्य के निर्धारण के लिए मामला रखा गया था

क्योंकि पैरा के अनुसार 5 (ए) हरियाणा नगर पालिकाओं बाहरी विज्ञापन नीति 2010 नगर निगमों के मामले में मंडल आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तय किए गए आरक्षित मूल्य से कम दरों को उद्धृत करने वाली कोई निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी तथा इसके लिए एक बैठक की तिथि एवं समय निर्धारित करने के लिए मंडलायुक्त से अनुरोध किया गया था लेकिन सभागीय आयुक्त के कार्यालय ने फाइल को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात दिनाक 22 01 2015 को सभागीय आयुक्त को 69 यूनीपोल के आरक्षित मूल्य को अतिम रूप देने के सबध में एक लिखित सूचना भेजी गई। प्रत्युक्तर में मंडलायुक्त ने दिनाक 06 02 2015 को पंडोसी शहरो दिल्ली और नोएडा में बोर्डों / यूनिपोलों की तदनुरूपी दरे प्राप्त करना चाहा। तद्नुसार एमसीडी और नोएडा के आउटडोर मीडिया की दरे 23 02 2015 को प्राप्त कर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गईं। इसके बाद बैठक के निर्धारण के लिए ज्ञापन संख्या एमसीजी / सीई / 2015 / 435 दिनाक 12 03 2015 के माध्यम से समागीय आयुक्त गुरुग्राम को सचार भेजा गया था।

फलस्वरूप दिनाक 17 04 2105 को सभागीय आयुक्त गुरुग्राम की अध्यक्षता में आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई जो रु 450 प्रति वर्ग फीट प्रति माह के साथ 06 महीने की छोटी अविध के लिए निविदा आमित्रत की जा रही है जिसे अधिकतम 10 महीने तक बढाया जा सकता है। इसके अलावा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने और जिला अटॉर्नी एमसीजी के माध्यम से निविदा दस्तावेज की जाच के बाद निविदा 07 07 2015 को ऑनलाइन जारी की गई थी लेकिन कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद दिनाक 08 09 2015 को पुन निविदा जारी की गई।

उपरोक्त रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय से आदेश मिलने के बाद इस मामले में एमसीजी की ओर से कोई देरी नहीं हुई। मामला लगातार प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत था जैसे बैठक का निर्धारण निविदा दस्तावेजों की जाच करना। इन मानक विभागीय कार्यवाहियों को स्वीकित मिलने में कुछ समय लगता है।

The Committee has desired to kept the para pending

[21] Para No 4 1 6 7 Non realisation of revenue due to dishonoured cheques

MCs were receiving payments on account of house tax fire tax fee/charges earnest money deposit of tenders etc through cheques. These cheques were required to be deposited in banks and banks in turn were required to credit the amount in MCs accounts. In case of dishonour of cheques, the demands were required to be raised from the defaulters. Scrutiny of records of MCP revealed that 83 cheques of Rs. 20.27 lakh received on account of house tax fire tax fee/charges earnest money deposit of tenders etc. during January 2017 to May 2017 were dishonoured by the banks. However, the reasons for dishonoured cheques were not made available to Audit. It was further observed that the MCs had not monitored the realization of revenue of these dishonoured cheques from payers as a result revenue to the extent of Rs. 20.27 lakhs remained unrecovered.

On being pointed out by Audit MCP stated (May 2018) that demand had been against defaulters. The efforts made by MC to

realize the amount of dishonoured cheques were not adequate with the result that Rs 20 27 lakhs remained unrecovered

The Department in its written reply stated as under -

Panchkula

इस सबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अवधि जनवरी 2017 से मई 2017 के दौरान ग्रहकर अग्निकर फीस व निविदा फीस इत्यादी के रूप में 2027 लाख रू० की राशी के प्राप्त 83 चैक बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये जिसमें से 87 853 50 रूपये बकाया है। यह राशी उन भूस्वामियों के विरुद्ध पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। भविष्य में इस राशी की वसूली कर ली जाऐगी।

The Committee has desired to kept the para pending

[22] Para No 4 1 6 8 Non realisation of fire charges

Rule 11 (2) of Haryana Municipal (Formation and Working of Fire Brigade) Rule 1985 provides that in case of extinguishing of fire outside the jurisdiction of municipal area charges were to be recovered from the persons institutions villages to whom fire service was provided if the person to whom these services were rendered had not paid the amount action should be taken to recover the amount as arrear of land revenue under Section 98 of Haryana Municipal Act 1973

Scrutiny of record of MCG showed that an amount of Rs 25 48 lakhs on account of fire charges was lying outstanding against persons grampanchayats and institutions up to March 2018 MCG stated (April 2018) that notices were being issued to recover the outstanding fire charges Further developments were awaited (February 2021)

Recommendation Action should be taken to recover the fire charges as arrear of land revenue under Municipal Act, 1973

The Department in its written reply stated as under -

Gurugram

वर्ष 1999 से वर्श 2005 में (वर्ष में 2 माह के लिए) दमकल भाखा नगर निगम गुरूग्राम तत्कालीन नगर परिशद से उपायुक्त गुरूग्राम के आदेशानुसार गर्मी में फसल कटाई के सीजन में लगने वाली आग को बुझाने हेतु दमकल गाडी नूह/फिरोजपुर झिरका मेवात में रू० 20000/— प्रति माह चार्जिज पर भेजी गई थी। जिसकी कुल राशि रू० 192260/— बनती थी।

सम्बन्धित राशि की रिकवरी हेतू पत्र क्रमाक MCG/FS/BN/935 & MCG/FS/BN/941 dated 06 08 2020 & 09 09 2021द्वारा बिल भेजकर पत्राचार किया गया है जिसकी अभी तक उपमण्डल अधिकारी (सिविल) फिरोजपुर झिरका द्वारा अदायगी नहीं की गई है।

अब हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अग्निशमन अधिनियम 2022 के तहत इस राशी की छूट प्रदान कर दी गई है। अत पैरा ड्राप करने का कष्ट करे।

The Committee has desired to kept the para pending

[23] Para No 4 1 6 9 Non recovery of contract amount

As per terms and conditions of bid documents the contractors for lifting of dead animals were required to deposit 50 per cent of the contract amount at the time of opening of bid and balance amount was to be deposited on the execution of agreement. In case the contractor failed to deposit the amount at the time of execution of agreement, the contract would be cancelled and 50 per cent amount deposited at the time of opening of bid would be forfeited.

Scrutiny of records of MCP revealed that four contractors were allotted the work of lifting of dead animals at a contracted amount of Rs 42 62 lakhs during the period 2016-18. The contractors had deposited only Rs 29 31 lakhs and balance amount of Rs 13 31 lakhs was not deposited. Audit observed that MCP neither recovered the outstanding amount nor cancelled the contract agreement MCP stated (June 2018) that notices had been issued to all the contractors for recovery of outstanding amount but further developments about recovery were awaited (February 2021)

Recommendations MC may ensure that the contract amount should be deposited as per agreement within prescribed time limit

The Department in its written reply stated as under -

Panchkula

यह प्रस्तुत किया जाता है कि एमसी पचकूला ने सभी ठेकेदारों को बकाया राशि की वसूली के लिए पहले ही नोटिस जारी कर दिया है लेकिन राशि अभी भी बकाया है। यहा यह उल्लेख करना उचित होगा कि चूककर्ताओं को फिर से नोटिस जारी किया जाएगा ओर शेष राशि रु 1331 लाख की वसूली जल्द से जल्द की जाएगी।

The Committee has desired to kept the para pending

[24] Para No 4 1 7 1 Encroachment of land

Section 408 of HMC Act stipulates that no person shall without authority in that behalf remove earth sand or other material or deposit any matter or make any encroachment in or on any land vested in the Corporation or in any way obstruct the same Further Section 408A provides that in case of any encroachments or un-authorized occupation of Land by any person/bodies the Corporation will take timely action for getting the same freed from encroachment

Scrutiny of records of MCG showed that 31 37 acres of land valuing Rs 232 64 crores (other than court cases) was under encroachment in various areas of thecity as of March 2018 MCG was empowered under Section 408A to take possession of the premises/land or building/structure constructed on the land or demolishes unauthorized construction or restore to its original state but appropriate action was not

taken against the encroachers MCG stated during exit conference (April 2018) that action would be initiated against encroachers Further developments were awaited (February 2021)

Recommendations The MC should take prompt action to remove any encroachment of MC land and also take appropriate action against encroachers

The Department in its written reply stated as under

Gurugram	उक्त	पैरे के सब	ध मे मार	ो गई सूच	ना निम्न प्रकार	र है-	
	東0	गाव का नाम	रकबा जिस पर अवैध कब्जा है।	रकबा जो कब्जे से मुक्त कराया जा चुका है।	रकबा जिस पर कार्यवाही की जा रही है।	रकबा जिस पर कोर्ट केस है।	विवरण
	1	धनवापुर	4-3	-	-	_	रकबा 4K 3M HSVP द्वारा अर्वाङ न0 14 दिनाक 12 03 1991 से एकवायर हो चुका है।
	2	गाडौली खुर्द	0-4	0-2	_		मौका पर खाली है। oK—2M रकबा से गैर मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय मे कार्यवाही की जा रही है
	3	सिही	2-0	2-0	-	_	मौका पर खाली है।
	4	कादीपुर	49—16	0-16	-	सिविल कोर्ट गुरूग्राम (CS2499/2020) आगामी तिथि 09 08.2022 रकबा 49K—0M	मौका पर तार फेंसिग की हुई है तथा पार्क खेल ग्राउण्ड (वैडिमेटन कोर्ट व वालीवाल ग्राउण्ड)बनाया हुआ है।
	5	नरसिइपुर	48-0	_	_	_	48K—0M रकबा से गैर मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय मे कार्यवाही जा रही है
	6	कार्टरपुरी	2-3	-	-	-	रकबा 2K 3M HSVP द्वारा अर्वांड न0 4 दिनाक 19 07 1985 से एकवायर हो चुका है।
	7	बूण्डाहेडा	7-2	0-2	-	_	मौका पर खाली है तथा 2K-0M रकबा से गैर मौकसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेणी

 				,		
						गुरूग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है तथा 5K 0 M रकबा HSVP द्वारा अर्वाड न0 212 दिनाक 22 12 2016 से एकवायर हो चुका है।
8	गुड़गाव गाव	29-0	-			1K-0M रकवा से गैर मौरूसी को वेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। व 9K-5M रकवा से गैर मौरूसी को वेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है तथा 18K-15M रकवा से गैर मौरूसी को वेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है तथा 18K-15M रकवा से गैर मौरूसी को वेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है
9	सरहौल	22-14	-	_	-	22K—14M रकबा से गैर मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है
10	सुखराली	13-14	2-3	11 Kanal 11 Marlaभूमि पर दिनाक 30 01 2018 को HMC Act 1994 Section 408 (A)के तहत नोटिस जारी किया हुआ है।	_	मौका पर चारदीवारी की हुई है।
11	सिकन्दरपुर घोसी	52-0	10-10	41 Kanal 10 Marlaभूमि पर दिनाक 24 03.2017 कोHMC Act 1994 Section 408 (A) के तहत नोटिस	-	मौका पर खाली है।

£

=

Ŧ

प्राचित करें 12 घाटा 39-5 20-5 18 Kanal 0 Marlaqfil पर शिवित कोट शिवत कोट शिवित केट शिवत केट शिवित केट शिवत केट शिवित केट शि	 						
Marlasमूति पर दिनांक 24 08 2016 HMC Act 1994 Section 408 (A)के तहत नीटिस जारी किया हुआ है 140 - 140 140 - 140 140					जारी किया हुआ है।		
पहाड़ी स्वित्व केट किस किस	12	घाटा	39-5	20-5	Marlaभूमि पर दिनाक 24 08 2016 HMC Act 1994 Section 408 (A)के तहत नोटिस जारी	सिविल कोर्ट गुरूग्राम मे केस लम्बित है। आगामी	मौका पर खाली है।
Maria भूमि पर दिनाक 10 10 2019 कोHMC Act 1994 Section 408 (A) के तहत नेटिस जारी किया हुआ है।	13		96-3	25—0	Marla भूमि पर दिनाक 24 08 2016 को HMC Act 1994 Section 408 (A)के तहत नोटिस जारी किया	केस सिविल कोर्ट गुरूग्राम में केस लम्बित है। आगामी	मौका पर खाली है।
पर दो केस सिविल कोर्ट गुरूग्राम मे लिम्बत है। आगामी तिथि 22 08 2022 28 11 2022 16 बेगमपुर खटौला — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	14	नाथ्पुर	143-6	40-0	Maria भूमि पर दिनाक 10 10 2019 कोHMC Act 1994 Section 408 (A) के तहत नोटिस जारी		
खटौला एकबाHSIIDCने अवार्ड न0 2 दिनाक 18 11 2005 से एकवायर किया हुआ है। 17 नाहरपुर 13—13 — — 13K—13Mरकबा से गैर गौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है	15	बादशाहपुर	35—13	1—15	-	पर दो केस सिविल कोर्ट गुरूग्राम मे लम्बित है। आगामी तिथि 22 08 2022	
मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलेक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय मे कार्यवाही की जा रही है	16		3-12	_	_	_	रकबाHSIIDCने अवार्ड न0 2 दिनाक 1811 2005 से एकवायर किया
18 टीकरी 3—12 — — — 3K12Mरकबा से गैर	17	नाहरपुर	13—13	-	-	-	मौक्तसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय मे
	18	टीकरी	3-12	_	-	_	3K12Mरकबा से गैर

19	बहरामपुर	16-2	60	-	10K—2M रकबा सिविल कोर्ट गुरूग्राम मे केस लम्बित है। (3057/2015)	मौकसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है मौका पर खाली है।
20	झाडसा	18-10		_	_	18K—10M रकवा HSVP ने अवार्ड न0 9 दिनाक 5 07 2000 से एकवायर हो चुका है।
21	समसपुर	0-3	_	-	_	OK—3M रकबा से गैर गौरुसी को बेदखल कराने के सहायक कलैक्टर प्रथम क्षेणी गुरूग्राम के न्यायालय मे कार्यवाही की जा रही है।
22	आदमपुर	16-10	-	_	_	16K—10M रकबा HSVP ने अवार्ड न० 23 से _ दिनाक 29 12.2005 से एकवायर हो किया हुआ है।
23	इस्लामपुर	3-0	_	_	_	3K-oM रकबा से गैर मौरूसी को बेदखल कराने के लिए सहायक कलैक्टर गुरूग्राम के न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है
7	कुल योग	K M 620 10 (77 65 Acer)	K M 158 13 (20 Acer)	K M 243 10 (30 Acer)	K M 46 16 (6 Acer)	गैर मौरूसी— 122K—2M अवार्ड —49K—18M (21 Acer)

- 1 कुल 77 65 एकड भूमि अतिक्रमण के अधीन है और जिसमे से 13 39 एकड भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया गया है।
- एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी द्वारा 21-52 एकड गैर मौरसी भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
- 3 28 64 एकड भूमि पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

प्वाइट नबर 3

Sr No	Name of Village	Area K M	Remarks
1	Sukralı	11 11	Notices have been issued by the
2	Sıkanderpur Ghoshı	41 10	concerned Joint Commissioner Municipal Corporation Gurugram

3	Ghata	18-0	under section 408(A) of the Haryana Municipal Corporation Act
4	Gwal Phan	55-3	1994 to the encroachers
5	Nathupur	103 6	
	Total	229-10 (Acre 28 64)	

The Committee has desired to kept the para pending

[25]

Para No 4172 Irregular running of marriage palaces/halls

Sections 250 254 and 330 of the HMC Act provide that requisite permission was required to be taken from the Commissioner of the MCs for erection of building or the execution of a work alter enlarge or extend any factory workshop or trade premises. If erection of any work has been completed or commenced without sanction referred to in Section 254 the Commissioner in addition to any other action make an order of demolition.

Scrutiny of records of MCG and MCP revealed that 75 banquet halls 13 were running irregularly without obtaining permission from the Corporations Audit observed that neither any process to regularize the marriage palace nor any action for demolition of structure had been taken by the Corporations MCP stated (June 2018) that action is being taken to regularise the illegal marriage palaceswhile MCG (April 2018) stated that notices had been issued to the owners which are running without permission

Recommendation MCs may take corrective action of illegal marriage palaces as per Act which is running without permission

The Department in its written reply stated as under -

-	
Panchkula	इस सबध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित वार्ड एपीओं को नगर निगम पचकूला में चल रहे अवैध मैरिज पैलेसों का सर्वेक्षण करने के लिए कार्य आविटत किया गया है और सर्वेक्षण पूरा होने के बाद एचएमसी अधिनियम 1994 के अनुसार नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
Gurugram	भैरिज पैलेस/हॉल के अनियमित सचालन का मामला भी माननीय लोकायुक्त हिर्याणा के अधिकार क्षेत्र में 2016 की शिकायत सख्या 110 के तहत है जिसमें जिसमें मैरिज हॉल/बैंकेट हॉल के अवैध निमार्ण के सबध में एक तकनीकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की सिफारिश की गई है और नगर पालिकाओ जिला प्रशासन टाउन एड कट्टी प्लानिंग के तहत प्राधिकरणों की सयुक्त समिति जो ऐसे निमार्णों को हटाने के लिए निगरानी और कदम उठाएगी।माननीय लोकायुक्त हरियाणा के आदेशों की अनुपालना में शिकायत के सभी पहलुओं की जॉच करने और उचित सिफारिशे/कार्रवाई हेतु अतिरिक्त आयुक्त मुख्य नगर योजनाकार एमसीजी उप—मण्डल मजिस्ट्रेट उप—मण्डल बादशाहपुर गुरूग्राम और जिला नगर योजनाकार (योजना) टी एड सीपी गुरूग्राम की एक समिति का गठन आयुक्त नगर निगम गुरूग्राम द्वारा जारी आदेश क्रमाक एमसीजी/स्था/ओए—!/ 2022/15119 दिनाक

14 04 2022 के तहत किया गया है। उक्त समिति ने पहले ही दो बैठके बुलाई हैं तथा विभिन्न कार्यालयों से रिपोर्ट प्राप्त करने हेतू प्रक्रियाधीन है। इसे सकलित किया जाएगा और सिफारिशों को उचित कार्रवाई हेतू सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

The Committee has desired to kept the para pending

[26] Para No 4173 Loss due to lack of co ordination between MCG and Police Department

Section 201 of the Motor Vehicle Act 1988 provides that such officer or authority as the State Government may by notification in the official Gazette authorise shall recover penalty or towing charges from the vehicle owner or person in-charge of such vehicle. Towing charges includes any costs involved in the removal of the motor vehicle from one location to another.

On request of Traffic Police Gurugram towing vehicles were hired (January 2016) by MCG from a contractor and kept at the disposal of the Traffic Police Gurugram for towing vehicles parked in the non parking areas and imposing penalties. The amount of penalty (other than the penalty levied by Police Department) was to be shared in the ratio of 66.34 between the contractor and MCG. As per term and conditions of contract with MCG, the towing charges were required to be collected by the contractor. However, only such officer, which is authorised by State Government under Section 201 of the Motor Vehicle Act 1988, was required to recover the penalty or towing charges and neither the MCG nor the contractor engaged by MCG fall under this category.

Test check of records of the MCG revealed that the contractor provided (18 January 2016) seven cranes which remained at the disposal of Police Department up to 29 February 2016 but the towing charges from the defaulters was not collected by contractor as neither the permission was granted by the police department for collection of the same to contractor nor was it possible to authorize the contractor in view of provisions of Section 201 of Motor Vehicle Act 1988 Consequently towing charges of the vehicles could not be recovered MCG paid hiring charges amounting to Rs 15 93 lakhs at the rate of 4 750 per crane per day to the contractor for this period. These cranes were again provided to the Police Department on the same term and conditions during 29 July 2016 to 30 November 2016 but no towing charges was collected. However payments of Rs 60 80 lakhs was made (December 2016 and March 2017) to the contractor. Thus MCG suffered loss of Rs 76 73 lakhs dueto undertaking activities outside its purview.

MCG stated (June 2017) that penalty for unauthorized parking was imposed by the Police Department and revenue was also earned at their level. The reply is not tenable as MCG took up activities outside its domain without any Memorandum of Understanding (MoU) or agreement with the police department to recover charges for the services being provided by or through MCG. This resulted in an irregular expenditure of

Rs 76 73 lakhs which was notapart of function of MCG

The Department in its written reply stated as under

Gurugram

- चक्त पैरा के सदर्भ में लिखा जाता है कि संयुक्त पुलिस आयुक्त यातायात गुरूग्राम एवं सहायक पुलिस आयुक्त यातायात गुरूग्राम के अनुरोध पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ई—टैण्डरिंग के माध्यम से टैण्डर आमित्रत करके जनिहत में 7 केने शहर में यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने हेतु नगर निगम गुरूग्राम द्वारा मैसर्ज सजय कान्ट्रैक्टर वी०पी०ओ० खेरू जिला भिवानी को कार्यालय द्वारा जारी वर्क—आर्डर ∕ आदेश पत्र कमाक EE(S)/MCG/2016/2405िदनाक 1301 2016 की पालना में फर्म के द्वारा दिनाक 1801 2016 से (6+1)कुल 7 केने यातायात पुलिस गुरूग्राम को उपलब्ध करवाई गई।
- 2 निविदाये आमित्रत करते समय पुलिस विभाग के द्वारा पूर्व में ऐसी कोई बिदश नहीं थी कि नगर निगम गुरूग्राम को गलत वाहन पार्किंग के लिये वाहन चालकों के विरूद्ध चालान करने के लिये जी—8 या रसीद जारी करने का अधिकार नहीं होगा।
- 3 पुलिस विभाग द्वारा इन केनो का प्रयोग गुरूग्राम शहर में यातायात को व्यवस्थित करने के लिये किया गया। जिसके लिये पुलिस विभाग ने चालान किये गये वाहनो की तथा उनके द्वारा इस अवधि में चालान—राशि की रसीद पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित चालान—बुक में काटी गई। नगर निगम गुरूग्राम हेतु कोई चालान राशि प्राप्त नहीं की गई।
- 4 मामला सज्ञान मे आने के उपरांत पुलिस विभाग को नगर निगम कार्यालय के पत्र कमाकMCG/JC(HQ)/CFMS/2016/13023दिनाक 13 03 2016 के द्वारा अनुरोध किया गया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा जारी की गई जी–8/रसीद बुक मे चालान राशि प्राप्त करने की अनुमित प्रदान की जाये। ताकि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा उपलब्ध करवायी गई केनो के लिये किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय हानि न हो। यदि पुलिस विभाग द्वारा अनुमित प्रदान नहीं की गई तो नगर निगम गुरूग्राम दिनाक 01 04 2016 से पुलिस विभाग को उपलब्ध करवायी गई सभी केने हटा लेगा तथा पुलिस विभाग द्वारा नगर निगम को चालान राशि प्राप्त करने की अनुमित न प्रदान करने के फलस्वरूप नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध करवायी गई सभी केने दिनाक 01 04 2016 से हटा ली गई थी।
- 5 इसी दौरान गुरूग्राम शहर में बारिश के मौसम में महाजाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस आयुक्त गुरूग्राम ने उनके कार्यालय के पत्र कमाक 18109 दिनाक 28 07 2016 के द्वारा अनुरोध किया कि जिला गुरूग्राम में बढ़ते हुये वाहनों की अधिकता के कारण हर रोज कही ना कही जाम की स्थिति बनी रहती है तथा बारिश का मौसम होने के कारण सड़क पर कोई भी वाहन खराब होने की वजह से जाम की विकट स्थिति हो जाती है इसके अतिरिक्त वाहन मालिको द्वारा अपनी गाडियों को अवैध तरीके से सड़क के साथ खड़ी कर देने के कारण अक्सर यातायात व्यवस्था बाधित हो जाती है। इसलिये पुलिस विभाग को 6 केने किराये पर उपलब्ध करवायी जाये। इसके अतिरिक्त श्री वाई पूरण कुमार सयुक्त आयुक्त पुलिस गुरूग्राम द्वारा जारी अर्द्ध—सरकारी पत्र कमाक 829 31/JCPदिनाक 03 08 2016 ने अनुरोध किया कि बरसात के कारण महा—जाम की

- विकट स्थिति से निपटने के लिये भीघ्र अति भीघ्र 15 केने उपलब्ध करवायी जाये।
- 6 नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आम नागरिको को महाजाम की विकट स्थिति में सुविधा प्रदान करने तथा महाजाम की विकट स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुरूग्राम शहर की धूमिल हो रही छवि को सुधारने में नगर निगम का दायित्व समझते हुये तथा पुलिस विभाग द्वारा किये गये अनुरोध को स्वीकार करते हुये तुरन्त प्रभाव से 7 केने दिनाक 2907 2016 से यातायात को दुरूस्त करने के लिये पुलिस विभाग को उपलब्ध करवाई गई।
- 7 महाजाम की विकट स्थिति से निपटने के साथ—साथ माननीय प्रधानमत्री भारत सरकार दिनाक 01 11 2016 को हरियाणा स्वर्ण जयती समारोह के आयोजन मे गरिमामयी उपस्थिति के मददे—नजर पुलिस विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि नगर निगम गुरूग्राम उपलब्ध करवायी गई सभी 7 केने पुलिस विभाग के अर्न्तगत ही कार्य करती रहेगी। जिसकी पुष्टि आयुक्त पुलिस गुरूग्राम ने उनके कार्यालय के पत्र कमाक 26840 दिनाक 24 11 2016 पुलिस विभाग ने नगर निगम गुरूग्राम द्वारा उपलब्ध करवायी गई सभी 7 केनो का प्रयोग यातायात दुरूस्त करने हेतु किया गया।
- 8 नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पुलिस विभाग को कार्यालय के पत्र कमाक 61426 दिनाक 04 12 2016 के द्वारा अनुरोध किया गया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध करवायी जाने वाली केनो के लिये 4750/ रूपये प्रति केन सर्विस टैक्स प्रतिदिन की दर से किराये पर ली हुई तथा जिनका भुगतान निगम द्वारा किया जाना पड रहा है। परतु नगर निगम गुरूग्राम को कोई राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है जिसके कारण निगम को अतिरिक्त राजस्व आय का नुकसान उठाना पड रहा है। इसलिये नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पुलिस विभाग को उपलब्ध करवायी जा रही सभी 7 केनो को दिनाक 30 11 2016 से पुन हटा लिया गया था।
- 9 जिसके उपरात पुलिस आयुक्त गुरूग्राम ने उनके कार्यालय के पत्र कमाक 28973 दिनाक 16 12 2016 के माध्यम से नगर निगम द्वारा जारी जी 8/-रसीद बुक मे गलत पार्किंग करने वाले वाहन चालको के विरूद्ध चालान राशि काटने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
- 10 पुलिस विभाग द्वारा जारी सत्यापन के अनुसार मैसर्ज सजय कान्ट्रैक्टर वीठपीठओठ खेरू जिला भिवानी ने दिनाक 18 01 2016 से दिनाक 18 12 2016 तक उपलब्ध करवायी गई 7 केने पुलिस विभाग को उपलब्ध करवायी गई। परतु फर्म को जी–8/रसीद जारी न करने के फलस्वरूप कोई आय प्राप्त नहीं हुई। जबिक पुलिस विभाग के सत्यापन अनुसार इन केनो द्वारा उक्त अवधि में कार्य लिया गया इसलिये जनिहत में निगम द्वारा अनुमोदित फर्म के माध्यम से उपलब्ध करवायी गई 7 केनो की अदायगी निगम कार्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित रेट पर की गई।
- 11 फर्म द्वारा उपलब्ध करवायी गई केनो ने पुलिस द्वारा यातायात को व्यवस्थित करने तथा महाजाम की स्थिति से निपटने के लिये अहम भूमिका निभाई है। जहाँ तक राजस्व की हानि का प्रश्न है यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि पुलिस विभाग द्वारा अपने स्तर पर चालान काटकर राजस्व की प्राप्ति की गई है।
- 12 नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पुलिस विभाग के साथ लगातार समन्वय स्थापित

किया गया था। इसलिये यह कहना कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित नही किया गया न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अत पैरा समाप्त करने की कृपा करे।

अत पैरा समाप्त करने की कृपा करे।

The Committee has desired to kept the para pending

[27] Para No 4.1 7 4 Shortage of staff

The overall position of staff sanctioned and persons-in position as at end of March 2018 was as under

Position of staff sanctioned and persons-in position

Category of staff	Name of MC	Sanctioned staff	Persons in position	Shortage (Percentage)
Technical	MCG	85	62	23 (27)
(Group A B and C)	MCP	69	47	22 (32)
Non Technical	мсв	31	19	12 (39)
(Group A and B)	МСР	06	03	03 (50)
Nor Technical	MCG	425	81	344 (81)
(Group C)	MCP	84	14	70 (83)
	MCG	94	19	75 (80)
Group D	MCP	17	10	07 (41)
Total		811	255	556 (69)

It would be seen that there was shortage of manpower resources in various cadres ranging between 27 and 83 per cent as on March 2018

Recommendations The MCs concerned may take steps to fill up vacant posts in order to streamline the functioning of the Municipality and increase efficiency

The Department in its written reply stated as under

Panchkula	नगर निगम पचकूला की नवीनतम स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है –								
!	Sr Category of Post		Sanctioned Post	Filled Up	Vacant Post	Remarks			
	1	Technical (Group A B and C)	41	14	27	Salary of DTP is drawn against the vacant post of Dy MC			
	2	Non Technical (Group A and B)	13	5	8				
	3	Non Technical (Group	62	36	26	(i) 14 DEOs have been engaged			

Total	I	1028	622	406	
4	Group D	912	567	345	557 Safar Karamcharis have been engaged on Palika Roll against vacant posts of Safar Karamcharis
	C)				through HARTRON against vacan posts (ii) 1 Draftsmar has been engaged under Part II

उपरोक्त के अलावा इसके सुचारू सचालन के लिए 553 सविदा कर्मचारियो को भी लगाया गया है।

Gurugram

नगर निगम गुरूग्राम की नवीनतम स्टाफ की स्थिति निम्नानुसार है -

Sr No	Category of Post	Sanctioned Post	Filled Up	Vacant Post
1	Technical (Group A B and C)	97	36	61
2	Non Technical (Group A and B)	20	16	04
3	Non Technical (Group C)	212	103	109
4	Group D	98	52	46
	Total	427	207	220

उपरोक्त के अतिरिक्त नगर निगम के कार्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु 1793 कर्मचारीयों को अनुबन्ध आधार पर रखा गया है। यहा यह भी उल्लेख किया जाता है कि हरियाण राज्य के शहरी स्थानीय निकाय विभाग में निम्न विवरण अनुसार 1022 पदों को भरने हेतु हरियाणा राज्य चयन आयोग को माग भेजी हुई है

Sr No	Name of Posts	Requisition No	No of post	Date
1	JE (Cıvıl)	RQ 1414	98	10 02 2022
2	JE (Horiculture)	RQ 1439	7	10 02 2022
3	JE (Electrical)	RQ 1415	8	10 02 2022
4	Accountant	RQ 1417	37	10 02 2022
5	Steno Typist	RQ 541	67	11 02 2022
6	Clerks	RQ 1390	393	11 02 2022
7	Draftsman	RQ 1526	59	11 02 2022

	8	Sanitary Inspector	RQ 539	50	11 02 2022
		Peon(HQ)	RQ 1046	40	13 06 2022
	10	Executive Officer	RQ 1712	2	17 02 2022
	11	Secretary (Municipal Committee)	RQ 1715	14	17 02 2022
	12	Secretary (Municipal Council)	RQ 1716	8	17 02 2022
	13	Peon(Field)	RQ 1916	53	24 06 2022
	14	Beldar	RQ 1047	88	24 06 2022
	15	Malı	RQ 1040	39	24 06 2022
	16	Malı cum Chowkıdar	RQ 1039	11	24 06 2022
	17	Assistant Pump Operator	RQ 1034	34	24 06 2022
	18	Bill Distributor	RQ 1038	14	24 06 2022
	19	Municipal Engineer		44	21 10 2022
		Total		1066	

The Committee has desired to kept the para pending

[28] Para No 4 1 7 5 Non-preparation of Annual Accounts

Section 168 of HMC Act read with paragraph III 7 (1) of the Municipal Account Code 1930 provides that an Annual Account for every year in respect of Municipality was to be prepared. Audit observed that Annual Accounts were not being prepared by MCP since its inception (March 2010). However income and expenditure statement was being prepared in MCP. Due to non preparation of Annual Accounts the true and fair view of the affairs of MCP could not be ascertained. Moreover during audit of MCP (February 2021 to June 2021) also it was observed that Annual Accounts were still not being prepared by MCP.

The Department in its written reply stated as under

Panchkula नगर निगम पचकुला में वर्षिक लेखे तेयार किये जा रहे है तथा वित्त वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखे सिटि फाईनैंस पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये है।

The Committee has desired to kept the para pending

[29] Para No 4 2 2 Financial management

4 2 2 1 Delay in release and unauthorized retention and utilization of funds

Paragraph 9 5 of the mission guidelines stipulates that State should release the Central Assistance funds along with State share to the ULBs within seven working days of release of central share Scrutiny of records of Director General ULB revealed that the State Government released Central Assistance along with States hare after a delay of three to seven months as per details given below

Delay in the release of Grants

(Rs In crores)

Sr No	Grant Received (Central Share and State Share)	Date of sanction by State Government	Date of release to ULBs	Grant released	Delay
1	87 60	20 February 2016	03 October 2016	79 6	7 months 13 days
2	101 76	22 September 2016	16 January 2017	72 49	3 months 24 days
3	123 50	11 December 2017	27 March 2018	130 00	3 months 16 days
	312 86			282 09	

Source Director General Urban Local Bodies Panchkula

It was further noticed that the Director General ULBs released *Rs* 282 09 crores as against the sanction of *Rs* 312 86 crores after retaining *Rs* 30 77 crores Out of this an expenditure of *Rs* 12 85 crores was incurred as Administrative and Office Expenses (A&OE) and *Rs* 17 92 crores had been lying with the Directorate Spending of projects fund on A&OE and retaining of funds by Directorate was irregular as the funds were meant for implementation of the projects

The Department in its written reply stated as under -

AMRUT

- 313 36 करोड़ रुपये की राशि अमृत योजना के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार दारा वर्ष 2015—16 2016—17 और 2017—18 के दौरान जारी की गई थी
- हिरयाणा राज्य मे हिरयाणा अर्बन इफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेट बोर्ड (एचयूआईडीबी) को अमृत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेसी के रूप मे नामित किया गया है। 313 36 करोड रुपए मे से 289 85 करोड रुपये विभिन्न नगर पालिकाओं को जारी कर दिए गए थे और 23 51 करोड HUIDB के खाते मे रखे गए थे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उस समय सभी काम जोरो पर नहीं थे। कुछ नगर पालिकाओं मे कार्य प्रगति पर थे जबिक कुछ नगर पालिकाओं मे काम की प्रगति बहुत धीमी थी। यदि नगर पालिकाओं को धनराशि जारी कर दी जाती तो इसके परिणामस्वरूप कुछ नगर पालिकाओं मे धन अनाव यक रूप से जमा हो जाता और अन्य पालिकाओं के लिए धन की कमी हो सकती थी (जहा काम की प्रगति जोरो पर थी)।
- अमृत योजना के तहत जारी फड का उपयोग पालिकाओ द्वारा अन्य कार्यों/उद्देश्यों के लिए होने की सभावना थी। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि यह शेष राशि एचयूआईडीबी के खाते मे रखी जानी चाहिए और इसे नगरपालिकाओं को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार राशि जारी की जानी चाहिए।
- भारत सरकार से A&OEफड प्राप्त नहीं हुए थे और डीपीआर/डीएनआईटी तैयार करने का कार्य प्रगति पर था। इसलिए परियोजना के कार्यान्वयन में अनावश्यक देरी से बचने के लिए सलाहकारों को परियोजना घटक के तहत उपलब्ध राशि से भुगतान किया गया था। A&OEघटक के तहत अनुदान प्राप्त करने के बाद धनराशि रिकूप कर दी गई थी।

इस ऑडिट पैरा को ड्रॉप करने का कश्ट करे।

The Committee has desired to kept the para pending

[30] Para No 4 2 2 2 Non-utilization of funds

Audit observed that out of *Rs* 282 09 crores released to 18 municipalities only three 15 municipalities spent *Rs* 60 05 crores (*21 per cent*) on projects during 2015 17 and balance amount of *Rs* 222 04 crores was lying in the bank accounts Thus implementation of the projects and utilization of funds was very slow. Due to non utilization of funds of first instalments the Department could not claim secondand third instalments from GOI

MC Faridabad stated (July 2018) that amount could not be spent as the project was yet to be finalised

An amount of Rs Five crore was released by GOI in July 2015 for preparation of SLIPs and capacity building of ULBs Out of this funds were released to 18 municipalities at Rs 25 lakhs each in February 2016 Audit however observed that the amount had not been utilized by any of the municipalities except MC Sirsa (₹1 50 lakh)

Further it was observed that an amount of Rs 25 lakhs had not been credited in the bank accounts of MC Sonipat though a period of more than two years had elapsed since the release of funds MC Sonipat admitted (February 2018) that the amount had not been received and added that the matter had been taken up with the Directorate

The Department in its written reply stated as under

AMRUT

- (a)
- 1 अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) भारत सरकार द्वारा जून 2015 में शुरू की गई थी।
- अमृत योजना की धीमी गित और भारत सरकार से धन का दावा नही करने के कारण निम्नानुसार है —
 - (i) पहले यह दुविधा थी कि अमृत योजना का सचालन जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग द्वारा किया जाना है या शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाना है। अमृत परियोजना को अप्रैल 2017 तक शुरु नहीं किया जा सका था।
 - (II) विभागों के बीच लंबी चर्चा के बाद दिनाक 22 06 2017 को यूएलबीएम एमपीएचई एपीएससीएम एसीएस—पीएचईडी पीएस—यूएलबी ईआईसी—पीएचईडी सीई—यूएलबी और ओएसडीसीएम (ए०एस०) की उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री हिरयाणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अमृत योजना का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा किया जाएगा।
 - (III) इसके बाद सरकार के हर स्तर पर काम की पर्याप्त प्रगति सुनिश्चित करने के लिए हर सभव प्रयास किए गए थे।
- 3 अमृत योजना के तहत धनराशि पालिकाओं को आवश्यकतानुसार वितरित किया गया ताकि धनराशि का समय पर उपयोग हो सके।
- 4 अमृत योजना के तहत फरीदाबाद शहर के लिए पहले कार्य का आबटन एसएलटीसी

द्वारा 28 08 0218 को आयोजित अपनी 20 वी बैठक में अनुमोदित किया गया था और उसके बाद वास्तविक निष्पादित कार्य के अनुसार ही धन का उपयोग किया गया था।

(b)

- 1 शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग एचएसवीपी टाउन एड कट्री प्लानिग विभाग और निकायों के सहयोग से स्वय ही एसएलआईपी/एसएएपी तैयार करने की पहल की गई और जिसके लिए कई बैठके/कार्यशालाए आयोजित की गई थी बिल्क कोई आउटसोर्स कर्मचारी नहीं लगाया गया था ।
- 2 इस तरह विभाग ने सरकार द्वारा आबटित धनराशि को बचा लिया। इस पैसे का उपयोग अमृत के तहत निष्पादित होने वाली पिरयोजनाओं के लिए किया गया। नगर निगम—सोनीपत ने सूचित किया है कि 25 00 लाख रुपये का अनुदान 02 / 2016 के दौरान SUPs तैयार करने और निकायों के कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्य के लिए प्राप्त हुए थे। अनुदान का उपयोग नहीं होने के कारण इसे इस कार्यालय द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से दिनाक 05 / 2022 में निदेशक शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा पचकूला को वापस कर दिया गया है।

The Committee has desired to kept the para pending

[31] Para No 4 2 2 3 Diversion of project funds towards pay and allowances

Paragraph 3 1 9 of the mission guidelines prohibits incurring of expenditure on purchase of land staff salaries power telecom health education wage employment etc Scrutiny of records however revealed that Municipal Corporations (MC) of Hisar and Ambala spent Rs 50 lakhs and Rs 88 20 lakhs respectively on pay and allowances which was in contravention of guidelines MC Hisar stated that amount would be recouped from MC funds

The Department in its written reply stated as under

AMRUT

नगर निगम—अबाला ने प्रस्तुत किया है कि नगर निगम—अबाला के पास कर्मचारियों को वेतन देने और सेवानिवृत्त लोगों को पेशन देने के लिए पर्याप्त धन की कभी के कारण नगर निगम द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के तहत अनुदान राशि पर ब्याज के रूप में अर्जित 88 20 लाख रुपये की राशि प्रतिपूर्ति के आधार पर नगर निगम निधि में हस्तातिरत की गई थी। ब्याज की उल्लिखित राशि की प्रतिपूर्ति धन की उपलब्धता के आधार पर सबधित शीर्ष में कर दी जाएगी।

नगर निगम—हिसार ने प्रस्तुत किया है कि 50 लाख रुपये की राशि दिनाक 24 01 2018 को अमृत परियोजना निधि से वेतन और भत्तो पर खर्च करने के लिए ली गई थी उसके बाद दिनाक 28 03 2018 को पालिका निधि से अमृत परियोजना के लिए 50 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति कर दी गई।

The Committee has desired to kept the para pending

[32] Para No 4 2 2 4 Non maintenance of separate bank account

As per Paragraph 9.1 of AMRUT guidelines funds were to be kept in separate bank account by the implementing agencies Scrutiny of the records revealed that no separate bank account of AMRUT scheme was maintained by the MC Faridabad. The scheme funds were kept in a common

bank account opened in the name of Municipal Corporation Faridabad In the absence of separate bank account the interest earned and its utilization on the scheme could not be ascertained

Recommendation The DULB may ensure that funds are released in time Further, the concerned MCs may ensure that funds should be utilised on the prescribed purpose and in time as per sanction

The Department in its written reply stated as under

AMRUT

इस सबध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनाक 07 10 2016 को एक अलग बैंक खाता खोला गया था तथा सरकार के सशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार इस खाते को बद कर दिया गया था और वर्तमान में एचडीएफसी बैंक में अमृत योजना के लिए एक नया खाता खोला गया है जिसकी खाता संख्या 50100469305837 है जो कि पीएफएमएस पर लिक है। इसके अलावा मुख्यालय द्वारा नियमित रूप से निधियों के उपयोग की निगरानी की जाती है और वितरित/उपयोग की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज की एक मासिक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई।

The Committee has desired to kept the para pending

[33] Para No 4 2 3 1 Projects not taken on priority basis

According to Paragraph 6 6 of project guidelines universal coverage of the scheme was to be started with water supply followed by sewerage storm water drains urban transport etc Water supply and Sewerage can be taken together depending on availability of funds Scrutiny of the records revealed that projects were not taken up as per prioritization policy envisaged in the guidelines after ascertaining the baseline position of water supply sewerage etc Six16 municipalities had not taken up water supply projects despite service level gaps in water supply ranging between 23 and 38 per cent in their areas. Other projects such as sewerage drainage etc were taken up instead of water supply projects by these municipalities which was in contravention of mission guidelines. The Commissioner MC Karnal stated (July 2018) that the detailed project report of water supply project was in the process of finalization.

Recommendation Projects should be taken up as perprioriti-zation policy asenvisaged in the guidelines of the Mission

The Department in its written reply stated as under

AMRUT

प्रारम मे जलापूर्ति सीवरेज और ड्रेनेज आदि मे सेवा स्तर के अतराल का आकलन करने के बाद 4313 89 करोड़ रुपये की राशि की राज्य वार्षिक कार्य योजना (SAAP)प्रस्तावित की गई थी। लेकिन भारत सरकार द्वारा SAAP की राशि को घटाकर रु 1600 92 करोड़ (केंद्रीय हिस्से के रूप मे 764 51 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के रूप मे 836 41 करोड़ रुपये) कर दिया गया था। जलापूर्ति और सीवरेज का काम जन स्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग द्वारा देखा जाता है और उन्होंने अन्य योजनाओं में भी कुछ काम लिया था। अमृत के तहत परियोजनाओं को निकायों की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर लिया गया था। कुछ अतराल के बाद आवश्यकता के अनुसार करनाल में जलापूर्ति का कार्य शुरु किया गया था और अब जलापूर्ति का यह कार्य पूर्ण हो चुका है।

The Committee has desired to kept the para pending

[34] Para No 4232 Payment of mobilization advance in contravention of NIT Conditions

As per condition number 4 23 2 of Detailed Notice Inviting Tender (DNIT) mobilization advance shall be given at the rate of 10 per cent of the accepted contract amount in two instalments against a bank guarantee. First instalment not more than five per cent of the accepted contract amount was to be released immediately after signing the contract. Second instalment on demand by the contractor would be released only after submission of service improvement plan and on submission of details of use of first instalment. It was however observed that MC. Ambala had given second instalment of mobilization advance of Rs 6 69 crores in December 2017 for the Ambala Sewerage (AMRUT) programme without obtaining the details of utilization of first instalment of mobilization advance. The work was not even started by the contractor as of January 2018. Thus release of second instalment of Rs 6 69 crores was in contravention of DNIT condition and tantamounts toundue favour to the contractor.

The Department in its written reply stated as under

AMRUT

नगर निगम अबाला ने प्रस्तुत किया है कि 'Sewerage System in Deficit Area including all ancillary works Pumping Station & STP on SBR Technology along with O&M for 5 years in Ambala under AMRUT Program के कार्य के लिए कार्य आदेश पत्र संख्या XEN/17/2448 दिनाक 03 11 2017 से M/s KKSIL NOBLE श्रट को जारी किया गया था। एजेसी द्वारा 11 11 2017 को कार्य निष्पादित करने का अनुबंध भी किया गया था। इस कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार आयुक्त नगर निगम अम्बाला से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद दिनाक 21 11 2017 को ठेकेदार को मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि के रूप में 6 69 करोड़ रुपये की पहली किस्त दी गई थी। मोबिलाइजेशन अग्रिम राशि की पहली किस्त के उपयोग का विवरण एजेसी द्वारा उनके ज्ञापन संख्या KKSIL/2017&18/HR&Y/MCA/004 दिनाक 06 12 2017 (प्रतिलिपि सलग्न) के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। डीएनआईटी की शर्त क्रमाक 423 2 के अनुसार एव मोबिलाइजेशन अग्रिम की पहली किस्त की उपयोगिता प्राप्त होने पर 15 12 2017 को एजेसी को 6 69 करोड़ रुपए की मोबिलाइजेशन अग्रिम की दूसरी किस्त दी गई थी।

The Committee has desired to kept the para pending

[35] Para No 4233 irregular allotment of work on single tender

According to para 13 18 1(g) of PWD code single tenders shall normally not be considered unless there are special circumstances to do so if special circumstances are not present tender shall be re-called if re-tendering again results in a single tender its acceptance may be considered with proper justification and reasons. The Municipal Corporation Karnal (MCK) invited (March 2017) tenders for sewerage treatment plant on Sequential Batch Reactor (SBR) technology for Rs 158 98 crores. Two bidders came in response to invited bids. In the meantime, the concept of GST was introduced by GOI and there was no

clarity regarding variation in rates of GST In view of this State Level Technical Committee (SLTC) in its 9th Meeting (June 2017) decided to recall the tenders to explore competitive rates after Implementation of GST Accordingly tenders were re invited in July 2017 and two bidders participated in the tendering process. However, only one agency was technically qualified and work was allotted after negotiation for Rs 178 10 crores Thus the work was allotted on the basis of single tender. As there were no special circumstances of allotment of work on single tender allotment of work was not in order instead tenders should have been re invited as per requirement of the PWD Code. The Executive Engineer MCK stated (July 2018) that first time two tenderswere received and same were rejected by SLTC After that re-tendering was done where two tenderers participated in the bid process but one tender was rejected on technical ground and remaining one tender was accepted by the competent authority Reply is not tenable as tenders invited in March 2017cannot be considered as first tendering process as these tenders were set aside and tenders were re called due to uncertainties in rates of GST Thus the work was awarded on single tender without any special circumstances which tantamount to extending undue favour to the agency

Recommendation While carrying out development works, PWD Code should be followed in letter and spirit Further, Terms & Conditions of the DNIT and Contract Agreement of the works being executed under the project should be adhered to

The Department in its written reply stated as under

AMRUT

- इस कार्य के लिए निविदाए मार्च 2017 में आमित्रत की गई थी। हालािक 2806
 2017 को आयोजित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) की 9वी बैठक में जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद अधिक प्रतिस्पर्धी दरों को प्राप्त करने के लिए निविदा को फिर से आमित्रत करने का निर्णय लिया गया था।
- तद्नुसार निविदा जमा करने की अतिम तिथि 02 07 2017 के साथ फिर से आमंत्रित की गई थी।
- निविदा मे दो बोलीदाताओ ने भाग लिया था। इस उद्देश्य के लिए गठित निविदा मूल्याकन समिति द्वारा बोलीयो का तकनीकी मूल्याकन किया गया था।
- तथापि केवल एक एजेसी को तकनीकी रूप से योग्य पाया गया था। वित्तीय बोली एमसी करनाल द्वारा खोली गई थी।
- मामला 11 10 2017 को हुई एसएलटीसी की 12वीं बैठक मे रखा गया था।
- पीडीएमसी के टीम लीडर ने इस कार्य के लिए एकल निविदा की स्वीकृति का कारण और औचित्य समझाया। बताया गया कि दो बार निविदा आमित्रत की जा चुकी है। साथ ही यह भी बताया गया कि पीडब्ल्यूडी कोड के अनुसार विशेष परिस्थितियों में एकल निविदा स्वीकार की जा सकती है।
- माननीय प्रधानमत्री अपनी मासिक वीडियो कॉन्फ्रेस 'प्रगति' मे इस परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। परियोजना के क्रियान्वयन मे तेजी लाने पर जोर दिया गया था।

एसएलटीसी द्वारा उक्त कार्यों की निविदा को स्वीकृत किया।

The Committee has desired to kept the para pending

[36] Para No 4234 Allotment of Work without obtaining clearances from departments

Paragraph 6 10 of the mission guidelines stipulates that work orders should not be issued unless all the necessary clearances have been obtained from the departments concerned Scrutiny of records of MC Karnal revealed that the work of Construction of Storm Water Drain along with Intermediate Pumping Station and Rain Water Harvesting Structure was allotted in July 2017 Audit observed that work was allotted without obtaining necessary clearances/permission from Forest Department Uttar Haryana Bıjlı Vıtran Nıgam Lımıted (UHBVNL) Public Works Department (Building and Roads) and National Highways Authority of India with the result that only 10 per cent of the work could be executed by the agency as of July 2018 Thus allotment of work without obtaining clearances from various departments resulted in slow execution of works depriving the citizens of the facility of storm water drain and rain water harvesting MC Karnal admitted (July 2018) the facts and stated that the works would be expedited after getting No Objection Certificate (NOC) from Forest Department shifting of poles by UHBVNL and permission of road crossing from PWD (B&R) and NHAI

Recommendation Work should be allotted only after seeking prior clearances from concerned department

The Department in its written reply stated as under -

AMRUT

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) नगर निगम करनाल और अन्य स्टेकहोल्डर के परामर्श से तैयार की गई थी। डीपीआर के आधार पर डीएनआईटी तैयार की गई। डीएनआईटी के आधार पर टेडर आमत्रित किए गए थे। कार्यों के निष्पादन के दौरान यह देखा गया कि सबिधत विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तदनुसार नगर निगम करनाल ने सबिधत विभागों को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया।
- समय पर एनओसी नही मिलने के कारण देरी हुई। भविष्य मे इसका ध्यान रखा जाएगा।

The Committee has desired to kept the para pending

[37] Para No 4 2 3 5 Capacity building and monitoring

Annexure 7 of mission guidelines provides that ULBs would impart training to all the elected representatives and functionaries of ULBs to enhance the functional knowledge improve the job related skills and to change the attitude of municipal functionaries Scrutiny of records however revealed that the training was imparted to functionaries of ULBs

but elected representatives were not imparted training in nine17 municipalities in MC Sirsa training was imparted to 16 elected representatives out of 31 in remaining eight18 municipalities no records were maintained about imparting of training to elected representatives. As the elected representatives were not given the required training there was a lack of appreciation for the modalities of the scheme by them and their functional knowledge and skills remained to be enhanced. As a result of this the benefits of their inputs could not be derived and monitoring over the implementation of projects was lacking.

According to paragraph 15 1 of the mission guidelines District Level Review and Monitoring Committees (DLRMC) were to be constituted for monitoring and review of the implementation of the projects under mission Scrutiny of the records revealed that in six19 municipalities DLRMC were not constituted with the result that monitoring of the implementation of projects was lacking even the works had not been allotted to contractors except for MC Karnal

The Department in its written reply stated as under

AMRUT

यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न अमृत शहरी स्थानीय निकायों के निम्नलिखित पदाधिकारियों का प्रशिक्षण मार्च 2020 तक अमृत के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था।

Sr No	Type of Functionaries	Nos
	Engineers and Town Planners	260
	Administrative and Finance	127
	Elected Representatives	236
	Total	623

मार्च 2020 के बाद COVID—19 की महामारी के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए।

मिशन दिशानिर्देशों के अनुपालन में डीएलएमआरसी का गठन सभी उपायुक्तों को इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या HSCB/2019/6800दिनाक 12 09 2019 से परिचालित कर दिया गया था।

The Committee has desired to kept the para pending

[38] Para No 4 2 4 Conclusion

AMRUT was launched by GOI in June 2015 for providing basic services such as water supply sewerage urban transportation to households and build amenities in cities to improve the quality of life for all But the implementation of the projects of the mission was very slow. As against State Annual Action Plan of Rs 2 565 crores Rs 313 36 crores was released by the Centre and State Governments Of this Rs 282 09 crores were released to ULBs for implementation of projects but only three ULBs spent 60 05 crore and balance amount of Rs 222 04 crores was lying unutilised with ULBs. The implementation of the mission is very slow as only 2 34 per cent had been spent as against the total SAAP of Rs 2 565 crores despite lapse of more than three years of the mission period (2015 17) Due to non utilization of funds the Department could not claim second and third instalments of mission funds from GOI. An amount of Rs. 12.85 crores was spent by the Department on Administrative and Office Expenses out of project funds in violation of project guidelines Further priority was not given to water supply projects by six municipalities as provided for in guidelines Irregular payment of mobilization advance of Rs 6 69 crores was given to a contractual agency. There were instances of violation of extantrules/instructions/in guidelines for award of works

The Department in its written reply stated as under -

AMRUT

- प्रत्येक लेखापरीक्षा पैरो के तथ्य ऊपर वर्णित है
- तथापि 04 10 2022की स्थिति के अनुसार अमृत योजना के अतर्गत प्रगति निम्नानुसार है
 - 2694 30 करोड रुपये की पूजी लागत की 45 डीपीआर को एस०एच०पी०एस०सी और एस०एल०टी०सी० द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।
 - ❖ इन 45 डीपीआर के तहत 2310 01 करोड़ रुपये की पूजी लागत की 55 डीoएनoआइóटीo तैयार की गई थी और एसoएलoटीoसीo द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है।
 - एसएलटीसी द्वारा अपनी विभिन्न बैठको मे 2961 85 करोड रुपये की पूजीगत लागत वाले 55 कार्यों को मजूरी की जा चुकी हैं। 16 कार्य पूरे हो चुके है और 39 कार्य प्रगति पर हैं। सभी कार्य 31 03 2023 तक पूर्ण होने की समावना है
 - 💠 कार्यों की भौतिक प्रगति लगभग 75% है।
 - भारत सरकार और हिरयाणा सरकार से अब तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार 2363 29करोड रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है—

कुल	2363 29करोड़ रुपये
हरियाणा सरकार शेयर (कन्वर्जेन्स)	771 85करोड रुपये
हरियाणा सरकार का हिस्सा (मैचिग)	836 41करोड रुपये
भारत सरकार का हिस्सा	755 03करोड रुपये

- अमृत के अतर्गत विभिन्न कार्यों पर अब तक 2363 29करोड रुपये का व्यय किया जा चुका है।
- अमृत योजना के तहत रैंकिंग प्रणाली है। हरियाणा राज्य सभी 36 राज्यो/केंद्र शासित प्रदेशों में से 12वें स्थान पर है।

The Committee has desired to kept the para pending

Part-III

17TH REPORT OF THE COMMITTEE ON LOCAL BODIES AND
PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS OF HARYANA VIDHAN SABHA
FOR THE YEAR 2021-22, ANNUAL AUDIT REPORT OF THE LOCAL
AUDIT DEPARTMENT, HARYANA ON THE ACCOUNTS OF URBAN
LOCAL BODIES (ULBs) & PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIS)
FOR THE YEAR 2015-16 PART-II-A (GRAM PANCHAYATS)
AUDITED BY THE DIRECTOR,
LOCAL AUDIT DEPARTMENT, HARYANA

[39] Appendix I

Para No 3 (i) of Part II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015 16 Para No 03 Misappropriation/likely cases of Embezzlement Appendix- 'i'

As referred to in Para 3(i) of Part-II(A) of the Annual Audit Report of Local Audit Department Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs)

Relates to the Cases where Panchayat Fund (cash in hand) was not handed over or less handed over by the Sarpanches/Panches/Gram Sachives and other funcitonaries of Gram Panchayats while handing over the charge to their successors/sarpanches

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audıt Para	Amt not handed over (in Rs)
1	Jhajjar	Jahangır pur	Jhajjar	Sh Duli Chand Ex Sarpanch	22 031 00
				Sh Umed Singh Ex Sarpanch	1 013 00
2	Jhajjar	Jhamrı	Matanhail	Sh Hansraj S/o Hardawari	_ 14 995 00
				Sh Hansraj S/o Ram Sarup	6 283 00
3	Jind	Padana	Julana	Smt Anguri Devi Ex- Sarpanch	25 519 97
4	Jind	Gosai Khera	Julana	Sh Krishan Chand Ex- Sarpanch	1 01 518 00
6	Panipat	Shera	Madlauda	Sh Sugan Chand Ex Sarpanch	22 000 00
7	Yamuna Nagar	Mansurpur	Radaur	Sh Jagır Sıngh Ex Panch	1 450 00
				Sh Bihari Lal Ex Panch	6 409 00
				Sh Raj Kumar Ex Sarpanch	23 654 99

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
				Sh Sher Singh Ex-Sarpanch	42 379 00
·				Smt Chinto Devi Ex- Sarpanch	20 000 00
8	Yamuna Nagar	Alahar	Radaur	Smt Kalaso Devi Ex- Sarpanch	9 490 00
9	Yamuna Nagar	Fatehgarh Pabrı	Radaur	Sh Partap Singh B D P O	10 981 71
10	Kurukshetra	Seonsar	Pehowa	Smt Lakhvinder Kaur Ex Sarpanch	16 859 00
11	Ambala	Khan Ahmedpur	Barara	Sh Mahander Singh Ex-Sarpanch	60 664 69
				Smt Surjit Kaur Ex Sarpanch	752 00
12	Karnal	Subri	Karnal	Smt Dhanpati Ex-Sarpanch	17 709 00
13	Yamuna Nagar	Baındı	Radaur	Smt Sunita Devi Ex- Sarpanch	13 665 00
14	Ambala	Nahra	Barara	Smt Kaushlya Devi Ex Sarpanch	6 684 00
15	Yamuna Nagar	Unheri	Radaur	Sh Jagir Husain Ex-Sarpanch	45 470 00
16	Yamuna Nagar	Antawa	Radaur	Sh Dhani Ram Ex Panch	3 939 00
				Sh Dharam Singh Ex Sarpanch	7 849 00
				Sh Sarwan Singh Ex Sarpanch	706 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
				Sh Rajbir Singh B D P O	7 500 00
17	Karnal	Harı Sıngh Pura	Gharounda	Sh Suraj Ex Sarpanch	6 000 00
				Smt Sarbatı Devi Ex- Sarpanch	14 792 00
18	Karnal	Hemu Majra	Indri	Sh Gurdiyal Singh Ex Sarpanch	1 46 454 00
_				Sh Pala Ram Ex-Sarpanch	4 754 00
19	Jind	Jhamola	Julana	Sh Hari Singh Ex-Sarpanch	4 889 00
_				Sh Mahender Singh Ex-Sarpanch	59 304 00
	=			Sh Prithi Singh Ex Sarpanch	490 00
20	Gurugram	Mau	Patoudi	Sh Jage Ram Ex Sarpanch	1 556 00
				Sh Mange Ram Ex Sarpanch	150 00
				Sh Umrao Singh Ex Sarpanch	10 100 00
- -				Smt Asarfi Devi Ex- Sarpanch	1 511 00
21	Yamuna Nagar	Sıkandra	Radaur	Sh Balkar Singh Ex-Sarpanch	6 857 37
22	Jınd	Muwana	Safidon	Sh Sadhu Ram Ex Sarpanch	16 108 00

io	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
23	Karnal	Kalsora	Indri	Smt Kasturı Devi Ex- Sarpanch	49 806 00
24	Karnal	Panjokhra	Indri	Sh Inder Singh Ex Sarpanch	13 293 00
				Smt Chinto Devi Ex Sarpanch	2 59 489 00
25	Karnal	Garhpur Khalsa	Indri	Sh Jai Singh Ex Sarpanch	8 43 216 00
26	Karnal	Pathera	Indri	Sh Nika Singh Ex Sarpanch	14 285 00
				Sh Sat Pal Ex-Sarpanch	619 79
27	Panıpat	Khandra	Madlauda	Sh Ram Singh Ex Sarpanch	53 296 00
28	Jind	Malvı	Julana	Sh Ram Bhaj Ex-Sarpanch	51 070 53
29	Jind	Mehrara	Julana	Sh Gulab Singh Ex Sarpanch	8 915 23
				Sh Virender Singh Ex-Sarpanch	2 86 355 37
30	Jind	Lajwana Kalan	Julana	Sh Ram Lal Ex Sarpanch	50 571 00
31	Sonepat	Kıllorad	Sonepat	Sh Bhagat Ram Ex Sarpanch	34 209 00
32	Kurukshetra	Morthali	Pehowa	Sh Kuldeep Singh Ex Sarpanch	10 647 00
33	Karnal	Gagsına	Gharounda	Gram Sachive	3 42 624 00
-				Sh Kuldeep Singh Ex-Sarpanch (PRI	

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
				Sh Mela Singh Ex-Sarpanch	1 690 00
				Sh Surjeet Singh Ex Sarpanch	15 335 00
34	Sonepat	Dodwa	Sonepat	Smt Sheela Devi Ex-Sarpanch	41 790 00
35	Pehowa			Sh Budh Ram Ex-Sarpanch	7 992 00
				Smt Piar Kaur Ex-Sarpanch	1 412 00
				Sh Sish Pal Ex Sarpanch	10 500 00
				Smt Ravinder Kaur Ex Sarpanch	5 776 00
				Sh Sadhu Ram Ex-Sarpanch	5 760 00
36	Jind	Bhartana	Pillu Khera	Smt Kelo Devi Ex-Sarpanch	9 694 00
37	Jind	Rodh	Safidon	Smt Amarjeet Kaur Ex- Sarpanch	5 816 00
38	Yamuna Nagar	Sandholi	Radaur	Sh Devi Lal Ex Sarpanch	1 217 00
				Smt Champa Devi Ex- Sarpanch	13 603 00
39	Kurukshetra	Megha Majra	Ismailabad	Sh Ramesh Chander Ex Sarpanch	28 101 28
40	Kurukshetra	Kherı Sıshgran	Pehowa	Sh Rattan Singh Ex- Sarpanch	7 703 12

Sr Io	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
				Smt Sudesh Kumarı Ex Sarpanch	1 009 83
41	Panipat	Adıyana	Madlauda	Sh Mahavır Sıngh Ex Sarpanch	23 141 00
				Smt Rajo Devi Ex-Sarpanch	79 532 00
42	Panıpat	Bhalsı	Madlauda	Sh Om Parkash Ex-Sarpanch	1 09 781 00
				Sh Surat Singh Ex-Sarpanch	19 309 00
43	Panıpat	Bhandarı	Madlauda	Sh Suraj Mal Ex-Sarpanch	21 668 00
44	Yamuna Nagar	Satgoli	Radaur	Sh Balbir Singh Ex Sarpanch	23 968 00
				Sh Kashmır Sıngh Ex Sarpanch	17 153 00
				Sh Major Singh Ex- Sarpanch	999 00
				Sh Singhara Singh Ex-Sarpanch	1 994 00
45	Kurukshetra	Jalbhera	Ismailabad	Sh Mahabir Singh Ex- Sarpanch	10 963 00
45	Kurukshetra	Jalbhera	Ismailabad	Sh Parkash Chand Ex Panch	10 000 00
				Sh Silokh Chanc Ex-Sarpanch	50 000 00
46	Rewarı	Majra Gurdas	Rewarı	Sh Krishan Ex- Sarpanch	5 144 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
47	Sırsa	Sadewala	Rania	Sh Brıj Lal Ex- Sarpanch	69 177 20
48	Karnai	Војпа	Gharounda	Sh Beer Singh Ex Sarpanch	7 127 00
				Sh Hans Pal Ex Sarpanch	8 528 00
49	Narnaul	Dokhera	Nangal Chaudhery	Ex Sarpanch	26 273 00
50	Rewarı	Chandawas	Rewarı	Sh Rakesh Kumar Ex Sarpanch	10 162 00
51	Jind	Jaipur	Safidon	Sh Pawan Kumar Ex- Sarpanch	19 659 00
52	Charkhı Dadrı	Imlota	Dadrı I	Sh Hari Ram Ex Sarpanch	28 451 00
53	Rohtak	Ghuskanı	Rohtak	Sh Jai Kishan Ex Sarpanch	21 319 00
				Sh Sube Singh Ex Sarpanch	58 318 00
				Smt Santosh Ex Sarpanch	99 715 00
54	Kaithal	Landa Heri	Guhla at Cheeka	Sh Dalip Singh Ex Panch	233 00
				Sh Kurah Ram Ex Sarpanch	7 176 58
				Sh Ramdiya Ex Panch	8 435 00
				Sh Sunder Ram Ex-Sarpanch	2 088 96

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
55	Rewarı	Bishanpur	Bawal	Sh Phool Singh Ex-Sarpanch	41 850 00
56	Kurukshetra	Galedwa	Pehowa	Sh Balkar Singh Ex Sarpanch	11 923 00
	-			Sh Jila Singh Gram Sachive	2 800 00
				Sh Joginder Singh -do-	14 600 00
57	Sonepat	Chitye Olia	Sonepat	Sh Balbır Sıngh Ex Sarpanch	1 79 671 20
58	Ambala	Mauj Garh	Barara	Smt Satinder Kumarı Ex- Sarpanch	4 33 000 00
59	Ambala	Barara	Barara	Sh Gulab Singh Ex Sarpanch	6 790 00
				Sh Roop Singh Ex-Sarpanch	29 029 00
60	Karnal	Manak Majra	Indri	Sh Surat Singh Ex Sarpanch	6 209 00
61	Karnal	Bhoji Khalsa	Indri	Sh Ram Ji Lal Ex-Sarpanch	7 390 00
62	Rohtak	Ghandra	Lakhan Majra	Sh Sarup Singh Ex Sarpanch	36 542 55
63	Panipat	Kard	Israna	Smt Bharpai Dev Ex- Sarpanch	12 075 00
64	Sonepat	Oldeypur	Sonepat	Sh Suresh Kuma Ex- Sarpanch	2 36 083 37
65	Charkhı Dadrı	Kasnı	Dadrı II	Sh Sunil Kumar Ex- Sarpanch	1 54 936 24

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
66	Panıpat	Zattı Pur	Panıpat	Smt Sunita Devi Ex Sarpanch	1 06 980 00
67	Karnal	Phaphrana	Assandh	Sh Satpal Ex Panch	4 621 00
				Sh Surinder Kumar Ex-Sarpanch	6 945 00
68	Panıpat	Garhı Chhaju	Samalkha	Smt Bimla Devi Ex- Sarpanch	45 419 00
69	Kaithal	Karora	Pundri	Sh Ganga Ram Ex Sarpanch	6 075 00
				Sh Karmbir Singh Ex Sarpanch	4 649 00
				Sh Maya Ram Ex Sarpanch	26 610 00
			_	Sh Sunder Singh Ex Sarpanch	2 473 00
70	Kurukshetra	Busthala	Ismailabad	Sh Mahak Singh Ex- Sarpanch	21 468 00
				Sh Ved Parkash Ex Sarpanch	516 61
				Smt Om Pati Ex-Sarpanch	2 40 244 68
				Smt Shiksha Devi Ex- Sarpanch	274 77
71	Kurukshetra	Chammu Kalan	Ismaılabad	Sh Lakhvinder Ex Sarpanch	47 023 00
				Sh Sawran Singh Ex-Sarpanch	10 537 00
				Sh Tehal Singh Ex-Sarpanch	3 142 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
72	Kaithal	Ahun	Pundrı	Sh Jagjit Singh Ex Sarpanch	616 00
				Sh Kuldeep Singh Ex Sarpanch	47 740 00
				Sh Norta Ram J E	924 00
				Sh Sher Singh Ex-Sarpanch	11 483 00
73	Kurukshetra	Guldhera	Pehowa	Sh Hari Singh Ex-Sarpanch	8 923 39
				Sh Nathu Ram Ex-Sarpanch	15 033 00
				Smt Narender Kaur Ex-Sarpanch	4 643 57
74	Kaithal	Habrı	Pundrı	Sh Raghbir Singh Ex-Sarpanch	22 055 00
75	Yamuna Nagar	Jhar Chandana	Mustafabad	Sh Inderjit Singh Ex- Sarpanch	10 000 00
76	Sonepat	Salımpur Trally	Sonepat	Sh Bijender Ex-Sarpanch	82 045 00
77	Kurukshetra	Kanıpla	Thanesar	Sh Dilbag Singh Ex-Sarpanch	21 687 00
78	Yamuna Nagar	Nandhera	Sadhoura	Sh Jeet Singh Ex Sarpanch	74 047 00
79	Kurukshetra	Muniyarpur	Thanesar	Sh Ram Chander Ex Sarpanch	84 432 00
				Smt Nirmala Dev Ex Sarpanch	2 002 00
80	Yamuna Nagar	Taranwala	Chhachroui	Smt Satya Devi Ex-Sarpanch	1 743 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
				Smt Urmıla Devi Ex Sarpanch	17 223 00
81	Jınd	Ramkalı	Julana	Sh Abhey Ram Ex Sarpanch	2 953 00
				Sh Rajbir Singh Ex-Sarpanch	29 455 00
82	Panıpat	Naultha	Israna	Smt Raj Devi Ex Sarpanch	94 774 00
83	Kurukshetra	Badshamı	Ladwa	Sh Balwant Singh Ex- Sarpanch	12 392 00
84	Kurukshetra	Dhayangla	Ladwa	Smt Urmila Devi Ex- Sarpanch	11 000 00
85	Kurukshetra	Salempur	Ladwa	Late Sh Sukhvinder Singh do	27 875 00
				Smt Prito Devi Ex-Sarpanch	26 260 00
86	Charkhı Dadrı	Samaspur	Dadrı-I	Sh Karan Singh Ex-Sarpanch	1 56 144 00
				Sh Surender Singh Ex- Sarpanch	1 61 907 00
				Smt Vidya Devi Ex- Sarpanch	6 978 00
87	Kaithal	Santokh Majra	Rajound	Sh Deva Singh Ex Sarpanch	2 31 359 00
88	Rewarı	Balwarı	Khol	Sh Rati Ram Ex Sarpanch	31 573 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audıt Para	Amt not handed over (in Rs)
				Smt Seema Ex Sarpanch	1 20 000 00
89		Jourasisarf Khas	Samalkha	Sh Mahavir Singh Ex- Sarpanch	16 335 00
90	Karnal	Dadupur	Nissing	Smt Bhurmi Devi Ex- Sarpanch	30 421 00
				Sh Davinder Singh Ex Sarpanch	1 457 00
91	Ambala	Bhukhrı	Naraingarh	Sh Gurdev Singh Ex- Sarpanch	7 224 00
				Smt Duları Devi Ex- Sarpanch	54 884 00
92	Sonepat	Saragthal	Gohana	Sh Ram Phal Ex Sarpanch	71 648 00
				Sh Risalo Devi Ex-Sarpanch	11 606 00
93	Kurukshetra	Lathi Dhanoura	Ladwa	Sh Mehar Singh Ex- Sarpanch	3 735 00
 				Smt Anita Devi Ex Sarpanch	2 68 122 63
94	Kurukshetra	Bhiwani Khera	Thanesar	Smt Soolwati Devi Ex- Sarpanch	15 645 00
95	Kurukshetra	Murad Nagar	Ladwa	Smt Sımıtı Devi Ex Sarpanch	23 062 00
				Smt Sımıtı Devi Ex Sarpanch	65 947 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
96	Kurukshetra	Ajrana Khurd	Ismailabad	Sh Kuldeep Singh Ex- Sarpanch	3 14 608 00
				Sh Mohan Singh Ex- Sarpanch	4 091 00
				Smt Dekhi Devi Ex- Sarpanch	24 104 00
				Smt Jito Devi Ex-Sarpanch	2 525 00
97	Karnal	Jalmana	Assandh	Sh Baaj Singh Ex Sarpanch	7 000 00
·				Sh Jai Singh' Ex-Sarpanch	2 000 00
				Sh Dalip Singh EX Sarpanch	5 540 00
				Smt Paramjit Kaur Ex Sarpanch	2 540 00
98	Ambala	Janetpur	Ambala II	Sh Jaswant Singh Ex- Sarpanch	8 816 00
				Sh Raghbir Singh Ex Sarpanch	3 868 00
99	Ambala	Khan Ahmedpur	Ambala II	Sh Mohinder Singh Ex- Sarpanch	60 664 69
				Smt Surjit Kaur Ex-Sarpanch	752 00
100	Ambala	Tangail	Ambala-II	Sh Prem Chand Ex Sarpanch	20 353 00
101	Kaithal	Bhawpur	Guhla at Cheeka	Smt Premo Devi Ex-Sarpanch	36 148 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
102	Kaithal	Dhanota	Guhla at Cheeka	Sh Jetha Singh Ex Sarpanch	16 300 00
				Sh Jita Singh Ex Sarpanch	11 600 00
				Sh Thawa Singh Ex- Sarpanch	14 101 00
				Smt Pato Devi Ex-Sarpanch	36 619 00
103	Kaithal	Bhagal	Guhla at Cheeka	Smt Narender Kaur Ex Sarpanch	41 628 00
104	Karnal	Jaı Sıngh Pura	Assandh	Sh Jai Pal Singh Ex- Sarpanch	1 009 00
				Sh Mohinder Singh Ex Sarpanch	4 941 00
				Sh Raghbir Singh Ex-Sarpanch	31 333 00
105	Kaıthal	Bahamnı Wala	Kalayat	Sh Chhatar Singh Ex Sarpanch	36509 00
					3302 00
				Sh Partap Singh Ex Sarpanch	5 825 00
				Sh Partap Singh Ex Sarpanch	2 084 00
106	Karnal	Dupedi	Assandh	Sh Mohinder Singh Ex- Sarpanch	34 474 00
107	Ambala	Adhoya	Barara	Sh Bharat Bhushan Ex- Sarpanch	24 355 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
				Sh Vijay Mohan Ex- Sarpanch	922 00
108	Jhajjar	Chhapra	Sahlawas	Smt Om Pati Ex-Sarpnch	10 494 00
109	Ambala	Bıkampura	Barara	Sh Mam Chand Ex Sarpanch	3 400 00
				Smt Shanti Devi Ex- Sarpanch	14 601 00
110	Kaithal	Anawas	Kaithal	Smt Bimla Devi Ex-Sarpanch	9 768 00
					2 584 00
111	Kaıthal	Pattı Afgan	Kaithal	EOPS Kaithal	2 00 000 00
				Smt Khajanı Devi Ex- Sarpanch	52 019 00
112	Gurugram	Nanu Kalan	Patoudi	Sh Sunil Kumar Ex- Sarpanch	28 200 00
113	Kurukshetra	Guldhera	Pehowa	Sh Hari Singh Ex Sarpanch	8 923 00
				Sh Narender Singh Ex Sarpanch	4 643 00
				Sh Nathu Ram Ex-Sarpanch	15 033 00
114	Jind	Sulchanı	Narwana	Sh Mahavır Sıngh Ex- Sarpanch	15 412 00
115	Kaithal	Budha Khera	Kaithal	Sh Jila Singh Ex Sarpanch	28 001 00
				Sh Fakriya Ex- Sarpanch	4 377 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
116	Jınd	Sainthly	Narwana	Sh Sube Singh Ex Sarpanch	12 507 00
117	Hısar	Sundai	Agroha	Sh Dharam Singh Ex Sarpanch	12 806 00
118	Kurukshetra	Sarsa	Pehowa	Sh Pirthi Singh Ex Sarpanch	16 257 00
				Sh Puran Singh Ex Sarpanch (P F)	9 108 00
				Sh Puran Singh Ex-Sarpanch (P F)	6 582 00
				Sh Puran Singh Ex Sarpanch (PRI)	5 687 00
119	Jind	Mohangarh	Uchana	Sh Raj Singh Ex Sarpanch	52 018 00
120	Kurukshetra	Morthali	Pehowa	Sh Kuldeep Singh Ex- Sarpanch	10 647 00
				Sh Kuideep Singh Ex Sarpanch (PRI)	3 005 00
				Sh Mela Singh Ex Sarpanch	1 696 00
-				Sh Surjeet Singh Ex Sarpanch	15 335 00
12	Sonepat	Maujam Nagar	Gohana	Sh Dharam Chander Ex-Sarpanch	7 798 00
				Sh Jagbir Singh Ex-Sarpanch (PF	

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
				Sh Jagbir Singh Ex-Sarpanch (TFC)	2 275 00
122	Kurukshetra	Dayalpur	Thanesar	Sh Ramesh Ex-Sarpanch	35 415 00
123	Rohtak	Kharawar	Sampla	Sh Dharampal Ex Sarpanch	13 818 00
124	Jind	Karsındhu	Uchana	Smt Santı Devi Ex Sarpanch (PF)	23 914 00
				Smt Santi Devi Ex-Sarpanch (PRI/TFC)	5 736 00
125	Kurukshetra	Dhusala	Thanesar	Sh Rajinder Kumar Ex- Sarpanch	92 273 00
126	Kurukshetra	Kırmach	Thanesar	Smt Ramkalı Ex-Sarpanch	18 213 00
127	Kurukshetra	Jyotisar	Thanesar	Sh Mange Ram Ex Sarpanch	12 000 00
				Sh Mohan Lal Ex Sarpanch	60 676 00
				Sh Surjit Singh Gram Sachive	4 428 00
				Sh Zila Singh Ex Sarpanch	9 990 00
				Sh Birbal Sharma Ex- Sarpanch	15360 00
				Sh Isham Singh Ex Sarpanch	1 125 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audıt Para	Amt not handed over (in Rs)
128	Jhajjar	Sarola	Sahlawas	Sh Ram Sarup Ex-Sarpanch	12 073 00
129	Karnal	Raison	Nilokheri	Sh Fateh Singh Ex Sarpanch	1 98 122 00
130	Kaithal	Jakholı Kaman	Rajound	Sh Rai Singh Ex Panch	6 000 00
				Smt Omi Devi Ex-Sarpanch	50 286 00
131	Kaithal	Nand Karan Majra	Rajound	Sh Raja Ram Ex Sarpanch	5 000 00
				Sh Baljeet Singh Ex Sarpanch	33 500 00
132	Kaithal	Kassan	Rajound	Smt Kamla Devi Ex- Sarpanch	9 19 082 00
				Smt Kamla Devi Ex Sarpanch	1 37 165 00
133	Kurukshetra	Ishargarh	Thanesar	Smt Nırmla Devi Ex- Sarpanch	1 89 652 00
134	Kurukshetra	Dhurala	Thanesar	Smt Nirmla Devi Ex Sarpanch (PF	27 775 00
				Smt Nirmla Devi Ex Sarpanch (PRI)	34 017 00
135	Kaithal		Kaithal	Sh Jagan Nath Ex Sarpanch	2 476 00
				Sh Parkash Ex Sarpanch	12 700 00
136	Kaithal	Balwantı	Kaithal	Sh Shri Ram Ex Sarpanch	14 506 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
137	Rewarı	Fideri	Rewarı	Sh Sudhan Ex-Sarpanch	97 763 00
				Total	1,07,06,904 15

Every concrete efforts are been made to recover the amount of Audit Para from the concerned Hence, para may kindly be dropped

The Department in its written reply stated as under -

Sr No	Reply	Recovery	Death
1	खण्ड विकास एव पचायत अधिकारी बादली के पत्र कमाक 2466 दिनाक 09 12 2022 द्वारा बताया गया है कि भूतपूर्व सरपच श्री दुलीचद ग्राम पचायत जहागीरपुर की मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	22031 00
	यह राशि पंचायत रसीद बुक न0 1712 कमाक 0000086 दिनाक 07 09 2021 द्वारा जमा करवा दी गई है। पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1013 00	0 00
2	रिकवरी हो चुकी है। रसीद सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस	6283 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करदा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेनू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
3	मृत्यु हो गई है जिस बारे सरपच ग्राम पंचायत पढ़ाना ने प्रमाण पत्र दिया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	25519 97
4	बीडीपीओ जुलाना की रिपोर्ट अनुसार इस भूतपूर्व सरपच की मृत्यु हो चुकी है व उसके वारिसो से राशि वसूलने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	101518 00
6	बीडीपीओ मतलौडा ने गो ावारा की प्रति मेजते हुए लिखा हे कि सबन्धित ग्राम सचिव ने कैश बुक का अवनोकन कर लिया है जिसमें श्री सुगन चन्द भूतपूर्व सरपच की और मु0 22 000/—रूपये की राशि कैश इन हैड बकाया नहीं है। अत पैरा समाप्त करने का कश्ट करे। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
7	रिकवरी हो चुकी है। रसीद सलग्न है।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानमभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनक कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	ग्राम पचायत मन्सुरपुर के पचायत खाता न0 50100115497466 मे दिनाक 15/03/2022 को राशि जमा करवाई जा चुकी है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेत्		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	LandRevenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7155 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3589 दिनाक 10/12/2022 के अनुसारन रिमाईंडर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमाक 7164 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3590 दिनाक 10/12/2022 के अनुसारन रिमाईडर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	पोस्ट आफिस की रिर्पोट अनुसार मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	20000 00
8	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7165 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3591 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार रिमाईडर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
9	ग्राम पचायत फतेहगढ के पचायत खाता न० 50100047968526 मे दिनाक 27/01/2022 को वोचर न० 25 के अनुसार राशि 10982 क0 जमा करवाई जा चुकी था रसीद सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
10	मृत्यु हो चुकी है तथा कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	16859 00
11	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनाक 09 12 2022 के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसमा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
12	रिकवरी हो चुकी है।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसम् कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वार निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा के अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव व विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिय गया है।	5 T T T 5 5	0 00
13	श्रीमित सुनीता देवी पुर्व सरपच ग्राम पचायत बैन्डी द्वारा दिनाव 08/09/2021 को ग्राम पचायत बैन्डी के खाते मे मु0 13665 रू जमा करवाई जा चुकी है। रसीद सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय व अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807–88	이 객 하	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
14	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमाक स्पैशल 10 दिनाक 02 08 2021 व पत्र क्रमाक 1777 दिनाक 16 08 2021 के द्वारा श्री मित कौशल्य देवी भूतपूर्व सरपच नाहरा को कैश इन हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है। उक्त सरपच द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई। इसलिये उससे राशि वसूल करने हेतू भू—राजस्व घोषित करने हेतू इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 297—298 दिनाक 21 01 2022 व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022 के द्वारा उपायुक्त महोदय अम्बाला को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
15	लैण्ड रेवन्यु की प्रक्रिया जारी है। जिसका इस कार्यालय के पत्र कमाक 3624 दिनाक 10 12 2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
16	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807–887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	3939 00	0 00
	मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/ पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		7849 00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा लें। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
17	रिकवरी हो चुकी है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दियाया है।		0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभ कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वार निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा क अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद के प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव व विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दियाया है।	5 T T 5 5	0 00
18	कार्यानय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बा भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा कार्यवाही करने बारे की जा रही है। इस कार्यालय व पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्रा सचिन के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त व	2 के म	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चूकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	4 754 00	0 00
19	रिकवरी हो चूकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसमा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	4 889 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र कमाक 3624 दिनाक 10 12 2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	रिकवरी हो चूकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	490 00	0 00
20	रिकवरी हो चुकी है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के	1556 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाऊर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑंडिट/पंचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम संचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनांक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखांकर पेरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑंडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	रिकवरी हो चुकी है।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा के अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद के प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिय गया है।	5 T T T 5	0 00
2	। रिकवरी हो चूकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यानय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय व अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807–88	हे	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
22	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	16108 00	0 00
23	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनाक 29 11 2022 के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
24	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसमा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	13 293 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनाक 29 11 2022 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
25	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच का अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनाक 29 11 2022 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
26	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनाक 29 11 2022 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय क आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस् कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेत् सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1	0 00
27	In this connection submitted here that the record of that time Sarpanch seen and found that the recovery case under Land Revenue has been sent to DC Panipat. In this regard, the Tehsildar Madlauda given a report by their letter no 16/TR/ dt 09 03 2021 that he is the owner of 5 Sarsai and he built is Pacca House so no amount recovered from him इस कार्याल के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वार ग्राम स्चिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक को लिख दिया गया है।	d ə A a a u	0 00
28	बी0डी0पी0ओ0 जुलाना ने अपने पत्र कमाक 2606 दिनाक 10 12 2022 द्वारा लिखा है कि सम्बंधित सरपंच के खिलाफ भू—राजस् अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए सम्बंधित सकृल रेवेन्यु अधिका एव तहसिलदार जूलाना को लिखा जा चुका है। इस कार्यालय प्र पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्रा सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त व लिख दिया गया है।	व री के म	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
29	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसमा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आिट हरियाणा का अधिकारी/आिटर उनके कार्यालय का आिटट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑिडट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	8915 23	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पंचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	286355 37	0 00
30	बी0डी0पी0ओ0 जुलाना ने अपने पत्र क्रमाक 2606 दिनाक 10 12 2022 द्वारा लिखा है कि सम्बधित सरपच के खिलाफ भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए सम्बधित सकृल रेवेन्यु अधिकारी एव तहसिलदार जूलाना को लिखा जा चुका है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
31	रिकवरी हो गई है रसीद साथ सलग्न है! सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	34209 00	0 00
32	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र	0 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
33	स्बधित ग्राम सचिव श्री अग्रेज सिंह की मृत्यु 2010 में हो चुकी है। ग्रामीण चौकीदार राजबीर सिंह व तत्कालीन सरपच मेवा सिंह की रिपोर्ट साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/ पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	आिंडट रिपोर्ट में दर्शाया गया नाम कुलदीप सिंह कभी भी गगसीना गाव का सरपंच नहीं रहा। कुपया पैरा ड्राप करने का कश्ट करे।	0 00	0 00
-	आडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया नाम मेला सिंह कभी भी गगसीना गाव का सरपंच नहीं रहा। कुपया पैरा ड्राप करने का कष्ट करे।	0 00	0 00
	आडिट रिपोर्ट में दर्शाया गया नाम सुरजीत सिंह कभी भी गगसीना गाव का सरपंच नहीं रहा। कुपया पैरा ड्राप करने का कश्ट करे।	0 00	0 00
34	उपायुक्त सोनीपत द्वारा पत्र कमाक 10294 दिनाक 25 11 2021 को भू—राजसव घोशित कर दिया गया है। प्रति साथ सलग्न हे। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेत् संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	[0 00
35	रिकवरी हो चुकी है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसम् कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय वे पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वार निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा क अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद के प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव वे विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिय	7 7 7 6 6	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनम्थ कार्यालय को विधानसम् कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय व पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वार निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा व अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद व	रा ज	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	उपायुक्त द्वारा पत्र कमाक 10294 दिनाक 25 11 2021 को भू—राजसव घोशित कर दिया गया है। प्रति साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबित उपायुक्त को लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	उपायुक्त द्वारा पत्र कमाक 10294 दिनाक 25 11 2021 को भू—राजसव घोशित कर दिया गया है। प्रति साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबित उपायुक्त को लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबित उपायुक्त का लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/ पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	5760 00
36	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	9694 00	0 00
37	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमाक लॉक्ल आडिट 13807—887	5816 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
38	रिकवरी हो चूकी है। रसीद साथ सलग्न है।इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशामनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए पत्र कमाक 292 दिनाक 27 01 2022 व स्मरण पत्र दिनाक 10 12 2022 द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/ पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
39	इस राशि का पहले कैश बुक में इन्द्राज नहीं किया गया था जो अब कैशबूक में इसका इंदराज कर दिया गया है। प्रति साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतृ संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
40	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इम कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय क आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस् कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाव 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेत सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	5 7 7 7 7 8	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्र कायालय को विधानसभा कमटी की मिटीग में लिए गए निर्णय व अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—88 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय व	हें 7 गो	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
41	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	23141 00	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमांक लॉक्ल आंढिट 13807—887 दिनाक 08 07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	79532 00	0 00
42	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/ पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	109781 00
	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/ पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		19309 00
43	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	ऑडिट / पंचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
44	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजम्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	रिकवरी हो चूकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनक कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतृ सबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
45	रिकवरी हो चुकी है रसीद सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय		0 00

ī

Sr No	Reply	Recovery	Death
	के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3624 दिनाक 8 12 2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र कमाक 3624 दिनाक 10 12 2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
46	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	ı	0 00
47	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा झॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
48	मृत्यु हो गई है। ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	7127 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	मृत्यु हो गई है। ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव क विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	8528 00
49	रिकवरी हो चुकी है। रसीद व पचायत कार्यवाही की प्रति साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लाक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
50	रिकवरी हो चुकी है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
51	रिकवरी हो चुकी है। रसीद की प्रति सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय क पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय क आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाव 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेत सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	5 7 1 1 7	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
52	रिकवरी हो चुकी है। कैश बुक की प्रति सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	28451 00	0 00
53	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	21319 00	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसमा कमेटी की मिटींग में लिए गए निणय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 20,22 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	58318 00	0 00
	रिकवरी हो चुकी है।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पंचायत/109378 दिनाक 14 09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	99715 00	0 00
54	रिकवरी कर ली गई है।रसीद साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम	233 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
_	सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को रिकवरी के लिए नोटिस दिया था जिसके विरुद्ध वह माननीय न्यायालय में चला गया है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनाक 11 07 2011 द्वारा श्री कुडा राम भुतपूर्व सरपच को Immune from paying recovery the amount rupees 7167/- कर दिया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	रिकवरी कर ली गई है।रसीद साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाळ 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेत् सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
55	कायालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रहें है। इस कार्यालय के पत्र कमाक 2391 दिनाक 9122022 द्वार भू—राजस्व घोशित करने बारे लिख दिया गया है। नोटिस की प्रति साथ सलग्न है इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/ 109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गय है। अब पुन कलैक्टर महोदय रेवाडी की सेवा मे		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
56	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	11923 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	रिकवरी हा चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	14600 00	0 00
57	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	179671 20	0 00
58	श्री मती सितन्द्र कुमारी भूतपूर्व सरपच ग्राम पचाययत मौजगढ को मु0 433000/ — रु० की राशि जमा करवाने बारे खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक स्पैशल 19 दिनाक 02 08 2021 व इस कार्यालय के पत्र कमाक 02 08 2021 व पत्र कमाक 1791 दिनाक 16 08 2021 द्वारा नोटिस दे दिया गया है। उक्त पूर्व सरपच राशि जमा नहीं करवा रही हैं। अत माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र कमाक 305—306 दिनाक 21 01 2022 व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022 के द्वारा भू—राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतू लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक	0 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	ऑिंडट / पंचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
59	खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमाक स्पैशल 11 दिनाक 02 08 2021 व पत्र क्रमाक 1778 दिनाक 16 08 2021 के द्वारा श्री गुलाब सिंह भूतपूर्व सरपच ग्राम पचायत बराडा को 6790/— रू० जमा करवाने बारे नोटिस जारी किया गया। पूर्व सरपच का देहान्त हो गया है उसके पुत्र राज कुमार व जय कुमार उक्त राशि जमा नही करवा रहे। अत माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र कमाक 295—96 दिनाक 21 01 2022 व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022 के द्वारा भू—राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतू लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/ 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपंच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑडिट / पंचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑडिट / पंचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
60	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्नाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वार निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा क अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद के प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव वे विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिय गया है।	5 5 5	0 00
61	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बार भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाव 09 12 2022कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑिंडट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव व विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिय	ਨ ਨ ਨੇ	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
62	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
63	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमांक लॉक्ल आंढिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	12075 00	0 00
64	उपायुक्त सोनीपत द्वारा पत्र कमाक 10306 दिनाक 25 11.2021 द्वारा भू—राजस्व घोषित कर दिया प्रति साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
65	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	154936 24	0 00
66	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
67	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	4621 00	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकागे/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति विखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
68	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढिट 13807-887 दिनाक 0807 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया हे कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
69	रिकवरों हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेर्ट की मिर्टींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाव लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिय गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिट उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉंग करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/10937 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई हेतू मबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	5 र र म	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	मृत्यु हो चुकी है। प्रमाण पत्र सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	मृत्यु हो चुकी है। प्रमाण पत्र सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
70	मृत्यु हो चुकी है। प्रमाण पत्र सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		21468 00
	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आहिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आहिट हरियाणा का अधिकारी/आहिटर उनके कार्यालय का आहिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑहिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	08 05 2015 को मृत्यु हो चुकी है। प्रमाण पत्र अपेक्षित है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतृ संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		240244 68
	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
71	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र दिनाक 8 12 2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/ 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र दिनाक 8 12 2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/ 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजम्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र दिनाक 10 12.2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
72	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंढिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतृ संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	कार्यातय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12:2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09:2022 द्वारा ग्राम सचिव के	5	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी कर ली गई है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807–887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	924 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
73	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	8923 39	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 0807.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	15033 00	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के	4643 57	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
74	श्री रघबीर सिंह भूतपूर्व सरपंच से मुं0 20250 रू की रिकवरी हो चुकी है। बकाया राशि 1805 की रिकवरी के लिये खण्ड कार्यालय के पत्र कमांक 2481 दिनांक 06 08 2021 के तहत रिकवरी की राशि जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है।	20250 00	0 00
75	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
76	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाव भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिय गया है।	5	0 00
77	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बार भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाव 09 12 2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव व विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिय गया है।	ह ह हे।	0 00
78	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बा भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाव 09 12 2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव	क क	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
_	विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
79	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच का अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
80	रिकवरी कर ली गई है।रसीद साथ सलग्न है।इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1743 00	0 00
	भू राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी हेतू इस कार्यालय के रिजस्टर्ड पत्र कमाक 402 दिनाक 28/01/2022 पत्र कमाक 4174 दिनाक 04/07/2022 के माध्यम से जिला विकास एव पचायत अधिकारी यमुनानगर की सेवा मे लिखा गया था लेकिन भू राजस्व की कार्यवाही लम्बित है। जिस बारे पुन इस कार्यालय के पत्र कमाक 6266 दिनाक 10 12 2022 द्वारा जिला विकास एव पचायत अधिकारी यमुनानगर मे लिखा गया है। प्रति साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
81	रिकवरी कर ली गई है।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसमा कमेटी की मिटींग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 0807.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीव की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
82	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
83	श्री बलवत सिह भूतपूर्व सरपच ग्राम पचायत बड ाामी की तरफ कैश—इन—हैण्ड मु० 12392/— रुपए की राशि बकाया है। केश—इन—हैण्ड की राशि पूर्व सरपच द्वारा ग्राम पचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बार खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक 1568 दिनाक 19 08 2021 व पत्र कमाक 103 दिनाक 17 01 2022 के माध्यम से कैश—इन—हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर—अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके प्रचात् इस कार्यालय के पत्र कमाक 192 दिनाक 28 01 2022 व पत्र कमाक 3499 दिनाक 09 12 2022 द्वारा कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुन लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतृ सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
84	कर्मिला देवी भूवपूर्व पच ग्राम पचायत ध्यागला की तरफ कैश—इन—हैण्ड मु0 11000 /— स्पए की राशि बकाया है कैश—इन—हैण्ड की राशि पूर्व पूव द्वारा ग्राम पचायत के खाते में जम नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक 1565 दिनाक 19 08 2021 व पत्र कमाक 104 दिनाक 17 01 2022 वे माध्यम से कैश—इन—हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है वि यदि पूर्व पच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर—अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके पश्चाद इस कार्यालय के पत्र कमाक 193 दिनाक 28 01 2022 व पत्र कमाव 3500 दिनाक 09 12 2022 द्वारा कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेव		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	मे भूराजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुन लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पद्मायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
85	सुखिवन्द्र सिह भूतपूर्व सरपच ग्राम पचायत सलेमपुर की तरफ केश—इन—हैण्ड मु0 26260/— रुपए की राशि बकाया है। कैश—इन—हैण्ड की राशि पूर्व सरपच द्वारा ग्राम पचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक 1571 दिनाक 19 08 2021 व पत्र कमाक 106 दिनाक 17 01 2022 के माध्यम से कैश—इन—हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर—अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व क तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके पश्चात् इस कार्यालय के पत्र कमाक 195 दिनाक 28 01 2022 व पत्र कमाक 3502 दिनाक 09 12 2022 द्वारा कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुन लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/ 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	प्रीतो देवी भूतपूर्व सरपच ग्राम पचायत सलेमपुर की तरफ कैश—इन—हैण्ड मु० 27875/— रुपए की राशि बकाया है। कैश—इन—हैण्ड की राशि पूर्व सरपच द्वारा ग्राम पचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक 1570 दिनाक 19 08 2021 व पत्र कमाक 105 दिनाक 17 01 2022 के माध्यम से कैश—इन—हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर—अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा में भू—राजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके पश्चात् इस कार्यालय के पत्र कमाक 194 दिनाक 28 01 2022 व पत्र कमाक 3501 दिनाक 09 12 2022 द्वारा कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा में भू—राजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुन लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
86	प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पचायत समसपुर मे पूर्व सरपच कर्ण सिंह ने राशि 156144/—रू० पूर्व सरपच सुरेन्द्र सिंह ने राशि 161907/—रू० तथा पूर्व सरपच विद्या देवी ने राशि 6978/—रू० वर्ष 04/2010 से 03/2015 तक की अवधि मे ग्राम पचायत		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	समसपुर के पचायत फड से राशि निकालकर कैश ईन हैंड रखी गईं थी। उपरोक्त अनुसार उक्त तत्कालीन सरपचो द्वारा पचायत फड से निकाली गई राशि न तो जमा कराई गई न ही उसके बाउचर जमा करवाए गए। उक्त अवधि का पचायत का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह जल गया था जिसकी एफ आई आर की प्रति सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पचायत समसपुर मे पूर्व सरपच कर्ण सिंह ने राशि 156144/—रू० पूर्व सरपच सुरेन्द्र सिंह ने राशि 161907/—रू० तथा पूर्व सरपच विद्या देवी ने राशि 6978/—रू० वर्श 04/2010 से 03/2015 तक की अविध मे ग्राम पचायत समसपुर के पचायत फड से राशि निकालकर केश ईन हैड रखी गई थी। उपरोक्त अनुसार उक्त तत्कालीन सरपचो द्वारा पचायत फड से निकाली गई राशि न तो जमा कराई गई न ही उसके बाउचर जमा करवाए गए। उक्त अविध का पचायत का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है क्योंकि वह जल गया था जिसकी एफ आई आर की प्रति सलग्न है इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतृ सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पचायत समसपुर में पूर्व सरपंच कर्ण सिंह ने राि 156144/—रू० पूर्व सरपंच सुरेन्द्र सिंह ने राि 161907/—रू० तथा पूर्व सरपंच विद्या देवी ने रािश 6978/—रू० वर्श C4/2010 से 03/2015 तक की अविध में ग्राम पचायत समसपुर के पचायत फंड से रािश निकालकर केश ईन हैंड रखी गई थी। उपरोक्त अनुसार उक्त तत्कालीन सरपंचो द्वारा पचायत फंड से निकाती गई रािश न तो जमा कराई गई न ही उसके बाउचर जमकरवाए गए। उक्त अविध का पचायत का रिकार्ड उपलब्ध नहीं कियोंकि वह जल गया था जिसकी एफ आई आर की प्रति सलग्न इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाव 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही है सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
87	7 मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत, 109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	/ 0 00 क	231359 00
88	B मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत, 109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरू	/ 0 00 द्ध	31573 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। अब उपायुक्त महोदय ने अपने पत्र कमाक 787 / DRA/ दिनाक 30 8 2022 द्वारा कार्यवाही हेतू लिख दिया गया है। पत्र की प्रति साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
89	रिकवरी हो चूकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कायालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
90	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		30421 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान समा कमेटी की मिटींग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
91	श्री गुरदेव सिंह पूर्व सरपच ग्राम पंचायत भूखडी में कैश इन हैण्ड की राशि मु0 7224/— रू0 दिनाक 13814 को पंचायत फण्ड में जमा करवा दी है। जिसकी रसीद साथ सलगन हैं।		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	श्रीमती दुलारी देवी पूर्व सरपच ग्राम पचायत भूखडी की मृत्यु हो गई है। उसके परिवार से राशि रिकवरी कने के प्रयास किये जा रहे है। श्रीमती दुलारी देवी पूर्व सरपच के परिवार को दिये गये नोटिस की प्रति साथ सलगन है।	0 00	54884 00
92	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसमा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी /आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट /पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/ 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		11606 00
93	मेहर सिंह भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत लाठी घनौरा की तरफ कैश—इन—हैण्ड मुं0 3735/— स्पए की राशि बकाया है। कैश—इन—हैण्ड की राशि पूर्व सरपंच द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र कमांक 1572 दिनाक 1908 2021 व पत्र कमांक 107 दिनाक 1701 2022 के माध्यम से कैश—इन—हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपंच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर—अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके पत्र कमांक 3503 दिनांक 0912 2022 द्वारा कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा में भू—राजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुनलिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 1409 2022 द्वारा ग्राम संचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	अन्तो देवी भूतपूर्व सरपच ग्राम पचायत लाठी धनौरा की मृत्यु ह चुकी है। इसके अतिरिक्त उसके पित की भी मृत्यु हो चुकी है परिवार का कोई भी सदस्य गाव में नहीं रहता है। अत आपर अनुरोध है कि उक्त पैरा ड्राप करने का कश्ट करे। इस कार्यालय व	व। ते	268122 63

Sr No	Reply	Recovery	Death
	पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
94	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑिडट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	15 645 00	0 00
95	समिति देवी भूतपूर्व सरपच ग्राम पचायत मुरादनगर की तरफ कैश—इन—हैण्ड मु0 23062/— स्पए व 65947/— रूपए की राशि बकाया है। केश—इन—हैण्ड की राशि पूर्व सरपच द्वारा ग्राम पचायत के खाते में जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक 1574 दिनाक 19 08 2021 व पत्र कमाक 109 दिनाक 17 01 2022 के माध्यम से कैश—इन—हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर—अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके प चात् इस कार्यालय के पत्र कमाक 197 दिनाक 28 01 2022 व पत्र कमाक 3504 दिनाक 09 12 2022 द्वारा कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा में भूराजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुन लिख दिया गया है इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	समिति देवी भूतपूर्व सरपच ग्राम पचायत मुरादनगर की तरफ कैश—इन—हैण्ड मु० 23062/— रुपए व 65947/— रूपए की राशि बकाया है। कैश—इन—हैण्ड की राशि पूर्व सरपच द्वारा ग्राम पचायत के खाते मे जमा नहीं करवाई गई है। इस बारे खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक 1574 दिनाक 1908 2021 व पत्र कमाक 109 दिनाक 1701 2022 के माध्यम से कैश—इन—हैण्ड जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है कि यदि पूर्व सरपच द्वारा पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर—अन्दर राशि जमा नहीं करवाई गई तो कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा मे भू—राजस्व के तहत रिकवरी हेतु लिख दिया जाएगा। इसके प चात् इस कार्यालय के पत्र कमाक 197 दिनाक	0 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	2801.2022 व पत्र कमाक 3504 दिनाक 0912.2022 द्वारा कलैक्टर महोदय कुरूक्षेत्र की सेवा मे भूराजस्व के तहत उक्त रिकवरी बारे पुन लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/ पचायत/109378 दिनाक 1409.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
96	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्ट अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है व जिसका इस कार्यालय के पत्र दिनाक 8 12 2022 को स्मरण पत्र दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/ 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतृ संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	22 11 1998 को मृत्यु हो चुकी है इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव वे विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिय गया है।	0 00	24104 00
	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय वे अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—883 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय क आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस् कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 08 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही है।	ह 7 ते ज स 9	0 00
97	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत, 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूत	/ 0 00 इ	7000 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/ 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		5540 00
_	रिकवरी हो चूकी है रसीद सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिय गया है।	?	0 00
98	मृत्यु हो गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वार ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1	8816 00
	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/ 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूट अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गय है।	덬	3868 00
9	खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक स्पै ाल 9 दिनाक 02 08 2021 द्वार श्री महिन्द्र सिंह भूतपूर्व सरपच खान अहमदपुर को कैश इन हैण जमा करवाने बारे नोटिस दिया गया है। उक्त सरपच का देहान्त र गया है उसके वारिस श्री मनजीत सिंह श्री जीत सिंह व श्री भज सिंह को उक्त राशि जमा करवाने के लिये इस कार्यालयस के प् कमाक 1779 दिनाक 16 08 2021 के द्वारा नोटिस दे दिया गया है उक्त सरपच द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई इसलिये उससे रा वसूल करने हेतू भू—राजस्व घोषित करने हेतू इस कार्यालय के प	ड हो न त्र है! श	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	कमाक 309—10 दिनाक 21 01 2022 के द्वारा उपायुक्त महोदय अम्बाला को लिख दिया गया है।		·
5	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे नब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	752 00	0 00
100	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	20353 00	0 00
101	ग्राम सचिव भागल द्वारा ग्राम पचायत फण्ड की कैश बुक माट 03/2021 तथा एच आर डी एफ स्कीम माह 03/21 04/21 05/21 पी आर आई की कैश बुक की प्रति अनुसार श्री मित प्रेमो देवी भूतपूर्व सरपच की तरफ कोई इन्द्राज नहीं है।	36 148 00	0 00
102	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू–राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
\	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद	0 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	भू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
103	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विघान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वार निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा क अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद के प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव व विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिय गया है।	T	0 00
104	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसम् कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय व पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वार निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा व अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद व प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमान ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव व विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिव गया है।	रा ज जी क के	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्व निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा व अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद उ प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कम ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दि गया है।	भ रा का की क	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आिंडट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आिंडट हरियाणा का अधिकारी/आिंडटर उनके कार्यालय का आिंडट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑिंडट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	31333 00	0 00
105	श्री प्रताप सिंह भूतपूर्व सरपंच व श्री चतर सिंह भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत ब्रहामणीवाला को जो नोटिस जारी किये गये उनकी प्रतिया साथ सलन है। इस कार्यालय के पत्र कमाक 2250 दिनाक 09 12 2022 द्वारा दोनों के विरुद्ध कलैक्टर महोदय कैथल की सेवा में लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजरव अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक 2250 दिनाक 09 12 2022 द्वारा दोनो के विरूद्ध कलैक्टर महोदय कैथल की सेवा मे लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	मृत्यु हो गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक 2250 दिनाक 09 12 2022 द्वारा दोनो के विरूद्ध कलैक्टर महोदय कैथल की सेवा मे लिख दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	5825 00
	मृत्यु हो गई है। मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	2084 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही	0 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
107	खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक स्पैशल 01 दिनाक 02 08 2021 व पत्र कमाक 1785 दिनाक 16 08 2021 के द्वारा उक्त राशि जमा करवाने हेतू लिखा गया। पूर्व सरपच का देहान्त हो गया है उसके वारीसो का पता भी नहीं चल रहा है जिस करण उक्त राशि वसूल नहीं हो सकी। अत मननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र कमाक 303–304 दिनाक 21 01 2022 व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा लिखा गया है।	0 00	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
108	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
109	रिकवरी हो चूकी है। सीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय वे अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय क आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस् कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाव 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेत सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	5 7 1 1 1	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	रिकवरी हो चूकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बंधित अधिनस्थं कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	14601 00	0 00
110	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी व स्मरण पत्र दिनाक 09122022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/नचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी व स्मरण पत्र दिनाक 09122022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
111	यह राशि ग्राम पचायत द्वारा ई०ओ०पी०एस० कैथल को पचायत समिति डयूज के रूप मे दी गई थी। परन्तु ग्राम पचायत द्वारा उक्त राशि का इन्द्राज कैशबुक मे खर्च मे नही लिया जिसके कारण यह राशि ग्राम पचायत के गोशवारे मे लम्बित है। जिसका इन्द्राज कैशबुक मे करवा दिया है।	200000 00	0 00
	कार्यालय द्वारा श्रीमित खजानी देवी पूर्व सरपच से कैश इन हैण्ड की राशि वसूल करने बारे कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये थे परन्तु भूतपूर्व सरपच द्वारा कोई भी राशि जमा नहीं करवाई गई। इसलिए इस कार्यालय के पत्र कमाक 6682 दिनाक 07 12 2022 द्वारा उक्त सरपच से राशि रिकवरी करने हेतु कलैक्टर महोदया कैथल को भूराजस्व घोशित करने बारे लिखा गया है।		0 00
112	रिकवरीं हो चूकी है रसीद सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विद्यान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमांक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
_	के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	,	
113	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	8923 39	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	4643 57	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	15033 00	0 00
114	रिकवरी हो चुकी है तथा रसीद साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	15412 00	0 00
115	कार्यालय द्वारा सबन्धित श्री जिले सिंह पूर्व सरपंच से कैश इन हैण्ड की राशि वसूल करने बारे कार्यालय द्वारा नोटिस जारी किये गये थे	0 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	परन्तु भूतपूर्व सरपच द्वारा कोई भी राशि जमा नही करवाई गई। इसिलए इस कार्यालय के पत्र कमाक 6683 दिनाक 07 12 2022 व स्मरण पत्र दिनाक 07 12 2022द्वारा लिखा गया है। द्वारा उक्त सरपच से राशि रिकवरी करने हेतु कलैक्टर महोदया कैथल को भूराजस्व घोषित करने बारे लिखा गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	2612 00	1765 00
116	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भूराजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
117	रिकवरी हो चुकी है तथा रसीद साथ सलग्न है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
118	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा लिखा गया है इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	ऑिंडट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	6 582 00	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	5 687 00	0 00
119	कार्यालय द्वारा अपने पत्र कमाक 3711 दिनाक 09 12 2022 द्वारा उपायुक्त जीन्द को भूतुर्व सरपच के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करवाने बारे लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
120	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए व रमरण पत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	,	0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	ऑंडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
121	कार्यान्तय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यज्ञाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	कायालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नाटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेत् सबिवत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	î 5	0 00
122	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाव भू—गजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाव	0 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death	
	09 12 2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।			
123	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00	
124	वसूली की जा चुकी है। रसीद की कॉपी साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कायवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	23914 00	0 00	
	वसूली की जा चुकी है। रसीद की कॉपी साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिगाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00	
125	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढेट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंढिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00	

Sr No	Reply	Recovery	Death	
126	भू राजस्व के लिए पत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00	
127	भू राजस्व के लिएपत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00	
	भू राजन्व के लिए पत्र दिनाक 09 12 2022द्वारा उपायुक्त महोदय को लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट /पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	'	0 00	
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान समा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिय गया है।		0 00	
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसम् कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय वे पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वार निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा क अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव व विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिय	; ; ; ; ; ;	0 00	
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसम् कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय व पत्र क्रमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वार	र्हे	0 00	

Sr No	Reply	Recovery	Death
	निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढेट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	1125 00	0 00
128	मृत्यु हो गई है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	12073 00
129	मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	198122 00
130	मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/ 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	6000 00
	इस कार्यालय के पत्र कमाक 1816 दिनाक 1607 2021 व 2018 दिनाक 02 08 2021 द्वारा नोटिस दिया गया है। इस सरपच के विरूद्ध किमेनल केस न0 176/2008 श्री राजीव गोयल न्यायधीश कैथल की अदालत में कोर्ट ने दिनाक 03 09 2013 के फैसले में बरी कर दिया है। सलग्न- कोर्ट के फैसले की प्रति	0 00	0 00
131	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07.2022 द्वारा		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद मू—राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
132	बीडीपीओ राजोंद की रिपोर्ट अनुसार भूतपूर्व सरपच श्रीमित कमला देवी के विरुद्ध इस मामले में एफ0आई0आर न0 8 दिनाक 09 02 2010 दर्ज हुई थी। जिसमें माननीय जिला न्यायालय कैथल ने अपने आदेश दिनाक 20 12 2014 द्वारा श्री मित कमला देवी भूतपूर्व सरपच ग्राम पचायत कसान को 2500 रू का जुर्माना व तीन साल की सजा सुनाई गई थी। माननीय जिला न्यायालय कैथल द्वारा पारित आदेशों की प्रति साथ सलग्न है। अत पैरे को द्वाप करने की कृपा करे। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	बीडीपीओ राजोंद की रिपोर्ट अनुसार भूतपूर्व सरपच श्रीमित कमला देवी के विरुद्ध इस मामले में -एफ0आई0आर न0 8 दिनाक 09 02 2010 दज हुई थी। जिसमें माननीय जिला न्यायालय कैथल ने अपने आदेश दिनाक 20 12 2014 द्वारा श्री मित कमला देवी भूतपूर्व सरपच ग्राम पचायत कसान को 2500 रू का जुर्माना व दो माह की सजा सुनाई गई थी। माननीय जिला न्यायालय कैथल द्वारा पारित आदेशों की प्रति साथ सलग्न है। अत पैरे को द्धाप करने की कृप करे। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
133	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाव भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए व स्मरण पत्र दिनाव 09 12 2022द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाव ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव व विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिय	ō ō	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	गया है।		
134	खण्ड कार्यालय ने अपने पत्र कमाक 5457 दिनाक 22 09 2021 व कामक 6216 दिनाक 09 12 2022 द्वारा सुचित किया है कि कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपंच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
	खण्ड कार्यालय ने अपने पत्र कमाक 5457 दिनाक 22 09 2021 व कामक 6216 दिनाक 09 12 2022 द्वारा सुचित किया है कि कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
135	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	2476 00	0 00
	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान समा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 0807.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	12700 00	0 00
136	रिकवरी हो चुकी है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का	14506 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		
137	रिकवरी हो चुकी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कनाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकागे/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति विखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
	35,30,484 47	12,65,291 52	

Every concrete efforts are been made to recover the amount of Audit Para from the concerned Hence, para may kindly be dropped

The Committee has desired to keep the para pending with regard to Gram Panchayats from which recovery is yet to be made with the direction to the department that latest report in this regard be submitted to the Committee

[40] Appendix-'J'

As referred to in Para 3(ii) of Part-II(A) of the Annual Audit Report of Local Audit Department Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs)

Relates to the cases of Embezzlement Misappropriation by wrongly working out totals of expenditure/Closing Balance or Less carrying forward the Closing Balances to the next month as Opening Balance in Cash Book of Gram Panchayat

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)	Recovery
1	Ambala	Kalu Majra	Ambala II	Total expenditure for the month of 3/13 was worked out to Rs 6 46 565 but booked in the cash book of Rs 6 61 055 as such Rs 14 490 were booked in excess thus embezzled		14490 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)	Recovery
4	Sonepat	Salimpur Trally	Sonepat	Due to wrong calculation closing balance is less taken	31300 00	0 00
5	Sonepat	Sandal Kalan	Sonepat	Closing balance short taken and interest not taken in the cash book Thus embezzled	128852 00	0 00
6	Sonepat	Tihar Malık	Gohana	Closing balance as on 31/3/09 worked out to Rs 1 45 902 but only Rs 71 660 50 were carried over as opening balance on 01/04/09 Hence Rs 74 241 50 less shown resulting into embezz lement	74241 00	74241 00
7		_	-		0	
8	Panchkula	Nanakpur	Pinjore	Opening balance short carned over	18000 00	18000 00
				TOTAL	2 66 883 00	1,06 731 00

The Department in its written reply stated as under -

Sr No	Reply	Death
1	अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम पंचायत की एच0आर0डी0एफ स्कीम की कैश बुक पेज न0 10 पर निकाले गए गौस्वारे में खर्च राशि का टोटल 6 61 055 अकित किया गया है जो कि एक लिपिकीय त्रुटी है जबिक कैश बुक के पेज 10 11 12 का सही टोटल 6 46 565 रू है। जो कि सबन्धित ऑडिटर द्वारा कैश बुक में भी दुरूस्त किया गया है। कप्या पैरा ड्रोप करने का कश्ट करे। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
4	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑिंडट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
5	कार्यालय द्वारा सबन्धित सरपच को अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	

Sr No	Reply	Death
6	उक्त राशि रिकार्ड का अवलोकन करने उपरात ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे प्रतीत हो सके की भूतपूर्व सरपंच के पास 7424150/रुपये कैश इन हैण्ड है। सबिधत रिकार्ड की प्रति साथ सलग्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऑडिट के दौरान कुल खर्च की गणना करते समय कुछ त्रुटि हुई है। अत उक्त को पुन ऑडिट हेतु डी०आर०ओ० जीन्द को पत्र क्रमांक 3829 दिनांक 2907 2021 के द्वारा लिखा गया है। अत उक्त पैरा का निदान करने का कश्ट करे। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पचायत/109378 दिनांक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
8	रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह एक लिपिकीय त्रुटी के कारण इन्द्राज नहीं किया गया जिसे अब दुरूस्त कर दिया गया है। अत पैरा ड्राप करने का कश्ट करे। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम भिवव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
Ev	very concrete efforts are been made to recover the amount of Audit Para the concerned Hence, para may kindly be dropped	from

The Committee has desired to keep the para pending with regard to Sr No 1,4,5,6 and 8 with the direction that matter may again be looked into by the department and necessary action be taken accordingly

[41] Appendix-'K'

[As referred to in Para 3(iii) of Part II(A) of the Annual Audit Report of Local Audit Department Haryana for the year 2015 16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayat iRaj Institutions (PRIs)]

Relates to the cases in which income realized by Gram Panchayat was either not accounted for or less accounted for in the cashbook

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para
1	Yamuna Nagar	Chhan	Radaur	Rs 95 200 were realized from Sh Baljt S/o Nathu Ram on account of lease money of Plot No 2 through receipt no 14/3924 dated 18 05 12 but the same was neither accounted for in cash book nor deposited in bank of Panchayat fund thus embezzled

The Department in its written reply stated as under

Sr No	Reply	Recovery	Death
	बीडीपीओ रादौर की रिपोर्ट अनुसार 95200 / —की राशि की वसूली हेतू पूर्व सरपच / पूर्व सबधित ग्राम सचिव ग्राम पचायत छारी को इस कार्यालय द्वारा दिनाक 14 08 2021 को नोटिस जारी कर दिया गया था। पूर्व सरपच ग्राम पचायत छारी तथा पूर्व सबन्धित ग्राम सचिव श्री भाग सिह की मृत्यु हो चुकी है। अत पैरा ड्रोप करने का कश्ट करे।		95 200 00
_			f

Every concrete efforts are been made to recover the amount of Audit Para from the concerned Hence, para may kindly be dropped

The Committee has desired to keep the para partially pending i e with regard to Sr No 1 for want of recovery

[42] Appendix-'L'

Para No 3 (IV) of Part II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015 16

Relates to the cases of Grant in Aid/Land Tax/Lease Money/Wine share and interest etc occurred on post office/Bank Accounts/investments etc received but not accounted for as income in the cash Book of Gram Panchayats and corresponding entries of such income were reduced from cash

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
1	Ambala	Kalu Majra	Ambala II	Rs 25 839 (Rs 1282 65 on 30 9 11 Rs 10 000 on 01 3 12 and Rs 14 556 57 on 31 3 12) received in respect of grant & interest was not accounted for in cash book thus embezzled	25839 00
3	Kaithal	Pilani	Pundn	Amount received on account of Excise share and house tax were not accounted for in cash book thus embezzled	61 827 00
5	Sırsa	Bhamnoor	Dabwalı	Rs 2 13 733 were shown credited in account no 871312009 by cheque no 190325 in the bank pass book of Panchayat fund on 9 2 10 by Indian Bank Sirsa But the same was not accounted for in Panchayat cash book thus embezzled	2 13 733 00
6	Sonepat	Mohana	Sonepat	As per OBC bank pass book Rs 42 300 were shown credited	42 300 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
				on 25 6 2009 as salary of safai karamchan but the same was not accounted for in cash book thus embezzled	
				TOTAL	3 43 699 00

The Department in its written reply stated as under

Sr No	Reply	Recovery	Death
1	अवलोकन करने पर पाया गया है कि ग्राम पचायत की एच0आर0डी0एफ स्कीम की बैंक पास बुक में दिनाक 01 03 2012 को 10 000 /— रू दिनाक 31 03 2012 को 14 556 57 रू दिनाक 01 10 2012 को 1280 65 रू ब्याज प्राप्त हुए थे। विभागीय लिपिकीय त्रुटी के कारण यह राशि कैश बुक में दर्ज नहीं की गई जो अब कर दी गई है। इसमें किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तो कार्यवाही प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। कृप्या पैरा ड्रोप करने का कश्ट करे।	25839 00	0 00
3	रिक्वरी हो चूकी है रसीद सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थं कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमांक लॉक्ल आंडिट 13607—887 दिनांक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखांकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनांक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सब्धित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
5	यह ग्राम पचायत खण्ड रानिया मे पडती है। रिकवरी के लिए प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	· 	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
6	रिकवरी हो चूकी है एसीद सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	42300 00	0 00
		68,139 00	0 00

The Committee has desired that para—Sr No 1, 3, 5 & 6 to keep the para pending for want of recovery

[43] Appendix-'M'

Para No 3 (v) of Part II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16 Relates to the cases of suspected embezzlements/ Misappropriations/Fraudulent payments likely cases thereof Gram Panchayat Fund

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
1	Jhajjar	Faijabad	Jhajjar	Purchase of 11 Qrl RMC of Rs 5 72 412 were made vide vr no 11 of 7 3 12 whereas actual amount was Rs 57 241 only Thus Rs 5 15 171 excess paid was embezzled	5 15 171 00
3	Sonepat	Shahzadpur	Sonepat	Vanous vouchers related to the expenditure of Rs 2 11 458 were not put up in audit Hence the amount seems to be embezzled	2 11 458 00
4	Sonepat	Batgaon Dungra	Sonepat	Rs 1 03 250 were paid to M/s Shiv Shankar Building Material Suppliers vide vr no 30 of 5/11 but Rs 1 30 250 were booked as expenditure in cash book thus Rs 27 000 were embezzled	27 000 00
5	Sonepat	Bagru	Sonepat	Lease money received from Vishav Dev were not accounted for in cash book thus embezzled	45 000 00

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)	
6	Sonepat	Chitana		Wine share received but not taken in the income side of the cash book thus embezzled	91 342 00	
7	Sonepat	Bhatgaon Malyan	Sonepat	Rs 3 95 000 were paid vide vr no 13 dated 10/12 but the actual amount worked out to Rs 3 85 000 Thus Rs 10 000 paid in excess thus embezzled	10 000 00	
8	Sonepat	Rolad latıfpur	Sonepat	Received by way to interest pay of Safai Karmchari but not accounted for in cash book	32 312 00	
10	Karthal	Karora	Pundrı	Interest received not accounted for in cash book thus embezzled	19 384 00	
11	Rewari	Sundroj	Rewarı	Amount received but not accounted for in cash book thus embezzled	37 781 00	
14	Ambala	Barnala	Ambala II	FDR interest not taken in cash book thus embezzled	15 35 084 00	
15	Ambala	Kalu Majra	Ambala II	Payment vouchers related to M/s Anil bricks & Co was not debited in the cash book however the payment was made twicly to firm of Rs 60 225 which tentamount to embezzlement	60 225 00	
16	Ambala	Tundlı	Ambala II	Rs 2 69 450 were paid to Sh Anil Kumar contractor vide vr no 6 dated 8/9/13 on account of purchase of building material but the calculation of the said bill was Rs 2 16 450 Hence Rs 53 000 were paid in excess thus embezzled		
17	Ambala	Khel Khurd	Ambala II	Cheque received not entered into cash book	12 900 00	
18	Ambala	Talhen	Ambala II	Cheque received not entered into cash book	19 990 00	
19	Kamal	Brahman Majra	Nilokhen	Lease money received but not accounted for in cash book thus embezzled	4 30 900 00	

Sr No	GP Block District	Name of Gram Panchayat	Biock	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)
20	Yamuna Nagar	Jafarpur Jafn	Sadhoura	Double muster rolls of same labour debited in the gram fund and schemes	41 101 00
23	Panıpat	Bhola	Panipat	Rs 15 000 on account of security forfeited and Cheque of Rs 11 000 of Honoranum of Safai Karmchan not taken into the cash book and Rs 37 140 short credited over in closing balance not corrected	63 140 00
25	Kaithal	Kassan	Rajound	Payment of earthwork filling paid to cash instead of by cheque without any resolution passed from panchayat Sh Rajpal	1 07 800 00 (26720+16360+64720)
				Payment of earthwork filling paid to cash instead of by cheque without any resolution passed from panchayat Sh Satpal S/o Sh Krishan	54 000 00
				Payment of earthwork filling paid to cash instead of by cheque without any resolution passed from panchayat, thus embezzled not payment receipt for the actual payees Sh Shankar S/o Sh Randhir	
				Payment of earthwork filling paid to cash instead of by cheque without any resolution passed from panchayat Sh Rajpal S/o Sh Sube Singh	54 000 00
				Payment of earthwork filling was made in cash instead of by cheque without passing any resolution from Panchayat. Apart from this actual payees receipt of the payment was not obtained from Sh Randhir Singh S/o Sh Har Sarup	54 000 00
				TOTAL	35,29,588 00

The Department in its written reply stated as under -

Sr No	Reply	Recovery	Death
1	रिकाड जल गया है। एफ आई आर की कॉपी साथ सलग्न है। सम्बिधत अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब एफ आई आर की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले।	0 00	0 00
3	रिकवरी हो चूकी है रसीद सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	211458 00	0 00
4	रिकवरी हो चूकी है रसीद सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कायालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सच्चिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	27000 00	0 00
5	रिकवरी हो चूकी है रसीद सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थं कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
6	ग्राम सिवव द्वारा 03 01 2022 द्वारा लिख कर दिया है कि रिकॉर्ड का 3 बार अवलोकन करने उपरान्त कोई भी वाईन शेयर की राशि ऑडिट अवधि अप्रेल 2011 में मार्च 2014 तक कोई राशि पचायत में प्राप्त नहीं हुई। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रिकार्ड दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले।	0 00	0 00
7	रिकवरी हो चूकी है रसीद सलग्न है।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमांक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनांक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखांकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 14 09 2022 द्वारा ग्राम संचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	10000 00	0 00
8	कैश बुक में बाकी राशि की दुरूस्ती कर दी गई! कैश बुक की प्रति सलग्न है।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हिरयाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले।	19268 00	0 00
9	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत व स्मरण पत्र दिनाक 09 12 2022 द्वारा लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
10	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्माक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
11	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	37781 00	0 00
14	सबिधत एफ0डी0आर0 पर ब्याज की राशि का कैश बुक के पेज न0 16 पर इद्राज कर दिया गया है। प्रति साथ सलग्न है। कृप्या पैरा ड्राप करने का कश्ट करे। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रिकार्ड दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले।	1535084 00	0 00
15	रिकवरी कर ली गई है।रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।		0 00
16	खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक 1473 77 दिनाक 20 07 2021 के माध्यम से श्री गुरमीत सिंह पूर्व सरपच टुडली खण्ड अम्बाला—।। को ऑडिट आपित के सम्बन्ध मे अपना पक्ष रखने हेतु दिनाक 27 07 2021 तक खण्ड कार्यालय मे बुलाया गया। जिसका पुर्व सरपच द्वारा अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया। कार्यालय के पत्र कमाक 1654 दिनाक 05 08 2021 को पूर्व सरपच को इस बारे समरण पत्र जारी किया गया है। सम्बन्धित ग्राम सचिव द्वारा दिनाक 14 08 2021 को खण्ड कार्यालय मे रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वोचर न0 6 दिनाक 08 09 2013 द्वारा खरीद बिल्डिंग मैटिरियल की अदायगी मु0 216450/— रू की जानी थी परन्तु इसकी जगह मु0 269450/— रू की अदायगी कर दी गई थी। यह राशि 21 प्रतिशत ब्याज सहित दिनाक 18 03 2015 को वसूल कर आमदन म दर्ज कर दी गई थी। जिसका इन्द्राज पचायत फण्ड		0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	केश बुक पेज न0 92 पर आमदन साईंड दर्ज है। अत सबन्धित ग्राम सचिव की रिपोर्ट व केश बुक पेज न 92 की छायाप्रति सलग्न करके आपकी सेवा मे अनुरोध है कि ऑडिट पैरा का निपटान करने का कश्ट करे।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधान सभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले।		
17	अवलोकन करने से पाया गया कि ऑडिट आपित्त के सम्बन्ध में श्रीमित सुरिन्द्र कौर पूर्व सरपच ग्राम पचायत घेल खुर्व द्वारा ग्राम सचिव के साथ नगर निगम अम्बाला शहर कार्यालय में जाकर उनके कार्यकाल से सबनिधत रिकॉर्ड का अवलोकन करने उपरात पाया गया उपरोक्त राशि पास बुक में दर्ज है। परन्तु उस समय कैश बुक में गलती से आमदन साईड दर्ज नहीं की गई थी जो कि कैश बुक के पेज न0 61 के आमदन साईड माह फरवरी 2015 में दर्ज करके दुरूस्त कर दी गई है (प्रति सलग्न)। कृप्या पैरा निपटाने का कश्ट करे। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ह्रॉप करवा ले।	12900 00	0 00
18	ब्लॉक— अम्बाला—।। मे इस नाम का कोई ग्राम पचायत नहीं है।	0 00	0 00
19	पचायत के रिकॉर्ड के अवलोकन उपरान्त प्लाट न0 9 17 का दिनाक 08 05 2014 को बोली की गई। प्लाट न0 9 का मु0 250000 रू तथा प्लाट न0 17 का मु0 570000 रूप्ये की बोली की गई। लेकिन बोली दाता कैसिल कर दिया गया है लेकिन ग्राम सचिव द्वारा पटटा रिजस्टर के गौसवारा में गलती से राशि जमा दिखा दी गई। इसके बाद दिनाक 09 06 2014 को इन दोनो प्लाटो की बोली की गई। बोली दाता द्वारा कम बोली देने के कारण बोली कैसिल कर दी गई। इसके बाद तीसरी बोली दिनाक 16 06 2014 को की गई। जिसमें प्लाट न0 9 मु0 64 000 / — रू में बोली छूटी और जिसमें प्लाट न017 मु0 325000 रुपये में बोली गई। इस प्रकार 250000+570000 =820000—(325100+64000)= 4 30 900 रू का फार्म न0 4 की	430900 00	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	रसीद काटकर कैश बुक के पृ० न 56 दिनाक 18 07 2014 में प्राप्त कॉलम में जमा कर लिया है। इसके साथ कैश बुक की फोटो प्रति और पटटा रजिस्टर की फोटो प्रति साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले।		
20	खण्ड कार्यालय सढौरा पत्र कमाक 1733 दिनाक 1407 2021 द्वारा श्री रामकुमार पूर्व सरपच ग्रम पचायत जाफरपुर जाफरी को मु0 41101/— रु० की रिकवरी जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया गया है (प्रति सलग्न है)। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00	0 00
23	खण्ड पानीपत भोला नाम की कोई ग्राम पचायत नही है। पैरा ड्राप करने का कश्ट करे।	0 00	0 00
25	लगाई गई आपित के सम्बंध में रिकार्ड का निरीक्षण किया तो पाया ग्राम पंचायत कसान ने अपनी पंचायत का प्रस्ताव न0 3 दिनाक 15 11 2014 पारित करके निम्नलिखित अदायगी की है। 1) श्री राजपाल पुत्र श्री जगत सिंह ट्यूबवैल ऑपरेटर 10 मास का वेतन मु0 26720/—रूपये चैक न0 540969 द्वारा अदायगी की गई है। 2) श्री जयपाल पुत्र श्री सोरण ट्यूबवैल ऑपरेटर 5 मास का वेतन मु0 13360/—रूपये चैक न0 540970 द्वारा अदायगी की गई है। 3) प्रस्ताव न0 1 दिनाक 06 11 2014 पारित करके चैक न0 540968 द्वारा श्री नायब सिंह पुत्र श्री दिवान सिंह ट्यूबवैल ऑपरेटर को 03/2015 तक का वेतन मु0 64720/—रूपये की अदायगी की गई है। जिसकी रसीद न0 151 साथ सलग्न है। इस प्रकार कुल 107800/— रूपये के स्थान पर कुल 104800/—रूपये की अदायगी रिकार्ड मुताबिक ठीक ट्यूबवैल ऑपरेटरों को की गई है जिनकी रसीद साथ सलग्न है।		0 00
	ग्राम पचायत कसान ने अपनी पचायत का प्रस्ताव न0 5 दिनाक 04 10 2013 पारित करके सतपाल / कृश्ण निवासी गुलियाणा के 225 ट्राली मिटटी 240 रूपेय प्रति ट्राली की दर से डालने वे	Τ	0 00

Sr No	Reply	Recovery	Death
	चैक न0 540963 द्वारा अदायगी की गई है। जिसकी एम0बी0 नहीं मिली और ना ही अस्टीमैट अधिक समय व्यतीत होने के कारण पंचायत रिकार्ड में नहीं मिला।		·
	कैश बुक पचायत फड के पेज न0 38 पर अकित गोस्वारा 10/2013 में खर्चा दर्ज है।		
	ग्राम पचायत कसान ने अपनी पचायत का प्रस्ताव न0 5 दिनाक 04 10 2013 पारित करके भोखर/रणधीर निवासी कुराड को 225 ट्राली मिटटी 240 रूपेय प्रति ट्राली की दर से डालने के चैक न0 540962 द्वारा अदायगी की गई है। जिसकी एम0बी0 नहीं मिली और ना ही अस्टीमैट अधिक समय व्यतीत हाने के कारण पचायत रिकार्ड में नहीं मिला। कैश बुक पचायत फड के पेज न0 38 पर अकित गोस्वारा 10/2013 में खर्चा दर्ज है।	0 00	0 00
	ग्राम पचायत कसान ने अपनी पचायत का प्रस्ताव न0 5 दिनाक 04 10 2013 पारित करके राजपाल/सुबे सिंह निवासी चौशाला को 225 ट्राली मिटटी 240 रूपेय प्रति ट्राली की दर से डालने के चैक न0 540964 द्वारा अदायगी की गई है। जिसकी एम0बी0 नहीं मिली और न ही अस्टीमैट अधिक समय व्यतीत होने के कारण पचायत रिकार्ड में नहीं मिला। कैश बुक पचायत फड के पेज न0 38 पर अकित गोस्वारा 10/2013 में खर्चा दर्ज है।	0 00	0 00
	ग्राम पचायत कसान ने अपनी पचायत का प्रस्ताव न0 5 दिनाक 04 10 2013 पारित करके रणधीर/हरसरूप निवासी कुराड को 225 ट्राली मिटटी 240 रूपेय प्रति ट्राली की दर से डालने के चैक न0 540961 द्वारा अदायगी की गई है। परन्तु अदायगी का बिल खर्चा फाईल मे नहीं मिला। लेकिन कैश बुक पचायत फड के पेज न0 38 पर अकित गोस्वारा 10/2013 में खर्चा दर्ज है।	0 00	0 00

The Committee has desired that para—Sr No 1, 3 to 8, 10, 11, 14 to 20, $\overline{23\ \&}$ 25 to keep the para pending

[44] Appendix- 'N'
Para No 4 of Part II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015-16

Sr No	Appendix	Para No	Detail of para	Gram Panchayat	Amount (in Rs)
6	N	D 4 11 (A) -5	Relates of irregular expenditure incurred in the excess of prescribed limit as laid down in rule 14 of Panchayati Raj Budget Finances Accounts Audit Taxation and Works Rule1996	111	40 42 422

The department in its written reply stated as under -

After scrutiny of the record it is found that the rate of expenditure for entertainment of Ministers Commissioner and Secretary to the Governments has not been revised since 1996. In mostly replies it is mentioned that it is not possible to complete a program of entertainment and advertisement in Rs 3 000/. After scrutiny of the record. It is cleared that in mostly cases expenditure beyond the prescribed limit is done due to visit of more than one VIP visit of Chief Minister on advertisements for the welfare of Gram Panchayat adopting proper procedure i.e. passing of resolution and on lowest quotation. No embezzlement is come into notice. The Expenditure has been regularized vide this office letter. No 89873 906 dated 26 7 2022 and No 160427-440 dated 9 12 2022. Hence, it is requested to kindly drop the Para.

The Committee has desired to keep the para pending

[45] Appendix- 'O'

Para No 4 of Part II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015 16

Sr No	Appendix	Para No	Detail of para	Gram Panchayat	Amount (ın Rs)
7	0	annual audit	Relates to the cases of Fee Paid to the Counsellors in excess of prescribed limit as laid down contravention of instructions issued by Director Panchayat Haryana vide letter No S/I/98/53347-95		5091496

The department in its written reply stated as under -

After scrutiny of the record it is found that the rate of expenditure of counsellor fee has not been revised since 16 09 1998. In mostly replies it is mentioned that it is not possible hire an Advocate in Rs 5500/- due in urgency of Court Cases related to Gram Panchayats. After scrutiny of the record. It is cleared that in mostly cases the counsellor has been hired for the welfare of

Gram Panchayat adopting proper procedure i.e. passing of resolution and on lowest quotation. No embezzlement is come into notice Expenditure has been regularized vide this office letter. No 89907-25 dated 26 7 2022 and letter dated 09-12-2022 respectively. Hence it is requested to kindly drop the Para.

The Committee has desired to keep the para pending

[46] Appendix-'P'

Para No 4 of Part-II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015 16

Sr No	Appendix	Para No	Detail of para	Gram Panchayat	Amount (ın Rs)	
8	P'	Appendix P of Para No 4 of Part II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015 16	Relates to the cases of Non Deduction of Sale Tax Income Tax from the building material suppliers		5670389 1323852	

Sr No	District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)	Recovery
1	Yamuna Nagar	Baindi	Radaur	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	26 384 00	
2	Panipat	Bohall	Madlauda	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	1 04 884 00	1 04 884 00
4	Panipat	Kawi	Madlauda	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	90 874 00	
5	Yamuna Nagar	Bakana	Radaur	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	8 935 00	8 935 00
6	Karnal	Garhi Bırbal	Indn	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	4 36 759 00	
7	Kamal	Indergarh	Indn	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	12 411 00	

8	Kurukshetra	Jurasi Kalan	Pehowa	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	29 779 00	
9	Kurukshetra	Murtzapur	Pehowa	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	38 769 00	
10	Kurukshetra	Thema Boora	Pehowa	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	7 385 00	
11	Kurukshetra	Saına salda	Pehowa	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	22 530 00	
12	Kurukshetra	Harigarh Boora	Pehowa	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	1 28 796 00	
13	Kurukshetra	Madapur	Pehowa	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	35 365 00	
14	Panipat	Bhadhar	Madlauda	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	65 518 00	
15	Panipat	Sadopur	Madlauda	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	53 124 00	
16	Rohtak	Katwara	Rohtak	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	24 137 00	
17	Kurukshetra	Rapiı Majra	Ismailabad	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	18 914 00	
18	Panipat	Kharka	Madlauda	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	50 634 00	
19	Kurukshetra	Majra	Pehowa	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	20 553 00	

00					·	
20	Fatehabad	Garhi roran	Tohana	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	2 29 306 00	
21	Kurukshetra	Seonsar	Pehowa	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	32 657 00	
22	Kurukshetra	Malıkpur	Ismailabad	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	27 371 00	
23	Kurukshetra	Salpanı Khurd	Ismailabad	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	80 280 00	
24	Kurukshetra	Bakalı	Ladwa	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	84 831 00	
25	Kurukshetra	Ajrana Khurd	Ismailabad	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	23 246 00	
26	Kurukshetra	Bidha	Pehowa	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	39 846 00	
27	Kurukshetra	Gumthala garhi	Pehowa	income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	61 607 00	
28	Fatehabad	Bilochpura	Tohana	Income Tax @2 20% + Sales Tax@ 4%	36 382 00	
				TOTAL	18 90,890 000	8,935 00

The Department in its written reply stated as under

	Reply In all cases of GPs notices for recovery have been issued by the concerned BDPOs. Therafter action under section 53(1) of Land Revenue Act will be persued.	Death
1	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमाक 7166 दिनाक 12/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3594 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार	

	चिमार्टरं दिया गुगा है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक
1	आिंडट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सिचव के विरूद्ध
	अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।
2	िकतरी हो चकी है। फार्म न0 4 की बक स0 54 रसीद न0 90 के अनुसार
-	राशि दिनाक 15/12/2021 के अनुसार ग्राम पचायत मे जमा हो चुकी है।इस
	कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा
	ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख
	दिया गया है।
4	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण
	कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी।इस कार्यालय के
	पन कमाक ऑडिट /पचारात / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सर्चिव क
	विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।
5	रिकवरी हो चूकी है।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की
ا	मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल
1	आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि
	जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का
1	आहिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के
	आहित कर पर्व रसाद का भाग विद्यांकर परा श्राप करवा ला इस कार्यांच के
	पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के
	विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।
6	कार्यालय के पत्र कमाक 3371 दिनाक 04.08.2021 के द्वारा सम्बंधित ग्राम
	प्यक्रित को रस बारे रिकार्ड चैक करते हुए कार्यावाही करने बारे निर्दे । जारी
1	कर दिया गया है। जल्द ही कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा म भज
	िट जाएरी। इस कार्यालय के पत्र कमांक आडिट/पंचायत/109378 दिनीक।
	14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित
1	उपायुक्त को लिख दिया गया है।
<u> </u>	ज्यानुपरा पर विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय विषय
7	कार्यालय के पत्र कमाक 3373 दिनाक 04082021 के द्वारा सम्बंधित ग्राम
	सचिव को इस बारे रिकार्ड चैक करते हुए कार्यावाही करने बारे निर्दे । जारी
	कर दिया गया है। जल्द ही कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज
1	िट जाएगी। दस कार्यालय के पत्र कमांक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाके।
	14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबोधत
1	चपायुक्त को लिख दिया गया है।
8	कार्यालय द्वारा सबधित सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण
١	कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। इस कार्यालय के
	पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के
-	विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।
	विकद्ध अनुसासानक काववाहा हतू तबावत ज्यानुवत का तिव विका निवा हत
9	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण
1	कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। कार्यवाही की प्रति
	चार्या सलान नहीं है। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑडिट/पंचायत/109378
	दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू
	सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।
10	कार्यालय द्वारा सबिधत सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण
110	कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। कार्यवाही की प्रति
L	कायावाहा करत हुए १९५१८ आपका तथा न नण १५ आर्गा प्रमुखारा का अवि

	साथ सलग्न नहीं है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतृ सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
11	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। कार्यवाही की प्रति साथ सलग्न नहीं है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतृ संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
12	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा मे भेज दि जाएगी। कार्यवाही की प्रति साथ सलग्न नही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
13	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। कार्यवाही की प्रति साथ सलग्न नही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
14	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी।इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
15	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी।इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
16	सबिधत फर्म से पत्राचार करके वसूली के प्रयास किये जा रहे है। वसूली उपरान्त आडिट के समय रिकॉर्ड प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
17	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। कार्यवाही की प्रति साथ सलग्न नहीं है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
18	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा मे भेज दि जाएगी। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
19	कार्यालय द्वारा सबधित सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। नोटिस की प्रति साथ सलग्न नहीं है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378	

	दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
20	कार्यालय द्वारा सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा मे भेज दि जाएगी। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
21	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा मे भेज दि जाएगी। नोटिस की प्रति साथ सलग्न नही है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिवत जपायुक्त को लिख दिया गया है।	
22	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा मे भेज दि जाएगी। नोटिस की प्रति साथ सलग्न नही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
23	कार्यालय द्वारा सबिधत सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। नोटिस की प्रति साथ सलग्न नही है। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
24	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा मे भेज दि जाएगी। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
25	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा मे भेज दि जाएगी। नोटिस की प्रति साथ सलग्न नही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
26	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। नोटिस की प्रति साथ सलग्न नहीं है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
27	कार्यालय द्वारा संबंधित सरपंच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा में भेज दि जाएगी। नोटिस की प्रति साथ सलग्न नहीं है। इस कार्यालय के पत्र कमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
28	कार्यालय द्वारा सबधित सरपच को नोटिस दे दिया गया है। जल्द ही पूर्ण कार्यावाही करते हुए रिपोर्ट आपकी सेवा मे भेज दि जाएगी। इस कार्यालय के	

पत्र कमाक ऑडिट / पचायत / 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।

In all the cases, notices for recovery have been issued by the concerned BDPOs Thereafter, action under section 53(1) of Land Revenue Act will be perused Hence, para may kindly be dropped

The Committee has desired to keep the para pending

[47] Appendix-'Q'

Para No 4 of Part II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015 16

Sr No	Appendix	Para No	Detail of para	Gram Panchayat	Amount (ın Rs)
9	Q	No 4 of Part II (A) of annual audit Report	Relates to the cases of Purchase of RCC Pipes from Open Market instead of subsides @50% from Offices concerned	74	14050313

S No	District	Block	Village	Amount (ın Rs)
1	Fatehabad	Ratia	Alıka	16 648 00
2	Fatehabad	Ratia	Hamjapur	23 079 00
3	Fatehabad	Ratia	Chando Kala	29 891 00
4	Fatehabad	Bhuna	Gorkhpur	13 156 00
5	Fatehabad	Jakhal	Musa Khera	1 33 588 00
6	Fatehabad	Jakhai	Kudanı	42 762 00
7	Fatehabad	Jakhai	Rupawalı	2 48 843 00
8	Fatehabad	Jakhai	Sidhani	57 960 00
9	Fatehabad	Tohana	Hansawalı	42 800 00
10	Fatehabad	Tohana	Dangra	62 975 00
11	Fatehabad	Tohana	Rehanwali	25 997 00
12	Fatehabad	Tohana	Parta	1 44 027 00
13	Fatehabad	Tohana	Manghera	80 100 00
14	Fatehabad	Tohana	Tharva	1 13 976 00

S No	District	Block	Village	Amount (ın Rs)
15	Fatehabad	Тоһапа	Hedarwala	15 951 00
16	Fatehabad	Tohana	Chilewal	18 910 00
17	Fatehabad	Tohana	Chiten	61 354 00
18	Fatehabad	Tohana	Dhamapur Khurd	16 800 00
19	Fatehabad	Tohana	Gajuwala	3 19 936 00
20	Fatehabad	Fatehabad	Bhima wala	20 105 00
21	Hisar	Agroha	Nangthala	72 546 00
22	Hısar	Hansı İ	Singhwa Ragho	1 63 112 00
23	Jind	Julana	Anoopgarh	1 14 074 00
24	Jind	Julana	Jhamola	1 49 876 00
25	Jind	Julana	Malvı	31 575 00
26	Jind	Julana	Lajwana kalan	17 895 00
27	Kamal	Asandh	Kaul Khera	1 91 871 00
28	Kamai	Gharounda	Han Singh Pura	21 576 00
29	Karnal	Gharounda	Gagsina	2 24 927 00
30	Kamal	Gharounda	Gagsina	2 24 927 00
31	Kurukshetra	Ismailabad	Jalbhera	19 000 00
32	Kurukshetra	Ismailabad	Ajmatpur	55 640 00
33	Kurukshetra	Ismailabad	Busthala	1 94 774 00
34	Kurukshetra	Pehowa	Seonsar	51 294 00
35	Kurukshetra	Pehowa	Morthali	50 908 00
36	Kurukshetra	Pehowa	Healwa	44 121 00
37	Kurukshetra	Pehowa	Ramgarh road	41 466 00
38	Kurukshetra	Pehowa	Bodhnı	5 66 874 00
39	Kurukshetra	Pehowa	Surmı	91 698 00
40	Narnaul	Ateli Nangal	Neerpur (Rajpura)	89 556 00
41	Namaul	Mahendergarh	Akoda	1 91 136 00
42	Namaul	Mahendergarh	Paln Panihara	67 456 00

S No	District	Block	Village	Amount (ın Rs)
43	Panipat	Madlauda	Khandra	1 26 373 00
44	Panipat	Madiauda	Rohalı	54 85 260 00
45	Panipat	Madlauda	Dharamgarh	2 78 629 00
46	Panipat	Samalkha	Chadiya yusufpur	35 529 00
47	Rohtak	Lakhan Majra	Chandı	1 23 718 00
48	Sırsa	Dabwalı	Rajpur Majra	1 28 274 00
49	Sırsa	Dabwalı	Ahmedpur Darewala	78 937 00
50	Sırsa	Dabwalı	Fatehpur Jatawal	73 543 00
51	Sırsa	Nathusan Chopta	Arniawali	14 501 00
52	Sırsa	Nathusarı Chopta	Makho Soran	3 19 824 00
53	Sırsa	Nathusan Chopta	Ganja Rupana	41 952 00
54	Sırsa	Nathusari Chopta	Kumhana	1 48 664 00
55	Sırsa	Nathusari Chopta	Jodhkan	68 633 00
56	Sırsa	Nathusari Chopta	Darba Kalan	35 407 00
57	Sırsa	Nathusan Chopta	Rampura Nawabad	48 750 00
58	Sırsa	Nathusan Chopta	Nirban	62 098 00
59	Sırsa	Nathusari Chopta	Chaharwala	2 61 204 00
60	Sırsa	Nathusarı Chopta	Jamai	2 84 911 00
61	Sırsa	Nathusari Chopta	Dhukra	3 03 095 00
62	Sırsa	Nathusan Chopta	Gudhìa Khera	5 68 664 00
63	Sırsa	Nathusarı Chopta	Nehrana	2 58 831 00
64	Sırsa	Nathusan Chopta	Ding	8 848 00
65	Sırsa	Nathusan Chopta	Rupana Bishnoia	25 628 00
66	Sırsa	Nathusarı Chopta	Sheopura	1 02 120 00
67	Sırsa	Nathusan Chopta	Ramura Dhillon	90 447 00
68	Sırsa	Rania	Kotha sainpal	63 839 00

S No	District	Block	Village	Amount (In Rs)
69	Sırsa	Rania	Keharwala	44 731 00
70	Sırsa	Rania	Sairpal	41 415 00
71	Sırsa	Rania	Dhani Bangi	12 209 00
72	Sonepat	Gohana	Nıyat	3 38 905 00
			TOTAL	1 40,50,313 00

The Department in its written reply stated as under

Sr No	Reply	Recovery	Death	Pending
	It is cleared that all the BDPOs have mentioned that Panchayat Samitis The RCC pipes have been purcha adopting proper procedure i e passing of resolution embezzlement is come into notice. Hence it is request.	ised for the we ution and on	lowest qu	m Panchayat lotation No
1	Pipes were not available in the block office and demand for pipes was high by village residents. Therefore in view of the demand of the village residents the Gram Panchayat took action according to the rules after purchasing the pipes according to the demand of the people the pipes were distributed to the common people and the bill is recorded in the cash book of the Panchayat and the bill is passed by the Gram Panchayat. The Gram Panchayat has not misused the Panchayat Fund. So please file the audit para in the office.			
2	R C C Pipes purchased by the then Gram Panchayat Hamjapur The pipes were procured for the public roads/lanes of the village. No gram provided by the Govt for the subsidy to purchase the RCC Pipes at that time & no RCC pipes available in the block office. Due to non availability of pipes pipes were procured from the market by the Gram Panchayat with bonafide intention. So it is requested that please drop the para.			
3	RCC Pipes purchased by the then Gran Panchayat Chando Kalan The pipes were procured for the public roads/lanes of the village. No gran provided by the Govt for the subsidy to purchase the RCC Pipes at that time & no RCC pipes available in the block office. Due to non availability of pipes pipes were procured from the market by the Gran Panchayat with bonafide intention. So it is requested that please drop the para.	d t t e n s		

4	R C C Pipes purchased by the then Gram Panchayat Gorakhpur The pipes were procured for the public roads/lanes of the village Due to lack of information about 50 percent subsidy to the Gram Panchayat and at that time no RCC pipes available in the block office Due to non availability of pipes pipes were procured from the market by the Gram Panchayat with bonafide intention So it is requested that please drop the para	
5	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	
6	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	
7	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	
8	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	
9	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	
10	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	
11	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	
12	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	
13	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	
14	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	
15	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	

		 , —	
16	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped		
17	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped		
18	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	 	
19	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped		
20	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samit Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped		
21	तत्कालीन ग्राम पचायत नगथला द्वारा मु0-72546 / — रू० के आर०सी०सी० पाईप की खरीद गाव के सार्वजनिक रास्तो / गिलयो हेतु की गई थी। खण्ड कार्यालय में उस समय 50 प्रतिशत सब्सिडी वाली आर०सी०सी० पाईप उपलब्ध ना होने के कारण ग्राम पचायत द्वारा बाजार से जनहित को महेनजर रखते हुये तथा ग्रामवासियो द्वारा डिमाण्ड करने उपरान्त खरीद की गई। ग्राम पचायत द्वारा आर०सी०सी० पाईप खरीद में जानबूझ कर किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान रखा जायेगा। अत आपकी सेवा में अनुरोध है कि ऑडिट पैरा समाप्त करने का कष्ट करे।		
22	RCC (Rodi Cresur Cement) पाईप जो आम रास्तो पर पुलिया के तौर पर रखे जाते है इन RCC पाईपो पर कोई सब्सिडी नहीं थी। दिनाक 02–05–2011 को RCC पाईप खरीदने की स्वीकृति ग्राम पचायत द्वारा दी गई है। दिनाक 05–05–2011 को ग्राम पचायत द्वारा अदायगी की गई है। दिनाक 15–07–2011 को वाउचर न0 48 मु0 163112 रूपये का खर्चा ग्राम पचायत के प्रस्ताव द्वारा पास है।		
23	उपरोक्त पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि पूर्व सरकार द्वारा आर0सी0सी0 पाईप की खरीद हेतू सी0डी0 ग्रान्ट के मद रोड के तहत ग्रान्ट पचायत समितियों को दी जाती थी जोकि कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गई है। अत ग्राम पचायत द्वारा अपने स्तर पर अपने फण्ड आर0सी0सी0 पाईप गावों की गलियों व खेतों के रास्ते मे		

	जनहित को मध्यनजेर खरीद किये गये थे। अत पैरा को समाप्त करने बारे आपकी सेवा मे अनुरोध किया जाता है	
24	उपरोक्त पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि पूर्व सरकार द्वारा आर०सी०सी० पाईप की खरीद हेतू सी०डी० ग्रान्ट के मद रोड के तहत ग्रान्ट पचायत समितियो को दी जाती थी जोकि कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गई है। अत ग्राम पचायत द्वारा अपने स्तर पर अपने फण्ड आर०सी०सी० पाईप गावो की गलियो व खेतो के रास्ते मे जनहित को मध्यनजेर खरीद किये गये थे। अत पैरा को समाप्त करने बारे आपकी सेवा मे अनुरोध किया जाता है	
25	उपरोक्त पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि पूर्व सरकार द्वारा आर०सी०सी० पाईप की खरीद हेतू सी०डी० ग्रान्ट के मद रोड के तहत ग्रान्ट पचायत समितियो को दी जाती थी जोकि कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गई है। अत ग्राम पचायत द्वारा अपने स्तर पर अपने फण्ड आर०सी०सी० पाईप गावो की गलियो व खेतो के रास्ते मे जनहित को मध्यनजेर खरीद किये गये थे। अत पैरा को समाप्त करने बारे आपकी सेवा मे अनुरोध किया जाता है	(
26	उपरोक्त पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि पूर्व सरकार द्वारा आर0सी0सी0 पाईप की खरीद हेतू सी0डी0 ग्रान्ट के मद रोड के तहत ग्रान्ट पचायत समितियो को दी जाती थी जोकि कई वर्ष पूर्व बन्द कर दी गई है। अत ग्राम पचायत द्वारा अपने स्तर पर अपने फण्ड आर0सी0सी0 पाईप गावो की गलियो व खेतो के रास्ते मे जनहित को मध्यनजेर खरीद किये गये थे। अत पैरा को समाप्त करने बारे आपकी सेवा मे अनुरोध किया जाता है	
27	There was neither approved source in the Block Office Assandh nor available of pipe was there. The purchased of pipe in the village of Kaul Khera at the cheapest rate of the firm of the market with three Quotations by following the rules of procurement process. Therefore drop the para.	
28	उक्त पैरा के सम्बन्ध में ग्राम सचिव को मौखिक तौर पर रिकार्ड लाने बारे आदेश दिए गए है। रिपोर्ट आपकी सेवा में कार्यावाही करने उपरान्त भेज दि जाएगी।	1 [
29	वर्तमान मे यह ग्राम पचायत खण्ड मूनक जिला करनाल मे पडती है। अत यह पैरा खण्ड मूनक से सम्बधित है। वसूली हेतु कार्यवाही जारी है।	
30	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	

31	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samit Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped		
32	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	 	
33	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	 	
34	ग्राम पचायत स्योसर में कच्चे रास्तों को पक्का करने हेतू व रास्तों से बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी हेतू ग्राम पचायत द्वारा आर०सी०सी० पाईपों की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके खरीद किये गये है तथा उनको रास्तों में प्रयोग किया गया है ताकि बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की कठिनाई न आवे। इस बारे में ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर०सी०सी० पाईप खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण ओपन मार्किट से खरीद किये गये है। यह कार्य जनहित को मध्यनजर रखते हुए किया गया है। अत पैरा समाप्त करने का कष्ट करे। प्रमाण पत्र सलग्न है।		
35	ग्राम पचायत मोरथली में कच्चे रास्तों को पक्का करने हेतू व रास्तों से बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी हेतू ग्राम पचायत द्वारा आर०सी०सी० पाईपों की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके खरीद किये गये है तथा उनको रास्तों में प्रयोग किया गया है तािक बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की कठिनाई न आवे। इस बारे में ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर०सी०सी० पाईप खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण ओपन मार्किट से खरीद किये गये है। यह कार्य जनहित को मध्यनजर रखते हुए किया गया है। अत पैरा समाप्त करने का कष्ट करे।		
36	ग्राम पचायत हेलवा में कच्चे रास्तों को पक्का करने हेतृ व रास्तों से बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी हेतृ ग्राम पचायत द्वारा आर0सी0सी0 पाईपों की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके खरीद किये गये है तथा उनको रास्तों में प्रयोग किया गया है तािक बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की किठनाई न आवे। इस बारे में ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर0सी0सी0 पाईप खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण ओपन मािकट से खरीद किये गये है। यह कार्य जनहित को मध्यनजर रखते हुए किया गया है अत पैरा समाप्त करने का कष्ट करे।		

37	ग्राम पचायत रामगढ रोड मे कच्चे रास्तो को पक्का करने हेतू व रास्तो से बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी हेतू ग्राम पचायत द्वारा आर०सी०सी० पाईपो की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके खरीद किये गये है तथा उनको रास्तो मे प्रयोग किया गया है ताकि बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी मे किसी प्रकार की कठिनाई न आवे। इस बारे मे ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर०सी०सी० पाईप खण्ड कार्यालय मे उपलब्ध न होने के कारण ओपन मार्किट से खरीद किये गये है। यह कार्य जनहित को मध्यनजर रखते हुए किया गया है। अत पैरा समाप्त करने का कष्ट करे।		
38	ग्राम पचायत बोधनी मे पूरे गाव मे गन्दे पानी की निकासी हेतू भिन्न—2 गलियो से गाव के तालाब तक पाईप लाईन बिछाई गई थी। तािक ग्राम पचायत की गलियो से गन्दे पानी की निकासी मे किसी प्रकार की किठनाई न आवे व ग्राम निवासियों को गन्दे पानी की निकासी से निजात मिल सके। ग्राम पचायत द्वारा आर0सी0सी0 पाईपों की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके ओपन मािकेंट से आर0सी0सी0 पाईप खरीद किये गये थे। तथा उनको पाईप लाईन दबाने में प्रयोग किया गया था। तािक गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की किठानाई न आवे। इस बारे में ग्राम सिवव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर0सी0सी0 पाईप खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण ओपन मािकेंट से खरीद किये गये थे। यह कार्य जनिहत को मध्यनजर रखते हुए किया गया है। अत पैरा समाप्त करने का कष्ट करे।		
39	ग्राम पचायत सुरमी में कच्चे रास्तों को पक्का करने हेतू व रास्तों से बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी हेतू ग्राम पचायत द्वारा आर0सी0सी0 पाईपों की बाजार से कुटैशन प्राप्त करके खरीद किये गये है तथा उनको रास्तों में प्रयोग किया गया है ताकि बरसाती पानी व गन्दे पानी की निकासी में किसी प्रकार की कठिनाई न आवे। इस बारे में ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट की है कि आर0सी0सी0 पाईप खण्ड कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण ओपन मार्किट से खरीद किये गये है। यह कार्य जनहित को मध्यनजर रखते हुए किया गया है। अत पैरा समाप्त करने का कष्ट करे।		
40	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped		
41	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped		

42	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	
43 !	In this connection submitted here that the Subsidy on purchase of RCC Pipes withdrawal by the Govt So Panchayat Purchased this RCC Pipes from Open Market and same are used by the panchayat at the spot	
44	In this connection submitted here that the Subsidy on purchase of RCC Pipes withdrawal by the Govt So Panchayat Purchased this RCC Pipes from Open Market and same are used by the panchayat at the spot	
45	In this connection submitted here that the Subsidy on purchase of RCC Pipes withdrawal by the Govt So Panchayat Purchased this RCC Pipes from Open Market and same are used by the panchayat at the spot	
46	पैरा ड्रॉप हो चुका है।	
47	पहले पचायत समिति को आर०सी०सी पाइप खरीदने के लिए सरकार से अनुदान राशी प्राप्त होती थी ग्राम पचायतो की माग अनुसार पचायत समिति 50 राशी पर ग्राम पचायतो को पाइप उपलब्ध करवाती थी परन्तु पिछले काफी वर्षो से यह अनुदान राशी प्राप्त होनी बद हो गयी थी जिस कारण पचायत समितियो द्वारा आर०सी०सी० पाईप नहीं खरीदे गए थे। जिसके दृष्टिगत ग्राम पचायतो द्वारा जनहित मे आर०सी०सी० पाईप पचायत फण्ड से खरीद कर कार्य करवाया गया। अत पैरा समाप्त करने का कष्ट करे।	
48	इस पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि उस समय पचायत समिति डबवाली कार्यालय में 50 प्रतिशत अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण पचायत समिति के पास RCC Pipe स्टॉक में नहीं थी। अत तत्कालीन सरपच/ग्राम पचायत द्वारा पचायत समिति डबवाली के कार्यालय से अनापित प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी) प्राप्त करके ही मु0 128274 रू० की आर०सी०सी० पाईप की खरीद बजारी कीमत पर की गई थी। जोकि तत्कालीन सरपच द्वारा भुलवश ऑडिट को नहीं दिखाई गई। उक्त खरीद करने हेतू ग्राम पचायत से भी पारित है। अत कृप्या पैरा समाप्त करने का कष्ट करे।	
49	इस पैरा बारे व्यक्त किया जाता है कि उस समय पचायत समिति डबवाली कार्यालय में 50 प्रतिशत अनुदान	

	की राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण पंचायत समिति के पास RCC Pipe स्टॉक में नहीं थी। अतः तत्कालीन सरपच/ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत समिति डबवाली के कार्यालय से अनापित प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी) प्राप्त करने उपरात मुं0 78937 रूं0 की आरं0सी0सी0 पाईप की खरीद बजारी कीमत पर की गई थी। जोिक ग्राम पंचायत द्वारा भी पारित है। मौका पर तत्कालीन सरपंच अनापित प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी) ऑडिट के समक्ष भूलवश प्रस्तुत नहीं कर सका। आरं0सी0सी0पाईप की खरीद करने हेतू ग्राम पंचायत/ ग्राम सभा में भी पारित है। अतः कृष्या परा समाप्त करने का कष्ट करे।	
50	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped	}
51	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत अरिनयावाली में वाऊचर न0 24 दिनाक 09/2012 के द्वारा मु0 14051/—रूपये के द्वारा आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि खिद एवं प अ के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतों में आर सी सी पाईप की मांग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईप नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीद तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।	
52	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत माखोसरानी में वाऊचर न0 13 दिनाक 5/2013 के द्वारा मु0 146824/—रूपये वाऊचर न0 24 दिनाक 5/2011 के द्वारा मु0 182515/—रूपये इसमें कुल 329339 रूपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि खिएव प अ के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतो में आर सी सी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से	

	आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
53	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत गजा रूपाणा मे वाउचर न0 49 दिनाक 7/2012 मु0 17182/—रूपये वाउचर न0 35 दिनाक 11/2011 मु0 26049/—रूपये इसमे कुल 43131/—रूपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि खिवएव प अ के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतों मे आर सी सी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
54	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत कुम्हारिया मे वाऊचर न0 13 दिनग्क 07/2012 के द्वारा मु0 5289/—रूपये वाउचर न0 07 दिनाक 12/2013 के द्वारा 31259/—रूपये वाउचर न0 16 दिनाक 07/2013 के द्वारा मु0 99198/—रूपये वाउचर न0 23 दिनाक 12/13 के द्वारा मु0 12918/—रूपये इस प्रकार से कुल मु0 148964/—रूपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि खिएव प अ के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतो मे आर सी सी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईप नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीद तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
55	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत जोधका मे वाऊचर न0 15 दिनाक 06/2012 के द्वारा मु0 68633/—रूपये की आरसीसी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा		

	खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि खि एव प अ के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतो मे आर सी सी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद मे किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पेरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
56	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत दड़बा कला मे मु0 35407 / — रूपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीड़ी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि खिव एव प अ के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतो मे आर सी सी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
57	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत रामपुरा नवाबाद मे वाऊचर न0 54 दिनाक 03/2014 के द्वारा मु0 48750/—रूपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख वि एव प अ के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतो मे आर सी सी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईप नही ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नही है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद मे किसी प्रकार की कोई अनियमतता नही बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
58	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत निरबान मे वाऊचर न0 30 दिनाक 07/2011 के द्वारा मु0 62098/रूपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा		

	खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख वि एव प अ के द्वारा अनापित प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतों में आर सी सी पाईप की मांग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।
59	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत चाहरवाला मे वाऊचर न0 178 दिनाक 07/2013 के द्वारा मु० 92833/—रूपये वाऊचर न0 147 दिनाक 10/2012 के द्वारा मु० 56309/—रूपये वाऊचर न0 65 दिनाक 07/2011 के द्वारा मु० 23444/—रूपये वाऊचर न0 63 दिनाक 07/2011 के द्वारा मु० 54704/—रूपये वाऊचर न0 64 दिनाक 07/2011 के द्वारा मु० 33864/—रूपये। इस प्रकार की कुल मु० 261204/—रूपये की आरसीसी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख विएव प अ के द्वारा अनापित प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतों मे आरसीसी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईप नहीं ली जा मकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीद तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आरसीसी पाईप खरीद मे किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।
60	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत जमाल मे वाऊचर न0 83 दिनाक 03/2012 के द्वारा मु0 125247/—रूपये वाऊचर न0 07 दिनाक 02/2012 के द्वारा मु0 159664/—रूपये इस प्रकार की कुल मु0 284911/—रूपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि खि यु प अ के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतो मे आर सी सी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईप नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप

	क्रांग्रेट जो प्रजासन समिति के के के क्रांग्रेट के		
	खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नही है। इस प्रकार से आरसीसी पाईप खरीद मे किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
61	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत दुकडा में मु0 303095/—रूपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि खि एव प अ के द्वारा अनापित्त प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतो में आर सी सी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईप नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
62	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत गुडियाखेडा मे वाउचर न0 38 दिनाक 02/2013 मु0 60176/—रूपये वाउचर न0 73 दिनाक 11/2013 मु0 427577/—रूपये वाउचर न0 77 दिनाक 01/2014 मु0 23155/—रूपये वाउचर न0 05 दिनाक 05/2012 मु0 57756/—रूपये वाउचर न0 05 दिनाक 05/2012 मु0 57756/—रूपये वाउचर न0 05 दिनाक 05/2012 मु0 57756/—रूपये। इस प्रकार मु0 568664/—रूपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि खविएव प अ के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतों में आर सी सी पाईप की मांग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई एतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
63	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत नहराना मे वाऊचर न0 53 दिनाक 05/2011 के द्वारा मु0 172000/रूपये वाऊचर न0 50 दिनाक 10/2013 के द्वारा मु0 86831/रूपये इस प्रकार की कुल मु0 258831/-रूपये की आरसीसी पाईप खरीद की गई		
	है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा		

	खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि खि एव प अ के द्वारा अनापित प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतों में आर सी सी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
64	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत डिग में वाऊचर न0 28 दिनाक 12/2011 के द्वारा मु0 88489/—रूपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि खिएव प अ के द्वारा अनापित प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतों में आर सी सी पाईप की मांग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईप नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
65	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत रूपाणा बिश्नोईया मे वाऊचर न0 24 दिनाक 11/2011 के द्वारा मु0 15524/—रूपय वाऊचर न0 29 दिनाक 03/2012 के द्वारा मु0 10104/—रूपये इस प्रकार कुल मु0 25628/—रूपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख वि एव प अ के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतों मे आर सी सी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होने के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईप नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्घारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रित साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
66	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Droped		

67	इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ग्राम पचायत रामपुरा ढिल्लो मे वाऊचर न0 10 दिनाक 08/2013 के द्वारा मु0 90647/—ऊपये की आर सी सी पाईप खरीद की गई है। जो कि पाईप 50 प्रतिशत सबसीडी पर ब्लॉक द्वारा खरीद की जानी थी। इस बारे व्यक्त किया जाता है कि ख वि एव प अ के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया कि ग्राम पचायतो मे आर सी सी पाईप की माग की जा रही है परन्तु पचायत समिति के पास फण्ड उपलब्ध न होन के कारण 50 प्रतिशत कीमत पर पाईपे नहीं ली जा सकती यदि ग्राम पचायत निर्धारित कीमत पा पाईप खरीदे तो पचायत समिति को कोई ऐतराज नहीं है। इस प्रकार से आर सी सी पाईप खरीद में किसी प्रकार की कोई अनियमतता नहीं बरती गई है। जिसकी छायाप्रति साथ सलग्न है। अत पैरा समाम्त करने का कष्ट करे।		
68	RCC Pipes were purchased per DC rate from open market because there was no approved source of Haryana Govt near the Jurisdiction of Rania Block No RCC pipe was available in Panchayat Samiti office during this period		
69	RCC Pipes were purchased per DC rate from open market because there was no approved source of Haryana Govt near the Junsdiction of Rania Block No RCC pipe was available in Panchayat Samiti office during this period		
70	RCC Pipes were purchased per DC rate from open market because there was no approved source of Haryana Govt near the Junsdiction of Rania Block No RCC pipe was available in Panchayat Samiti office during this period		
71	RCC Pipes were purchased per DC rate from open market because there was no approved source of Haryana Govt near the Junsdiction of Rania Block No RCC pipe was available in Panchayat Samiti office during this period		
72	Rcc Pipes was not available in concerned Panchayat Samiti Therefore the purchase was made from Open Market Hence Para May be Dropped		

The Committee has desired to keep the para pending

[48] Appendix-'R'
Para No 4 of Part II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015 16

Sr No	Appendix	Para No	Detail of para	Gram Panchayat	Amount (ın Rs)
10	R	Appendix R of Para No 4 of Part II (A) of annual audit Report of LAD for the year 2015	Relates to the Statement showing Outstanding Amount of Lease Money of Shamlat Land Hides and Bones contract of Fish Ponds and Rent of Shops etc		12948026

	Sr No	District	Name of Gram Panchayat	Block	Audit Para	Amt not handed over (in Rs)	Recovery
1	1	Yamuna Nagar	Topra Kalan	Radaur	Sh Anıl S/o Ram Nath	10 000 00	0 00
2					Sh Bhushan Ram S/o Ram Sarup	33 100 00	0 00
3					Sh Chaman S/o Faŋudeen	26 300 00	0 00
4					Sh Kuldeep S/o Kundan	20 100 00	0 00
5		-			Sh Nawab alı S/o Abdul Manı	40 200 00	0 00
6					Sh Rakesh S/o Shiv Kumar	25 000 00	0 00
7	2	Yamuna Nagar	Ismailpur	Radaur	Sh Baldev S/o Bir Singh	100 00	100 00
8					Sh Pali S/o Ishar Singh	6 600 00	0 00
9					Sh Parkash S/o kundan	90 850 00	0 00
10					Sh Teja Ram S/o Patu Ram	50 00	50 00

11	3	Namaul	Akoda	Mohindergarh	Sh Har Pal S/o Lal Singh	4 00 000 00	0 00
12					Sh Jitender S/o Satbir	2 00 000 00	0 00
13					Sh Ram Niwas S/o Parbhu Deva	2 00 000 00	0 00
14					Sh Vikram S/o Lal Singh	2 00 000 00	0 00
15					Smt Urmila W/o Ravinder Yadav	2 00 000 00	0 00
16	4	Ambala	Nahra	Barara	Sh Jitender Kumar	80 400 00	0 00
17					Sh Ram Jı Das S/o Chamela	61 875 00	0 00
18	5	Ambala	Kalu Majra	Ambala	Sh Labh singh S/o Sardara Singh	20 000 00	0 00
19	6	Yamuna Nagar	Chamori	Radaur	Sh Arıf S/o Ramjan	21 100 00	0 00
20	7	Yamuna Nagar	Unheri	Radaur	Sh Bir Singh S/o Babu Ram	1 03 100 00	0 00
21					Sh Karam Singh S/o Parsa Ram	11 000 00	0 00
22					Sh Raj Kumar S/o Janti Ram	21 000 00	0 00
23	8	Yamuna Nagar	Antawa	Radaur	Sh Liza Ram S/o Tara Chand	1 73 100 00	1 73 100 00
24					Sh Ombir S/o Mam Chand	1 25 000 00	0 00
25					Sh Pirthi Singh S/o Dhani Ram	25 400 00	25 400 00

26					Sh Sukhvınder S/o Kıram Pal	20 400 00	0 00
27					Sh Suresh Kumar S/o Dhani Ram	70 000 00	0 00
28					Sh Tarshem S/o Mulla Ram	1 00 000 00	0 00
29	11	Yamuna Nagar	Model Town Karra	Radaur	Sh Jagdish Ram Sarup S/o	1 000 00	0 00
30					Sh Jaı Pal S/o Sadhu Ram	4 200 00	0 00
31					Sh Naresh Amar Singh S/o	8 000 00	0 00
32		_			Sh Naresh Kıshon Lal S/o	9 350 00	0 00
33					Sh Puran Chand S/o Laxman	47 100 00	0 00
34					Sh Puran S/o Amar Singh	27 900 00	0 00
35					Sh Rajak Senfudeen S/o	43 600 00	0 00
36					Sh Rajinder Amar Singh S/o	4 350 00	0 00
37					Sh Sat Pal S/o Sadhu Ram	10 000 00	0 00
38					Sh Sat Pal Sadhu Ram S/o	1 000 00	0 00
39					Sh Satish Budh Ram S/o	1 000 00	0 00

40					Sh Shyam Singh Mukhtiyar S/o	28 200 00	0 00
41	13	Ambala	Haldan	Saha	Sh Balbır Sıngh Narata Ram S/o	69 000 00	0 00
42	15	Panchkula	Bar	Pinjore	Sh Hari Kishan Naryan S/o	17 100 00	17 100 00
43	16	Panchkula	Kıgranwalı	Pinjore	Sh Dharmbir Ram Kishan S/o	5 555 00	5 555 00
44					Sh Surender Sardan S/o	5 700 00	5 700 00
45	19	Kamal	Gagsına	Gharounda	Sh Gurjeet Singh Ladha Ram S/o	5 92 000 00	0 00
46	20	Sonepat	Krawan	Sonepat	Sh Jagbır sıngh	9 025 00	0 00
47					Sh Nanda Jai Narain S/o	4 42 820 00	0 00
48	21	Sonepat	Mohana	Sonepat	Sh Hawa Singh Kansi Ram S/o	53 625 00	53 625 00
49	22	Rewari	Bhruthal Jat	Rewarr	Sh Raj Kumar Rai Singh S/o	23 400 00	0 00
50	23	Ambala	Garnala	Ambala II	Sh Harbans Singh	1 74 000 00	0 00
51					Sh Rajesh Kumar	16 400 00	0 00
52	24	Yamuna Nagar	Radouri	Radaur	Sh Jitender Raja s/oRam	12 700 00	12 700 00
53					Sh Rajinder s/o Narain Das	33 400 00	33 400 00
54	25	Yamuna Nagar	Sandholı	Radaur	Sh Amar Singh S/o Shiv Dayal	18 500 00	18 500 00

55					Sh Karambır S/o Baljıt	100 00	100 00
56					Sh Zile Singh	40 000 00	40 000 00
57	26	Ambala	Paslalu	Saha	Sh Randhir Singh S/o Ram Parsad	1 62 000 00	0 00
58	27	Ambala	Dangdheri	Ambala II	Sh Lal Singh S/o Vijay	43 950 00	0 00
59	29	Yamuna Nagar	Sagrı	Radaur	Sh Joginder s/o Rameshwar	36 000 00	0 00
60	30	Yamuna Nagar	Jathlana	Radaur	Sh Balraj S/o Moti Ram	1 70 200 00	0 00
61					Sh Dharmbir S/o Hari Ram	45 900 00	0 00
62					Sh Eiki Ram S/o dasondhi Ram	1 64 100 00	0 00
63					Sh Ganesh S/o Gayan Chand	52 275 00	0 00
64					Sh Ghansham S/o Janardhan	70 000 00	0 00
65					Sh Jasbir S/o Jai Sigh	38 250 00	0 00
66					Sh Mamu Ram S/o Kora Ram	20 400 00	0 00
67					Sh Matu Ram S/o Dasondhi Ram	58 000 00	0 00
68					Sh Mehbub S/o Fejkha	86 000 00	0 00
69					Sh Nur Mohd S/o Gumkha	66 500 00	0 00

70					Sh Phul Singh S/o SadhuRam	40 800 00	0 00
71					Sh Prem Pai S/o Sita Ram	90 000 00	0 00
72					Sh Rajiv Kumar S/o Om Parkash	1 71 000 00	0 00
73					Sh Rameshwar S/o Dasondhi Ram	98 200 00	0 00
74					Sh Satish Kumar S/o Tuge Ram	35 000 00	0 00
75					Sh Satish S/o Mani Ram	33 150 00	0 00
76					Sh Shamsher S/o Bır Kha	44 200 00	0 00
77	31	Karnal	Kalsı Khalsa	Nilokhen	Sh Madan S/o Panjeha Ram	35 000 00	0 00
78	32	Rewan	Chandawas	Rewarı	Sh Malkhan Singh Malikpur	1 00 000 00	0 00
79	33	Rewan	Kishangarh	Rewari	Sh Kailash	30 055 00	0 00
80	34	Ambala	Tundiı	Ambala II	Sh Ashok Kumar S/o Puran Chand	23 750 00	0 00
81	35	Ambala	Liharsa	Ambala II	Sh Roshan Lal	26 577 00	0 00
82					Sh Sukhvinder Pal	38 250 00	0 00
83	36	Kaithal	Pabla	Pundri	Sh Wakil S/o Bashir Ahmed	32 000 00	0 00
84	37	Hisar	Singhwa Ragho	Hansı I	Sh Naresh S/o Teka	20 250 00	20 250 00

85					Sh Rajinder S/o Ram Chander	94 000 00	94 000 00
86	38	Sonepat	Bhatgaon Dungra	Sonepat	Sh Jagdish	52 875 00	52 875 00
87	39	Yamuna Nagar	Rampur Jattan	Chhachrouli	Sh Jagdish	52 875 00	0 00
88	40	Yamuna Nagar	Bheelpura	Chhachrouli	Sh Karan Singh	73 206 00	0 00
89					Sh Rishi Pal	18 525 00	0 00
90	41	Yamuna Nagar	Devdhar	Chhachrouli	Sh Akhtar Alı	34 470 00	34 470 00
91	42	Yamuna Nagar	Manakpur I	Chhachrouli	Lease money	1 14 000 00	58 000 00
92	43	Panıpat	Garhi Chhaju	Samalkha	Sh Baljit Singh	21 000 00	0 00
93	44	Kurukshetra	Mathana	Thanesar	Sh Amar Nath S/o Mam Raj	12 16 000 00	12 16 000 00
94	45	Sonepat	Rolad latifpur	Sonepat	Rent of shops	2 84 295 00	0 00
95	46	Sonepat	Kakroi	Sonepat	Lease money not realized but laying outstanding	2 14 449 00	0 00
96	48	Panipat	Chhchrana	Israna	Lease money not realized but laying outstanding	1 41 500 00	0 00
97	49	Panipat	Jorası khas saraf	Samalkha	Lease money of fish pond and laying outstanding	41 000 00	0 00
98					Sh Latif	34 375 00	0 00
99	-				Sh Vijay	33 125 00	0 00
100	50	Kurukshetra	Ismailabad saraf	Ismailabad	Sh Om Parkash S/o Mansa Ram	18 000 00	18 000 00

101	51	Sonepat	Mahipur saraf	Sonepat	Sh Sanjay S/o Rambhaj	1 20 250 00	1 20 250 00
102				-	Sh Sunii S/o Krishan	17 625 00	17 625 00
103	52	Sonepat	Sandal Kalan saraf	Sonepat	Sh Kuldeep S/o Krishan	88 950 00	0 00
104					Sh Satish S/o Sultan	84 750 00	0 00
105			,	١	Sh Zile Singh S/o Surmukh	49 500 00	0 00
106	53	Panipat	Kachraulı saraf	Panipat	Lease money outstanding	37 686 00	0 00
107	54	Panıpat	Kabrı saraf	Panipat	Lease money outstanding	3 70 000 00	0 00
108	55	Yamuna Nagar	Chholl saraf	Chhachrouli	Sh Jasmer S/o Pannu	1 22 500 00	0 00
109	56	Ambala	Nahra saraf	Barara	Sh Jitender	80 400 00	0 00
110					Sh Ram Ji Das S/o Chamela	61 875 00	0 00
111	57	Ambala	Ganganpur saraf	Barara	Sh Naresh Kumar S/o Banta Ram	87 750 00	0 00
112					Sh Punna Ram S/o Pali Ram	72 744 00	0 00
113					Smt Kaushlya Devi W/o Jaswant	20 875 00	0 00
114	58	Ambala	Liharsa saraf	Ambala ii	Sh Roshan Lal	26 577 00	0 00
115					Sh Sukvinder Pal	38 250 00	0 00
116	59	Ambala	Garmala saraf	Ambala II	Sh Harbans Singh	17 400 00	17400 00
117					Sh Rajesh Kumar	16 400 00	16400 00

118	60	Ambala	Dangdheri saraf	Ambala II	Sh Lal Babu S/o Vijay	43 950 00	0 00
119	61	Sırsa	Joudhkan saraf	Nathusan Chopta	Sh Krishan Lai	67 000 00	0 00
120	62	Sırsa	Nırban saraf	Nathusari Chopta	Sh Kuldeep	38 750 00	0 00
121	63	Sırsa	Dhukra saraf	Nathusan Chopta	Sh Parlad S/o Hansraj	38 200 00	0 00
122	64	Sırsa	Nehrana saraf	Nathusan Chopta	Sh Virender S/o Ram Kumar	70 875 00	0 00
123	65	Panipat	Ahar saraf	Israna	Sh Phool Singh son of Mewa Singh	2 11 000 00	2 11 000 00
124	67	Kaithal	Sakara saraf	Pundn	Sh Kura Ram Son of Jagat Singh	1 09 000 00	0 00
125	68	Panipat	Bhawpur saraf	Israna	Sh Subhash Son of Nıranjan	5 01 000 00	0 00
126	69	Hisar	Kherı lochan saraf	Namaund	Sh Baljit S/o Telu Ram rent of shop	29 500 00	0 00
127					Sh Baljit S/o Telu rent of shop	13 000 00	0 00
128					Sh Harkesh S/o Amar Singh rent of shop	14 500 00	0 00
129					Sh Harkey Son of Amar Singh rent of shop	15 500 00	0 00
130					Sh Rajbir S/o Gopi rent of shop	10 500 00	0 00
131					Sh Rakesh S/o Ram Niwas rent of shop	15 000 00	0 00

		,		- · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
132					Sh Ram Sarup S/o Ami Chand rent of shop	14 000 00	0 00
133	70	Kamal	Depedi saraf	Assandh	Sh Satpal S/o Dal Singh fish pond	32 000 00	0 00
134	71	Kurukshetra	Batheri saraf	Pehowa	Sh Mahender S/o	4 000 00	4 000 00
135					Sh Surnit S/o Puran Singh fish pond	42 500 00	0 00
136	73	Hisar	Suichani saraf	Namaund	Sh Karambır S/o Hoshıara fish pond	42 392 00	0 00
137	74	Kaithal	Peodha saraf	Kaithal	Sh Ram Mehar 2012 13 & 13-14 fish pond	1 11 624 00	0 00
138	75	Rohtak	Kaltana saraf	Sampla	Sh Taj Singh son of Munshi fish pond	66 937 00 	0 00
139	76	Yamuna Nagar	Khıjra Bad saraf	Chhachrouli	Sh Karamchand S/o Sita Ram Hadda Ron	5 300 00	5 300 00
140	77	Yamuna Nagar	Kot sarkarı saraf	Chhachrouli	Sh Faquir chand S/o Malu plot no 1	23 000 00	0 00
141					Sh Gurdayal S/o Phool Kumar plot no 4	41 000 00	0 00
142					Sh Jeet Ram plot no 2	4 300 00	0 00
143					Sh Lachman S/o Kapora plot no 3	75 000 00	0 00

144	78	Rohtak	Kharawas saraf	Sampla	Sh Chattar Singh fish pond	2 625 00	0 00
145					Sh Ishwar Singh fish pond	29 531 00	0 00
146					Sh Kuldeep singh S/o Ram Diya fish pond	34 063 00	0 00
147					Sh Rajesh S/o Chattar Singh fish pond	63 125 00	0 00
148					Sh Sat Pal S/o Karam Singh fish pond	8 681 00	0 00
149	79	Kurukshetra	Jyotisar saraf	Thanesar	Sh Amrik S/o Ram Nath Rana rent of shops	10 440 00	31 320 00
150					Sh Balbır S/o Lal Sıngh	21 840 00	7200 00
151					Sh Ishwar Singh fish pond	15 365 00	15 365 00
152					Sh Jai Bhagwan S/o Som Dev rent of shop	21 960 00	25 380 00
153					Sh Jaibhagwan S/o Som Dev fish pond	16 920 00	0 00
154					Sh Kıran Kumar S/o Krıshan Lal rent of shops	8 760 00	8 760 00
155	5				Sh Krishan S/o Ram Kumar rent of shop	15 360 00	61 440 00

				recovered 13 48 894 00 Now recovered 25 23 785 00
	TOTAL	Mınakshı D/o Ravı fish pond	1 29,48,026 00	Already
165		Smt	7 260 00	7 260 00
164		Sh Sanjeev S/o Partap fish pond	21 600 00	15 000 00
163		Sh Sanjeev S/o Banasi Dass fish pond	18 800 00	10 000 00
162		Sh Sandeep S/o Mehar rent of shop	12 000 00	12 000 00
161		Sh Sandeep S/o Mehar fish pond	22 320 00	12 000 00
160		Sh Ramesh S/o Jeewan	7 200 00	7 200 00
159		Sh Raj Kumar S/o Phulia Lal rent of shops	9 360 00	18 720 00
158		Sh Pawan S/o Sunnder	14 400 00	14 400 00
157		Sh Parveen S/o Shiv fish pond	18 120 00	0 00
156		Sh Mahender S/o Sanker fish pond	6 840 00	6 840 00

The Department in its written reply stated as under

	Reply	Death
1	Land Revenue की प्रकिया हेतू डींंंoडींoपीoओंo यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमांक 7170 दिनांक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3595 दिनांक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक ऑडिट/पंचायत/109378 दिनांक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
2	पोस्ट आफिस की रिर्पोट अनुसार मृत्यु हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
3	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7183 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाइन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3596 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिंत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
4	Land Revenue की प्रक्रिया की जा चुकी है जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3598 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
5	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाऊ 169 दिनाक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3597 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिद उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
6	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7184 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
7	रिकपरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसमा कमेटी की मिटींग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	

8	स्दक त्मअमदनम की प्रकिया की जा चुकी है जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3599 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3599 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।इस कार्यालय के पत्र क्रमाक आडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
9	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
10	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
11	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
12	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
13	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
14	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भूराजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00

15	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
16	खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक स्पैशल 14 दिनाक 02 08 2021 व इस कार्यालय के पत्र कमाक 1787 दिनाक 16 08 2021 के द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार पटटेदार निवासी नाहरा को 80400/—रु0 जमा करवाने बारे नोटिस जारी कर दिया गये है । जितेन्द्र कुमार पटटेदार का देहान्त हो गया है उसके वारीस पत्नी व पुत्र उक्त राशि जमा नहीं करवा रहे। अत माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कायालय के पत्र कमाक 299—300 दिनाक 21 01 2022 के द्वारा भू—राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतू लिख दिया गया है।	0 00
17	खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक स्पैशल 13 दिनाक 02 08 2021 व इस कार्यालय के पत्र कमाक 1786 दिनाक 18 08 2021 के द्वारा श्री राम जी लाल निवासी नाहरा को 61875 / —रु0 जमा करवाने बारे नोटिस जारी कर दिया गया है । उक्त पटटेदार पटटेदार राशि जमा नही करवा रहा। अत माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र कमाक 301—302 दिनाक 21 01 2022 के द्वारा भू—राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतू लिख दिया गया है।	0 00
18	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
19	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमाक 162 दिनाक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3600 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
20	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 170 दिनाक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3602 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
21	पोस्ट आफिस की रिर्पोट अनुसार मृत्यु हो चुकी है।	0 00
22	Land Revenue की प्रकिया की जा चुकी है जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3601 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा	

	ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
23	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
24	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7182 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3603 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
25	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
26	पत्र कमाक 3626 दिनाक 10 12 2022 द्वारा Land Revenue की प्रक्रिया की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
27	Land Revenue की प्रकिया की जा चुकी है जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3627 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
28	श्री तरसेम पुत्र श्री मूलाराम गाव निवासी अन्टावा ने तहसीलदार रादौर मे माध्यम से खण्ड कार्यालय रादौर मे मु0 100000/— रू0 की राशि बुक न0 8 रसीद न0 2922 दिनाक 30/08/2022 के अनुसार जमा करवा दी गई है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	

29	श्री जगदीश कुमार पुत्र श्री राम स्वरूप गाव निवासी करेडा एम0टी० ने तहसीलदार रादौर मे माध्यम से खण्ड कार्यालय रादौर मे मु0 1000/— रू० की राशि बुक न0 8 रसीद न0 2920 दिनाक 30/08/2022 के अनुसार जमा करवा दी गई है।इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
30	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7179 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3607 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
31	Land Revenueकी प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7172 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3614 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
32	Land Revenueकी प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7176 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3610 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
33	Land Revenueकी प्रकिया की जा चुकी है जिसका रिमाईन्डर पुन इस कायालय के पत्र क्रमाक 3608 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
34	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7181 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3604 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सब्दित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
35	Land Revenueकी प्रक्रिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7174 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3612 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022	0 00

	द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
36	Land Revenueकी प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7175 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3611 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
37	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7180 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3609 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
38	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमाक 7180 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3609 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
39	श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बुधराम गाव निवासी करेडा एम0टी0 ने तहसीलदार रादौर में माध्यम से खण्ड कार्यालय रादौर में मु0 1000/— रू० की राशि बुक न0 8 रसीद न0 2919 दिनाक 30/08/2022 के अनुसार जमा करवा दी गई है। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 1409 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
40	Land Revenueकी प्रक्रिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 7173 दिनाक 13/12/21 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3613 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
41	इस कार्यालय द्वारा मु० 69000/— की राशि श्रीमित सतोष कुमारी भू०पूर्व सरपच ग्राम पचायत हल्दरी से वसूल करने हेतू इस कार्यालय के पत्र कमाक 988 दिनाक 19 07 2021 व पत्र कमाक 1074 दिनाक 03 08 2021 द्वारा भू०पूर्व सरपच श्रीमित सतोष कुमारी को नोटिस जारी किया गया हैं। उक्त नोटिसो का जवाब प्राप्त ना होने व रिकवरी की राशि जमा ना करवाने की स्थिति मे इस कार्यालय द्वारा अपने पत्र कमाक 1181 दिनाक 17 08 2021 द्वारा थाना प्रबन्धक साहा की सेवा मे श्रीमित सतोष कुमारी भू०पूर्व सरपच ग्राम पचायत हल्दरी के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने बारे अनुरोध किया गया तदोपरान्त श्रीमित सन्तोष कुमारी पत्नी श्री पवन	0 00

- 1	कुमार भू0पूर्व सरपच ग्राम पचायत हल्दरी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनाक 25 08 2021 के माध्यम से इस कार्यालय को अवगत करवाया गया कि ग्राम पचायत द्वारा दिनाक 28 10 2010 को मछली पालन हेतू तालाब श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री नराता राम के नाम मु0 34500/— रूपये में की गई थी और तीसरे वर्ष 25 प्रतिशत बढ़ौतरी की जाती थी । पटटेदार द्वारा पचायत के पास कुल 43125/— रूपये जमा करवाये गये थे। पटटेदार द्वारा एक साल बाद पचायत को लिखकर शपथ पत्र दिया गया कि वह घाटा पड़ने से आगे पटटा चलाना नहीं चाहता हैं और आगे किसी ओर को तालाब पटटे पर दिये जाने का अनुरोध किया गया व मौका पर उसने तालाब का कब्जा छोड़ दिया। उसके बाद न तो कोई पटटा राशि बलवीर सिंह द्वारा दी गई और ना ही मेरे द्वारा प्राप्त की गई। ग्राम पचायत द्वारा यह नालाब आगे किसी को भी पटटे पर नहीं दिया गया क्योंकि कोई इसे लेने के लिये तैयार नहीं हुआ। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री नराता राम गाव हल्दरी के शपथ पत्र दिनाक 2007 2012 को भी अवलोकन किया गया। उक्त शपथ पत्र अनुसार श्री बलबीर सिंह द्वारा गाव हल्दरी के 2 तालाब मछली पालन के लिये 7 साल के लिये पटटे पर लिये थे। जिसकी बोली 28 10 2010 को हुई थी और जिसका ठेका 34500/— रूपये प्रति वर्ष के हिसाब से उसके नाम छोड़ा गया था और हर तीन साल के बाद 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की जानी तय हुई थी। श्री बलवोर सिंह द्वारा वर्ष 28 10 2010 से 27 10 2011 तक का ठेका 34500/— रूपये व तीसरे साल की सिक्योरिटी/बढ़ौतरी 25 प्रतिशत के हिसाब से 8625/— रूपये व तीसरे साल की सिक्योरिटी/बढ़ौतरी 25 प्रतिशत के हिसाब से 8625/— रूपये व तीसरे साल की सिक्योरिटी/बढ़ौतरी 25 प्रतिशत के हिसाब से उन्हरी के पास जमा करवा दी थी। श्री बलबीर सिंह को शपथ पत्र अनुसार उस द्वारा उक्त तालाब 1 वर्ष के लिये लिया गया था। श्रीमित सन्तोष कुमारी पत्नी श्री पवन कुमार के प्रार्थना पत्र व श्री बलवीर सिंह का शपथ पत्र इस पत्र के साथ कर आपसे अनुरोध हैं कि उक्त पैरा ड्राप करने की कृपा करे।	
42	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
43	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00

44	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
45	सरपच व ग्राम सचिव की रिापोर्ट के अनुसार गुरजीत सिह सुपुत्र लधा राम के किसी व्यक्ति को मछली पालन का ठेका देने का कोई रिर्कांड उपलब्ध नहीं है। अत पैरा ड्राप करने का कश्ट करे।	0 00
46	ऑडिट पैरा की कम सख्या—20 के अनुसार तत्कालीन सरपच श्रीमती सुखबाला ग्राम पचायत की तरफ मु0—9025/—रू0 व मु0—4 42 820/—रू0 यानी कुल मु0—4 51 845/—रू0 रिकवरी बनती है। रिकवरी की अदायगी के लिए तत्कालीन सरपच को नोटिस इस कार्यालय के पत्र कमाक 5198 दिनाक 04 08 2021 व हिरेयाणा पचायती राज अधिनियम 53(1) के तहत नोटिस पत्र कमाक 5422 दिनाक 11 08 2021 दिया गया है। यदि सरपच उक्त राशि नोटिस की अवधी दौरान जमा नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार 53 (2) के तहत कानूनी कार्यवाही अमल मे लाते हुए सबधित थाना मे FIR दर्ज करवा दी जाएगी। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
47	ऑडिट पैरा की कम सख्या—20 के अनुसार तत्कालीन सरपच श्रीमती सुखबाला ग्राम पचायत की तरफ मु0—9025/—रू० व मु0—4 42 820/—रू० यानी कुल मु0—4 51 845/—रू० रिकवरी बनती है। रिकवरी की अदायगी के लिए तत्कालीन सरपच को नोटिस इस कार्यालय के पत्र कमाक 5198 दिनाक 04 08 2021 व हरियाणा पचायती राज अधिनियम 53(1) के तहत नोटिस पत्र कमाक 5422 दिनाक 11 08 2021 दिया गया है। यदि सरपच उक्त राशि नोटिस की अवधी दौरान जमा नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार 53 (2) के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाते हुए सबधित थाना में FIR दर्ज करवा दी जाएगी। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
48	रिकवरी हो चूकी है रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र क्माक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	

49	यह कि श्री राजकुमार पुत्र श्री रायसिह निवासी भगवानपुर जिला रेवाडी को इस कार्यालय के पत्र कमाक 883 दिनाक 03 08 2021 एव पजीकत पत्र कमाक 964 दिनाक 17 08 2021 द्वारा नोटिस देकर रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है। (नोटिस की प्रति साथ सलग्न हैं।) इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/प्यायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
50	इसका उत्तर सीरियल न0 59 पर दे दिया है।	0 00
51	इसका उत्तर सीरियल न0 59 पर दे दिया है।	0 00
52	Amount has been deposited by the concerned in Gram Panchayat Radaum Account on dated 10/09/21 & 23/09/2021 vide amount (12700 + 33400) = 46000+100 = 46100 (Copy of Receipt is enclosed herewith)	0 00
53		0 00
54	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
55	रिक्वरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है।सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
56	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
57	इस कार्यालय द्वारा मु0 162000/— की राशि श्रीमित रानी देवी भू0पूर्व सरपच ग्राम पचायत पसियाला से वसूल करने हेतू इस कार्यालय के पत्र कमाक 989 दिनाक 19 07 2021 व पत्र कमाक 1075 दिनाक 03 08 2021 द्वारा भू0पूर्व सरपच	l

श्रीमित रानी देवी को नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिसो का उत्तर प्राप्त ना होने व रिकवरी की राशि जमा ना करवाने की स्थिति मे इस कार्यालय द्वारा अपने पत्र कमाक 1177 दिनाक 17 08 2021 द्वारा थाना प्रबन्धक साहा की सेवा मे श्रीमति रानी देवी भू0पूर्व सरपच ग्राम पचायत पसियाला के विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज करने का अनुरोध किया गया। तदोपरान्त श्रीमति रानी देवी भू०पूर्व सरपच ग्राम पचायत पसियाला द्वारा अपने प्रार्थना पत्र / जवाब दिनाक 01 09 2021 द्वारा इस कार्यालय को अवगत करवाया गया हैं कि मेरे द्वारा दिनाक 29 07 2010 को ग्राम पचायत का कार्यभार ग्रहण किया गया था। ग्राम पचायत का जो तालाब मुझसे पूर्व सरपच द्वारा रणधीर पुत्र श्री राम प्रसाद को पटटे पर दिया गया था उस द्वारा उनके कार्यकाल में ही राशि जमा करवाई जानी थी परन्तु मेरे कार्यकाल में श्री रणधीर पुत्र श्री राम प्रसाद द्वारा कोई राशि जमा नही करवाई गई तथा उसने मेरे कार्यकाल से पहले ही वह तालाब छोड दिया था। मैने कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त 20 10 2010 व 19 04 2011 को तथा उसके बाद भी बोली करवाने के प्रयास किए परन्तु तालाब में समुद्रशोक होने के कारण कोई भी आदमी बोली मे नहीं आया। अत 2014 में कई प्रयासों के बाद यह बोली हुई जोकि सत कुमार पुत्र सालग राम को 32000/- रूपये मे दी गई जिसकी राशि साथ ही जमा करवा दी गई थी। यह कहना कि मेरे द्वारा रणधीर पुत्र राम प्रसाद से 162000/- रूपये की राशि वसूल की गई व खाते में जमा नहीं करवाई कहना गलत हैं क्योंकि 2907 2010 से 23 05 2014 तक गाव का तालाब पटटे पर नही रहा। श्रीमति रानी देवी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिस के अनुसार पटटेदार श्री रणधीर पुत्र राम प्रसाद ने दिनाक 31 08 2021 को अपना शपथ पत्र दिया है कि उस द्वारा वर्ष 2009 में ग्राम पचायत परितयाला का तालाब 32000 / - रूपये मे ठेके पर लिया था और तालाब ठीक ना होने के कारण मैने एक साल के पैसे जमा करवाकर तालाब छोड दिया था तथा उक्त तालाब मैने 1 वर्ष के लिये ठेके पर लिया था। उक्त तालाब की बोली से सम्बन्धित पटटा रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनाक 30 05 2009 को मू0 32000 / - मे श्री रणधीर पुत्र श्री राम प्रसाद के नाम बोली छोडी गई। उक्त तालाब पटटा रजिस्टर अनुसार 8 वर्षों के लिये बोली पर दिया गया था। ग्राम पचायत पिसयाला के पटटा रिजस्टर की दिनाक 19 04 2011 की कार्यवाही अनुसार ग्राम पचायत परितयाला के तालाब की बोली दिनाक 1904 2011 को रखी गई परन्तु उक्त दिनाक को किसी भी व्यक्ति द्वारा सिक्योरिटी राशि जमा ना करवाने के कारण व मत्सय विभाग से कोई भी कर्मचारी/अधिकारी ना आने के कारण रदद हो गई। दिनाक 23 05 20214 को उक्त तालाब की बोली हुई जोकि ग्राम पचायत द्वारा श्री सन्तकुमार पुत्र सालग राम के नाम छोडी गई। इस प्रकार भू०पूर्व0 सरपच श्री रानी देवी के प्रार्थना पत्र व सलग्न दस्तावेजो व ग्राम पचायत पर्सियाला के पटटा रजिस्टर से सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनाक 30 05 2009 को ग्राम पचायत परितयाला का तालाब बोली पर दिया गया था और दिनाक 1904 2011 को उक्त तालाब को पुन पटटे पर देने के लिये ग्राम पचायत परितयाला द्वारा पुन बोली रखी गई! जिससे स्पष्ट होता हैं कि उक्त तालाब श्री रणधीर पुत्र श्री राम प्रसाद के पास एक वर्ष हेतू पटटे पर रहा हैं जिसकी राशि पटटेदार श्री रणधीर पुत्र श्री राम प्रसाद द्वारा ग्राम पचायत के पास जमा करवा दिये गये थे। अत उक्त पैरा द्वाप करने की कृपा करे।

58	कार्यालय द्वारा सबन्धित को अतिम नोटिस दे दिया गया है। इसके पश्चात हरियाणा पचायती राज अधिनियम 53(1) के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।	0 00
59	श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री रामेश्वर गांव निवासी सागडी ने तहसीलदार रादौर में माध्यम से खण्ड कार्यालय रादौर में मुं0 36000/— रू० की राशि बुक न0 8 रसीद न0 2921 दिनाक 30/08/2022 2970 दिनाक 10/10/2022 व 2978 दिनाक 06/12/2022 के अनुसार जमा करवा दी गई है।	0 00
60	Gram Panchayat passed the resolution No 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010 11 amount due to Yamuna River flood to soil Erosion Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0 00
61	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा में पत्र क्रमाक 165 दिनाक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3622 दिनाक 10/12/2022 क अनुसार लिखा गया है।	0 00
62	Gram Panchayat passed the resolution No 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010 11 amount due to Yamuna River flood to soil Erosion Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0 00
63	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 163 दिनाक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3623 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0 00
64	Gram Panchayat passed the resolution No 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010 11 amount due to Yamuna River flood to soil Erosion Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0 00
65	Land Revenueकी प्रक्रिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 166 दिनाक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3620 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0 00
66	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 167 दिनाक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3618 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	
67	Gram Panchayat passed the resolution No 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010 11 amount due to Yamuna River flood to soil Erosion Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	' i
68	Land Revenue की प्रकिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 168 दिनाक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन	0 00

•

	इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3617 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	
69	Land Revenue की प्रकिया की जा रही है जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3616 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0 00
70	Land Revenue की प्रकिया की जा रही है। जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3621 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0 00
71	Gram Panchayat passed the resolution No 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010 11 amount due to Yamuna River flood to soil Erosion Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0 00
72	Gram Panchayat passed the resolution No 1 on Dated 20/01/2011 regarding write-off the Shamlat Land Auction for the year 2010 11 amount due to Yamuna River flood to soil Erosion Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0 00
73	Gram Panchayat passed the resolution No 1 on Dated 20/01/2011 regarding write off the Shamlat Land Auction for the year 2010 11 amount due to Yamuna River flood to soil Erosion Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith)	0 00
74	Gram Panchayat passed the resolution No 1 on Dated 20/01/2011 regarding write off the Shamlat Land Auction for the year 2010 11 amount due to Yamuna River flood to soil Erosion Auction had been cancelled (Concerned Gram Sachiv Report with Resolution copy is attached herewith	0 00
75	Land Revenue की प्रक्रिया हेतू डी०डी०पी०ओ० यमुनानगर की सेवा मे पत्र क्रमाक 164 दिनाक 19/01/22 के अनुसार लिखा जा चुका था जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3619 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0 00
76	Land Revenue की प्रकिया की जा रही है जिसका रिमाईन्डर पुन इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 3615 दिनाक 10/12/2022 के अनुसार लिखा गया है।	0 00
77	इस कार्यालय के पत्र कमाक 4775 दिनाक 09 07 2021 तथा कार्यालय के पत्र कमाक 5073 दिनाक 04 08 2021 द्वारा सम्बन्धित ग्राम सचिव को पत्र लिखा गया कि श्री मदन लाल पुत्र श्री पन्जेहा राम से मु0 35000/— रु0 राशि रिकवरी करके ग्राम पचायत के खाते मे जमा करवाकर खण्ड कार्यालय को सुचित करे। इस बारे सम्बन्धित ग्राम सचिव द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होते ही आडिट को अवगत कर दिया जाएगा। अत पैरा समाप्त किया जाए।	0 00
78	यह कि ग्राम पंचायत के पटटा रिजस्टर का अवलोकन किया गया तो पाया कि भागमलात जोहड़ का पटटा रहीस खान पुत्र श्री मुशेखान गाव मिलकपुर तहसील तिजारा के नाम से छोड़ा हुआ हैं जबिक आडिट में मलखान सिंह मिलकपुर के नाम दिखाया गया है जो गलत हैं। (पटटा रिजस्टर की प्रति साथ सलग्न हैं) इस कार्यालय के पत्र कमांक 4067 दिनाक 9122022 द्वारा सरपच ग्राम पंचायत चादावास को रिकवरी जमा करने वारे जारी करके रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है।(नोटिस की प्रति साथ सलग्न हैं।)	

79	यह कि श्री कैलाश सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीचन्द निवासी गाव व डा0 ब्रजपुरा तहसील पटौदी जिला गुस्प्राम को इस कार्यालय के पत्र कमाक 956 दिनाक 14 08 2021 द्वारा नोटिस देकर रिकवरी का प्रयास किया जा रहा है। (नोटिस की प्रति साथ सलग्न हैं।)	0 00
80	खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक 1489—92 दिनाक 22 07 2021 के माध्यम से श्री गुरमीत सिंह पुर्व सरपच टुडली खण्ड अम्बाला—ा को ऑडिट आपित के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु दिनाक 27 07 2021 तक खण्ड कार्यालय में बुलाया गया। जिसका पुर्व सरपच द्वारा अभी तक काई उत्तर नहीं दिया गया। कार्यलय के पत्र क्रमाक 1654 दिनाक 05 08 2021 को पुर्व सरपच को इस बारे समरण पत्र जारी किया गया है। पुर्व सरपच से उत्तर प्रात्र हाने उपरांत नियम अनुसार कर्यवाही अमल में ला दी जायेगी। अत आपसे अनुरोध है कि इस पैरा के निपटान के लिए एक माह का अतिरिक्त समय प्रदान करने का कष्ट करे।	0 00
81	ऑडिट आपत्ति के सम्बन्ध में आपकी सेवा में लिखा जाता है कि खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक 2366 दिनाक 12 7 21 पत्र कमाक 1489—92 दिनाक 22 7 21 व पत्र कमाक 2366 दिनाक 18 11 21 द्वारा पूर्व सरपच श्री अवतार सिह ग्राम पचायत लिहारसा (वर्ष 2010 से 2015) को हरियाणा पचायती राज एक्ट 1994 की धारा 53(1) के तहत राशि जमा करने बारे नोटिस दिया गया। जिसके सम्बन्ध में पूर्व सरपच श्री अवतार सिह द्वारा खण्ड कार्यालय में लिखित में दिया कि उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी तालाब मछली पालन हेतु पटटे पर नहीं दिया गया था। उसके कार्यकाल में केवल दिनाक 8 3 2011 को पटटेदार श्री सुखविदर पाल सिह द्वारा 17000/— रू० की राशि ग्राम पचायत के पास जमा करवाई थी। जिसकी रसीद न0 89 बुक सख्या 4 साथ सल्गन है इसके बाद पटटेदार का ग्रामवासियों के साथ तालाब को लेकर झगडा हो गया और पटटेदार श्री सुखविन्द्र पाल सिह द्वारा एक कोर्ट केस ua CS/6065 2013 सिविल न्यायालय अम्बाला में दायर कर दिया। इस कोर्ट केस के चलते पटटेदार द्वारा कोई भी राशि ग्राम पचायत के पास जमा नहीं करवाई। वर्ष 2016 में नई पचायत के गठन के बाद ग्राम सभा के प्रस्ताव न0 4 दिनाक 27 9 16 यह पारित किया है कि पटटेदार द्वारा कोर्ट केस के दौरान कोई भी कार्य नहीं किया है और तालाब में पानी भी नहीं था। इसके पश्चात नई पचायत ने 19 10 16 को पाच वर्ष के लिए श्री हरपाल सिह को पटटेदार को पटटे पर दे दिया था। वर्तमान में यह पचायत नगर निगम अम्बाला शहर में शामिल हो गई। अत उक्त पैरा को ड्राप करने का कष्ट करे।	
82	ऑडिट आपित के सम्बन्ध में आपकी सेवा में लिखा जाता है कि खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक 2366 दिनाक 12721 पत्र कमाक 1489—92 दिनाक 22721 व पत्र कमाक 2366 दिनाक 181121 द्वारा पूर्व सरपच श्री अवतार सिंह ग्राम पचायत लिहारसा (वर्ष 2010 से 2015) को हरियाणा पचायती राज एक्ट 1994 की धारा 53(1) के तहत राशि जमा करने बारे नोटिस दिया गया। जिसके सम्बन्ध में पूर्व सरपच श्री अवतार सिंह द्वारा खण्ड कार्यालय में लिखित में दिया कि उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी तालाब मछली पालन हेतु पटटे पर नहीं दिया गया था। उसके कार्यकाल में केवल दिनाक 832011 को पटटेदार श्री सुखविदर पाल सिंह द्वारा 17000/— रू0 की राशि ग्राम पचायत के पास जमा करवाई थी। जिसकी रसीद न0 89 बुक सख्या 4 साथ सल्गन है। इसके बाद पटटेदार का	

		·
	ग्रामवासियों के साथ तालाब को लेकर झगडा हो गया और पटटेदार श्री सुखिवन्द्र पाल सिंह द्वारा एक कोर्ट केंस न0 ब्रैंड6065 श्2013 सिविल न्यायालय अम्बाला में दायर कर दिया। इस कोर्ट केंस के चलते पटटेदार द्वारा कोई भी राशि ग्राम पचायत के पास जमा नहीं करवाई। वर्ष 2016 में नई पचायत के गठन के बाद ग्राम सभा के प्रस्ताव न0 4 दिनाक 27916 यह पारित किया है कि पटटेदार द्वारा कोर्ट केंस के दौरान कोई भी कार्य नहीं किया हैं और तालाब में पानी भी नहीं था। इसके पश्चात नई पचायत ने 191016 को पांच वर्ष के लिए श्री हरपाल सिंह को पटटेदार को पटटे पर दे दिया था। वर्तमान में यह पचायत नगर निगम अम्बाला शहर में शामिल हो गई। अत उक्त पैरा को झाप करने का कष्ट करे।	
83	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
84	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
85	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया हे कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
86	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हिरयाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
87	रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि इस समय अवधि का कोई आडिट नोट इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। आडिट नोट हेतू डिप्टी डायरेक्टर लोकल आडिट जीन्द से पत्राचार किया जा रहा है। आडिट नोट प्राप्त होने उपरान्त आगामी आवश्यक कार्यवाही अमल में ला दी जाएगी।	0 00

88	इस कार्यालय के पत्र कमाक 3224 दिनाक 24/09/2021 के माध्यम से नोटिस दिया गया है। लेकिन उक्त द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए पुन इस कार्यालय के पत्र कमाक 4041 दिनाक 17/11/2021 के माध्यम से लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र कमाक 134 दिनाक 11/01/2022 के माध्यम से पुन लिखकर रजिस्ट्री करवाई गई है परन्तु डाक विभाग द्वारा गाव में व्यक्ति ना मिलने के कारण रजिस्ट्री इस कार्यालय में वापिस प्राप्त हो गई है।	0 00
	इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र कमाक 4022-25 दिनाक 16/11/2021 व 281- 284 दिनाक 19/01/2022 व पत्र कमाक 1906-07 दिनाक 18/05/2022 व पत्र कमाक 4147-48 दिनाक 04/07/2022 के माध्यम से सम्बिधित ग्राम सिचेव को भी लिखा गया है कि रिकार्ड अनुसार व्यक्ति का पता करे।	
	जिस बारे श्री सदीप कुमार ग्राम सचिव द्वारा दिनाक 10 12 2022 को लिखकर दिया गया है कि यह व्यक्ति गाव मे नही रहता है और ना ही रिकार्ड मे नाम दर्ज है। इसलिए ग्राम सचिव द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार उक्त पैरा को समाप्त करने की कृपा करे। प्रति साथ सलग्न है।	
85	दिया गया है। लेकिन उक्त द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए पुन इस कार्यालय के पत्र कमांक 4044 दिनांक 17/11/2021 के माध्यम से लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र कमांक 132 दिनांक 11/01/2022 के माध्यम से पुन लिखकर रिजस्ट्री करवाई गई है परन्तु डांक विभाग द्वारा गांव में व्यक्ति ना मिलने के कारण रिजस्ट्री इस कार्यालय में वापिस प्राप्त हो गई है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र कमांक 4022—25 दिनांक 16/11/2021 व पत्र कमांक 281—284 दिनांक 19/01/2022 व पत्र कमांक 1906—07 दिनांक 18 05 2022 व पत्र कमांक 4147—48 दिनांक 04/07/2022 के माध्यम से सम्बंधित प्राम सचिव को भी लिखा गया है कि जिस बारे श्री सदीप कुमार ग्राम सचिव द्वारा दिनांक 10 12 2022 को लिखकर दिया गया है कि यह व्यक्ति गांव में नहीं रहता है और ना ही रिकार्ड में नाम दर्ज है। इसलिए ग्राम सचिव द्वारा दी गई रिपोर्ट अनुसार उक्त पैरा को समाप्त करने की कृपा करे। प्रति साथ सलग्न है।	0 00
Ę	िरकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि ग्राम पचायत देवधर द्वारा दिनाक 04/10/2011 मछली विभाग के कर्मचारी की हाजिरी में तालाब पाच वर्ष हेतू श्री अखतर अली पुत्र श्री मामूद्वीन के नाम मु0 5100/—क्त0 प्रति वर्ष के हिसाब से छोड़ा गया था। जिसकी मौका पर दो वर्ष की राशि रसीद न0 59/2593 दिनाक 31/10/2011 मु0 10200/—क्त0 ग्राम पचायत द्वारा प्राप्त कर ली गई थी। जिसका कैश बुक पेज न0 66 पर इन्द्राज है। इसके उपरान्त श्री अख्तर अली ने इस तालाब का पटटा किन्ही पारिवारिक कारणों के कारण छोड़ दिया और जिसका ग्राम पचायत द्वारा दिनाक 23052014 को प्रस्ताव न0 03 पारित किया गया है। जिसकी फोटो प्रति साथ सलग्न है अत बकाया राशि वसूल नहीं की जा सकती। कृप्या पैरा समाप्त करने की कृपा करे।	

रिकवरी हो चूकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।

91

रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि दिनाक 24/02/2011 को ग्राम पचायत द्वारा तालाब की खुली बोली तीन वर्ष हेतू की गई थी। जिसमे शमशाद पुत्र श्री खलील अहमद के नाम मु० 27000/—रू० प्रति वर्ष के हिसाब से पटटा छोड़ा गया था जो कि ग्राम पचायत पटटा की भार्त अनुसार सफल बोली दाता का बोली की राशि मौका पर ही जमा करवानी होगी जो कि पटटेदार द्वारा दिनाक 24/02/2011 को मु० 27000/—रू० वर्ष 2011—12 जमा करवा दी। जिसका रसीद न0 529/6 है और कैश बुक मे पेज न0 13 पर दर्ज है। इसके अतिरिक्त पटटा भार्त अनुसार पटटेदार को बतौर सिक्योरिटी मु० 10000/—रू० की राशि जमा करवाई गई है जिसकी रसीद न0 530/06 है और कैश बुक पेज न0 13 पर दर्ज है। इस प्रकार ग्राम पचायत के रिकार्ड मे उपलब्ध ग्राम पचायत के प्रस्ताव न0 02 दिनाक 19/03/20212 व पटटेदार द्वारा दिया ब्यान हिक्क्या (प्रति साथ सलग्न) अनुसार पटटा की शर्त मुताबिक पटटेदार की सिक्योरिटी राशि मु० 10000/—रू० जब्त करके पटटेदार का पटटा उसी समय रद्ध कर दिया गया था। इसलिए पटटेदार से (27000x3=81000-27000-10000=44000/-) की राशि की वसूल की जानी नही बनती है। इसलिए पैरा समाप्त करने की कपा करे।

इसके अतिरिक्त ग्राम पचायत द्वारा दिनाक 06/05/2014 को भाामलात भूमि की खुली बोली की गई थी जिसमे पचायत भूमि का प्लाट न0 1 श्री काका पुत्र शिव कुमार पटटेदार के नाम मु0 70100/—रू0 में छोडा गया था। जिसकी पटटेदार द्वारा मु0 30000/—रू0 की राशि रसीद न0 562/6 दिनाक 01/06/2015 के माध्यम से जमा करवाई गई थी जो कि केश बुक के पेज न0 56 पर दर्ज है तथा बकाया राशि मु0 40100/—रू0 की राशि पटटेदार द्वारा नहीं जमा करवाई गई। रिकवरी की कार्यवाही हतू इस कार्यालय के पत्र कमाक 44 दिनाक 14/07/2021 के माध्यम से सम्बंधित को नोटिस जारी कर दिया गया है लेकिन सम्बंधित द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाई गई है।

इसिलए पुन इस कार्यालय के पत्र कमाक 3230—32 दिनाक 24/09/2021 के तहत लिखा गया है लेकिन सम्बंधित द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसिलए पुन इस कार्यालय के पत्र कमाक 4063 दिनाक 17/11/2021 के माध्यम से लिखा गया है। इसिलए पुन पत्र कमाक 155 दिनाक 11/01/2022 के माध्यम से श्री काका पुत्र श्री शिव राम का रिजस्ट्री डाक के माध्यम से पुन लिखा गया है लेकिन सम्बंधित द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र कमाक 4022—25 दिनाक 16/11/2021 व पत्र कमाक 281—84 दिनाक 19/01/2022 व के माध्यम से सम्बंधित ग्राम सचिव को भी लिखा गया है।

इस सम्बंध में भू राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी हेतू इस कार्यालय के पत्र कमाक 6279 दिनाक 10 12 2022 के माध्यम से जिला विकास एव पचायत अधिकारी यमुनानगर की सेवा में लिखा गया है। प्रति साथ सलग्न है। इस 0.00

	कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
92	श्री बलजीत सिंह (पटटेदार) को इस कार्यालय में के पत्र कमांक 1814 दिनांक 30 7 21 के द्वारा मूं0 21000 रूं0 की राशि जमा करवाने बारे। पत्र भेज दिया गया है परन्तु उक्त व्यक्ति का जवाब इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। नियमानुसार आगामी कार्यावाही अमल में लाई जा रही है।	0 00
93	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाऊ लॉक्ल आडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कायालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
94	ग्राम सचिव की रिपोर्ट दिनाक 11 01 2022 अनुसार रिकॉर्ड का अवलोकन करने उपरान्त पाया की गाव में सरकारी / पंचायत कोई भी दुकान नही है और जो शामलात भूमी कासता हेतू पटटे पर छोड़ी जाती है उसकी सपूर्ण राशि बैक में समय समय पर जमा करवाई गई है। कैश बुक की प्रति सलग्न है। सरपंच की तरफ इस प्रकार की कोई रिकवरी नहीं बनती है।	0 00
95	ग्राम सचिव की रिपोर्ट दिनाक 28 10 2021 अनुसार रिकॉर्ड का अवलोकन करने उपरान्त अप्रैल 2011 से 2014 तक किसी भी प्रकार का कोई पटटा नहीं छोड़ा गया है तथा रिकॉर्ड अनुसार सरपंच श्रीमित ओमपती की तरफ कोई भी रिकवरी नहीं बनती है।	0 00
96	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भूराजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
97	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
98	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गय है।	0 00
99	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
100	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र	0 00

	कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू मबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
101	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
102	ग्राम सचिव की रिपोर्ट दिनाक 11 01 2022 अनुसार रिकॉर्ड का अवलोकन करने उपरान्त पाया की गाव में सरकारी/पचायत कोई भी दुकान नहीं है और जो शामलात भूमी कासता हेतू पटटे पर छोड़ी जाती है उसकी सपूर्ण राशि बेंक में समय समय पर जमा करवाई गई है। कैश बुक की प्रति सलग्न है। सरपच की तरफ इस प्रकार की कोई रिकवरी नहीं बनती है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हिरेयाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
103	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
104	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
105	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
106	ग्राम पचायत कचरौली द्वारा पचायती तालाब को दिनाक 25—1—2009 को खुली बोली के माध्यम से मू० 33500—रू० सालाना के हिसाब से पाच वर्ष के लिये श्री सतपाल पुत्र श्री कली राम निवासी काबडी को पटटा पर दिया गया था। पटटेदार द्वारा वर्ष 2009—10 2010—11 व 2011—2012 की पटटा राशि जमा करा दी गइ थी। लेकिन वर्ष 2012—13 की पटटा राशि जमा नहीं कराई। पचायत द्वारा	0 00

	नोटिस जारी किया गया था पटटेदार द्वारा मच्छली पालन मे हानि का बहाना बनाकर पटटा राशि जमा कराने से इन्कार कर दिया था तथा इसके उपरान्त पचायत द्वारा तालाब को खाली करा दिया गया था। इसके पश्चात नियमानुसार उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श पश्चात उक्त पचायती तालाब को दिनाक 2—5—2014 को पुन पटटा पर छोड दिया गया था। अब नियमित पटटा राशि जमा हो रही है। अत अनुरोध है कि उक्त कारण के मददेनजर इस पैरा को समाप्त करने की कृपा करे।	
107	ग्राम पचायत काबडी द्वारा सिकरा तालाब को दिनाक 12—9—2011 को खुली बोली के माध्यम से मू० 175000—रू० सालाना के हिसाब से पाच वर्ष के लिये श्री अनील पुत्र श्री मेहन्द्र सिह निवासी काबडी को पटटा पर दिया गया था। पटटेदार द्वारा वर्ष 2011—12 व 2012—13 की पटटा राशि मू० 175000—रू० के हिसाब से जमा करा दी गई थी। वर्ष 2013—14 की पटटा राशि मे से मू० 155000—रू० की राशि जमा करा दी गई थी। इसके बाद पटटेदार द्वारा पटटा राशि जमा नहीं कराई गई। इस स्थिति मे पचायत द्वारा पटटेदार को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी करने के बाद उसने पचायत को अवगत कराया कि तालाब के आसपास फेक्टिग्या है जिनका कैमिकलयुक्त जहरीला पानी तालाब मे जाता है। फेक्टिर्यों के कैमिकलयुक्त जहरीले पानी के कारण पटटेदार की मच्छली मर गई है। इसी कारण पटटेदार ने आगे राशि जमा कराने से मना कर दिया था तथा ना ही आगे उसके द्वारा मच्छली पालन किया गया। पचायत द्वारा दिनाक 5—7—2015 को पारित किया गया कि तालाब मे कैमिकलयुक्त जहरीला पानी जा रहा है इसलिये पटटेदार की समस्या को ध्यान मे रखते हुये इसको आगे पटटा पर ना छोडा जाये। इसके अलावा तालाब के आसपास पीठडब्लू०डी० रोड के साथ मलिकयत भूमि म लोगो द्वारा फेक्टिरियों लगाई हुई है उनके द्वारा कैमिकलयुक्त जहरीले पानी की निकासी सहित कोई प्रबन्धन नहीं किया गया है। किमिकलयुक्त पानी रोड पर इक्का होकर व रोड के साथ—2 आकर तालाब मे गिर जाता है। पचायत मे आमदन का कोई साधन नहीं जिससे पचायत स्तर पर कोई समाधान किया जा सकता। गाव के आसपास फैक्टिरिया व मलिकयत भूमि म लोगो द्वारा कालोनिया काटी हुई है इसलिये आसपास गन्दे पानी की निकासी का प्रबन्धन भी सम्भव नहीं था। अत अनुरोध है कि उक्त कारण के मददेनजर इस पैरा को समाप्त करने की कृपा करे।	0 00
108	इस मम्बंध में ग्राम पंचायत छोली के पटटा रिजस्टर के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड में पाया गया है कि श्री जसमेर सिंह पुत्र पुन्नु राम द्वारा दिनाक 03/02/2011 को ग्राम पंचायत छोली का तालांब मछली पालना हेतू तालांब मुंठ 29000/— प्रति के हिसांब से पांच वर्ष के पटटे पर लिया गया है। जिसमें पटटेदार द्वारा दिनांक 05/02/2011 रसींद नं 88 के माध्यम से पटटे का सवा वर्ष की राशि मुंठ 37000/—रूठ ग्राम पंचायत में जमा करवाई गई। इसके पश्चान पटटेदार द्वारा कोई भी पटटे राशि ग्राम पंचायत में जमा नहीं करवाई गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक 3236—38 दिनांक 24/09/2021 के माध्यम से नोटिन दिया गया है लेकिन सम्बंधित द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसतिए पुन इस कार्यालय के पत्र कमांक 4047 दिनांक 17/11/2021 के माध्यम से लिखा गया है।	

	इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र कमाक 152 दिनाक 11/01/2022 के माध्यम से श्री जसमेर सिंह पुत्र श्री पुन्नु राम रिजस्टी डाक भेजी गई है लेकिन पटटेदार द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाई गई है। इस उपरान्त इस कार्यालय के पत्र कमाक 4616 दिनाक 10 08 2022 के माध्यम से पुन श्री जसमेर सिंह पुत्र श्री पुन्नु राम रिजस्टी डाक भेजी गई है लेकिन पटटेदार द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाई गई है। इस सम्बंध में भू राजस्व अधिनियम के तहत रिकवरी हेतू इस कार्यालय के पत्र कमाक 6267 दिनाक 10 12 2022 के माध्यम से जिला विकास एव पचायत अधिकारी यमुनानगर की सेवा में लिखा गया है। प्रति साथ सलग्न है।	
109	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
110	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
111	खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक स्पैशल 17 दिनाक 02 08 2021 व इस कार्यालय के पत्र कमाक 1789 दिनाक 16 08 2021 के द्वारा श्री नरेश कुमार पुत्र श्री बन्ता राम पटटेरदार निवासी गगनुपर को 87750/—रु0 जमा करवाने बारे नोटिस जारी कर दिया गया है । परन्तु उक्त पटटेदार उक्त राशि जमा नहीं करवा रहा। है। अत माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र कमाक 288—289 दिनाक 21 01 2022 के द्वारा भू—राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतू लिख दिया गया है।	0 00
112	खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक स्पैशल 16 दिनाक 02 08 2021 व पत्र कमाक 1788 दिनाक 16 08 2021 के द्वारा श्री पुन्ना राम पुत्र श्री पाली राम निवासी गगनुपर को 72744/—रु0 जमा करवाने बारे नोटिस जारी कर दिया गया है। उक्त पटटेदार राशि जमा नहीं करवा रहा है। अतः माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र कमाक 313—314 दिनाक 21 01 2022 के द्वारा भू—राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतू लिख दिया गया है।	0 00
113	खण्ड कार्यालय के पत्र कमाक स्पैशल 18 दिनाक 02 08 2021 व पत्र कमाक 1790 दिनाक 16 08 2021 के द्वारा श्री मित कौशल्या देवी पितन जसवन्त निवासी गगनुपर को 20875 / —रु० जमा करवाने बारे नोटिस जारी कर किया गया परन्तु उक्त पटटेदार उक्त राश्रि जमा नही करवा रहे है। अत माननीय कलैक्टर महोदय अम्बाला को इस कार्यालय के पत्र कमाक 290—291 दिनाक 21 01 2022 के द्वारा भू—राजस्व घोषित करके उक्त राशि वसूल करने हेतू लिख दिया गया है।	0 00
114	अधिनस्थ कार्यालय को सबस्वित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
115	अधिनस्थ कार्यालय को सबस्थित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00

116	रिकवरी की जा चुकी है। कैश बुक के पेज न 70 व 74 की छायाप्रति साथ सलग्न	0 00
110	है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हिरयाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/ 109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव क विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	3 30
117	रिकवरी की जा चुकी है। कैश बुक के पेज न 85 की छायाप्रति सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
118	ऑडिट आपित के सम्बन्ध में आपकी सेवा में लिखा जाता है कि खण्ड कार्यालय के पत्र क्रमाक 3625 दिनाक 24122 द्वारा पूव सरपच श्रीमित कुसुम रानी ग्राम पचायत डगड़ैहरी (वर्ष 2010 से 2015) को हरियाणा पचायती राज एक्ट 1994 की धारा 53(1) के तहत राशि जमा करने बारे नोटिस दिया गया। जिसके सम्बन्ध में पूर्व सरपच श्रीमित कुसुम रानी द्वारा खण्ड कार्यालय में लिखित में दिया कि गाव में दो तालाब है। जिसमें से दिनाक 158 2008 को तालाब न0 एक 23700/— रू0 व दिनाक 143 2008 को तालाब न0 दो की बोली 11200/— श्री लाल बाबू के नाम हुई थी। तालाब न0 2 केवल एक वर्ष के लिए ही पटटे पर रहा। उसके पश्चात श्री लाल बाबू ने तालाब न0 2 पटटे पर चलाने से मना कर दिया। पचायत द्वारा सर्वसम्मित से प्रस्ताव पारित किया गया कि यह तालाब खाली है। इसके अतिरिक्त तालाब न0 1 के लिए मॉडल तालाब बनाने हेतु ग्रान्ट राशि प्राप्त हुई थी। जिसके लिए पचायत द्वारा पटटेदार से एक वर्ष के लिए तालाब खाली करवाया गया। जिस कारण उस वर्ष की राशि पचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके पटटेदार से वसूल नही की गई। इसके पश्चात पटटेदार द्वारा दिनाक 168 2013 24 3 2014 15 3 2015 को पटटे की राशि पचायत के पास जमा करवा दी गई थी। जिसकी रसीद पचायत द्वारा पटटेदार को दे दी गई थी। वर्तमान में यह पचायत नगर निगम अम्बाला शहर में शामिल हो गई। अत उक्त पैरा को ड्राप करने का क ट करे।	0 00
119	यहा पर यह व्यक्त किया जाता है कि विभाग द्वारा भेजे गये ऑडिट नोट 04/2011 से 03/2014 में मु0 67000/—रूपये का विवरण नहीं है और ना ही ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उक्त राशि का विवरण है। अत पैरा समाप्त करने का कश्ट करे।	0 00 ~
120	यहा पर यह व्यक्त किया जाता है कि विभाग द्वारा भेजे गये ऑडिट नोट 04/2011 से 03/2014 में मु0 38750/—रूपये का विवरण ना है और ना ही ग्राम	

	पचायत के रिकार्ड में उक्त राशि का विवरण ना है। अत पैरा समाप्त करने का कष्ट करे।	
121	यहा पर यह व्यक्त किया जाता है कि विभाग द्वारा भेजे गये ऑडिट नोट 04/2011 से 03/2014 में मु0 38200/—रूपये का विवरण नहीं है और ना ही ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उक्त राशि का विवरण है। अत पैरा समाप्त करने का कष्ट करे।	0 00
122	यहा पर यह व्यक्त किया जाता है कि विभाग द्वारा भेजे गये ऑडिट नोट 04/2011 से 03/2014 में मु0 70875/रूपये का विवरण नहीं है और ना ही ग्राम पचायत के रिकार्ड में उक्त राशि का विवरण है। अत पैरा समाप्त करने का कष्ट करे।	0 00
123	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आढिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आढिट हरियाणा का अधिकारी/आढिटर उनके कार्यालय का आढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
124	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपंच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
125	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
126	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
127	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
128	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
129	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	

130 अधिनस्थ कार्यातय को सबस्वित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 131 अधिनस्थ कार्यातय को सबस्वित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 132 अधिनस्थ कार्यातय को सबस्वित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 133 अधिनस्थ कार्यातय को सबस्वित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 134 रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यातय को विधानसमा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट शियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यातय का आडिट कर तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14.09.202 द्वारा प्राम सचिव के विकद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। 135 रिकवरी हो चुकी है। के बुक की प्रति साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14.09.202 द्वारा प्राम सचिव के विधानसमा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय को पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/ का आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय को पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08.07.2022 द्वारा प्राम सचिव के विकद्ध अनुशासिक कार्यवाही हेतू सबित उपायुक्त को लिख दिया गया है। 136 अधिनस्थ कार्यालय को सबस्वित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 137 अधिनस्थ कार्यालय को सबस्वित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 138 अधिनस्थ कार्यालय को सबस्वित सरपच से रिकवरी करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 138 अधिनस्थ कार्यालय को सबस्वित सरपच से रिकवरी करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है।			
देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 132 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने वे बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 133 अधिनन्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 134 रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। 135 रिकवरी हो चुकी है। कै ाबुक की प्रति साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्त आडिट 13807—887 दिनाक 08.07.2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्त आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14.09.2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। 136 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 37 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 38 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	130	देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया	0 00
देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 133 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 134 रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसमा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर जनके कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट रमवायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा प्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। 135 रिकवरी हो चुकी है। के बुक की प्रति साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। 136 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 37 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्वेशित कर दिया गया है। 38 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्वेशित कर दिया गया है।	131	देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया	0 00
देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 134 रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय को पत्र कमाक ऑडिट /पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। 135 रिकवरी हो चुकी है। कै बुक की प्रति साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय को पत्र कमाक ऑडिट रावर्ण तथा है। हित् सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। 136 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनयमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 137 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनयमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 138 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनयमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 38 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनयमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	132	देने के बाद भूराजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया	0 00
विधानसभा कर्मेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। 135 रिकवरी हो चुकी है। कै ाबुक की प्रति साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पेरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। 136 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 137 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस वेन के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 138 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	133	देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया	0 00
कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करें तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबि्त उपायुक्त को लिख दिया गया है। 136 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 137 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 138 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	134	विधानसभा कर्मेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आिंडट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आिंडट हरियाणा का अधिकारी/आिंडटर उनके कार्यालय का आिंडट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑिंडट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया	
देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 137 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 138 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने जे बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया	135	कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू	
देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है। 138 अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया	136	देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया	
देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया	137	देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया	
	138	देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया	

139	22 22 22 22 23 24 24 25	5.00 0.00
	पैरा मे द ााई गई राशि मु0 5300/— रू0 आडिट पार्टी द्वारा गल्त दर्शाई गई है जबिक वास्तव म यह राशि मु0 3000/—रू0 है। जिसकी बोली दिनाक 18/05/2011 को एक वर्ष के लिए वर्ष 2011—12 मे की गई थी। यह बोली मु0 3000/—रू0 मे कर्मचन्द पुत्र श्री सुरता राम के नाम छोडी गई है तथा उसे यह राशि प्राप्त कर ली गई है। जिसका कैश बुक मे पेज न0 31 पर इन्द्राज है और रसीद न0 50 दिनाक 18/05/2011 है। कैश बुक की प्रति साथ सलग्न है। कृप्या पैरा को समाप्त करने की कृपा करे। पटटा रजिस्टर की प्रति पहले दी जा चुकी है।इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14092022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है। कृप्या पैरा को समाप्त करने की कृपा करे।	5 300 00
140	इस कार्यालय के पत्र कमाक 3239—41 दिनाक 24/09/2021 के माध्यम से नोटिस दिया गया है। इस बारे उसके वारिसो द्वारा श्री फकीर चन्द पुत्र श्री मोलू राम का मृत्यु प्रमाण पत्र इस कार्यालय मे प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उसकी मृत्यु दिनाक 04/07/2014 में हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र कमाक 4050 दिनाक 17/11/2021 द्वारा पुन लिखा गया है। इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र कामक 146 दिनाक 11/01/2022 रिजस्टर्ड डाक के माध्यम से पुन लिखा गया है परन्तु डाक विभाग द्वारा रिजस्टी इस कार्यालय मे प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने के कारण वापिस प्राप्त हो गई है। श्री फकीर चन्द पुत्र श्री मोलू राम की मृत्यु हो जाने के कारण रिकवरी की जानी सभव नहीं हो पा रही है। मृत्यु का प्रमाण पत्र साथ सलग्न है। इसलिए पैरा समाप्त करने की	0 00
141	कृपा करे। रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि प्लाट न0 4 मु0 72000/—रू0 मे पटटेदार श्री गुरदयाल पुत्र श्री फूल कुमार के नाम छोड़ा गया था लेकिन पटटेदार हारा मु0 31000/—रू0 की रिश जमा करवा दी गई थी जो कि रसीद न0 35 दिनाक 22/06/2014 मु0 10000/— रसीद न0 37 दिनाक 12/08/2014 मु0 15000/—व रसीद न0 38 दिनाक 11/10/2014 मु 6000/— और कैश बुक पेज न0 95 से 97 पर दर्ज है। और मु0 41000/—रू0 की रिश जमा नहीं करवाई गई। रिकवरी की कार्यवाही हेतू इस कार्यालय के पत्र कमाक 58 दिनाक 14/07/2021 व पत्र कमाक 3242—44 दिनाक 24/09/2021 के माध्यम से सम्बधित को नोटिस जारी कर दिया गया है लेकिन उक्त द्वारा राशि जमा नहीं करवाई है इसिलए इस कार्यालय के पत्र कमाक 4053 दिनाक 17/11/2021 के माध्यम से पुन लिखा गया है। इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र कमाक 143 दिनाक 11/01/2022 रिजस्टर्ड डाक के माध्यम से सम्बधित को लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र कमाक 4022—25 दिनाक 16/11/2021 व पत्र कमाक 281—284 दिनाक 19/01/2022 के माध्यम से सम्बधित ग्राम सचिव का भी लिखा गया है लेकिन सम्बधित द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है।	

	इसके उपरान्त पत्र कमाक 1909 दिनाक 1805 2022 व पत्र कमाक 4173 दिनाक 04/07/2022 के माध्यम से जिला विकास एव पचायत अधिकारी यमुनानगर की सेवा मे भू-राजस्व घोषित करने बारे लिख दिया गया है लेकिन भू राजस्व की कार्यवाही लम्बित है। जिस बारे पुन इस कार्यालय के पत्र कमाक 6277 दिनाक 10 12 2022 द्वारा जिला विकास एव पचायत अधिकारी यमुनानगर मे लिखा गया है।	
142	इस कार्यालय के पत्र कमाक 3245 दिनाक 24/09/2021 के माध्यम से नोटिस दिया गया है लेकिन सम्बंधित द्वारा राशि जमा नही करवाइ गई है इसलिए पुन इस कार्यालय के पत्र कमाक 4056 दिनाक 17/11/2021 के माध्यम से लिखा गया है।	0 00
	इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र कमाक 140 दिनाक 11/01/2022 व पत्र कमाक 1903 दिनाक 18/05/2022 के अनुसार सम्बंधित को रजिस्ट्री डाक/दस्ती के माध्यम से पुन लिखा गया है परन्तु सम्बंधित द्वारा उक्त राशि जमा नहीं करवाई गई है।	
	इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र कमाक 3068 दिनाक 17/06/2022 व पत्र कमाक 4175 दिनाक 04/07/2022 के माध्यम से जिला विकास एव पचायत अधिकारी यमुनानगर की सेवा में भू-राजस्व घोषित करने बारे लिख दिया गया है लेकिन भू राजस्व की कार्यवाही लम्बित है। जिस बारे पुन इस कार्यालय के पत्र कमाक 6278 दिनाक 10122022 द्वारा जिला विकास एव पचायत अधिकारी यमुनानगर में लिखा गया है।	
143	रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया है कि प्लाट न0 3 मु0 100000/—रू0 में पटटेदार श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कपूरा के नाम छोड़ा गया था लेकिन पटटेदार द्वारा मु0 25000/—रू0 की राशि जमा करवा दी गई थी जो कि रसीद न0 34 दिनाक 22/06/2014 मु0 10000/— रसीद न0 36 दिनाक 12/08/2014 मु0 15000/—और कै । बुक पेज न0 95 से 97 पर दर्ज है। और मु0 75000/—रू0 की गशि जमा नहीं करवाई गई। रिकवरी की कार्यवाही हेतू इस कार्यालय के पत्र कमाक 62 दिनाक 14/07/2021 के माध्यम से सम्बंधित को नोटिस जारी कर दिया गया है लेकिन चक्त द्वारा राशि जमा नहीं करवाई है इसलिए पुन इस कार्यालय केपत्र कमाक 3248 दिनाक 24/09/2021 लिखा गया है इस बारे उसके वारिसो द्वारा श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कपूरा का मृत्यु प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुन किया गया है जिसके अनुसार उसकी मृत्यु दिनाक 30/07/20216 में हो चुकी है। इस कार्यालय के पत्र कमाक 4059 दिनाक 17/11/2021 द्वारा पुन लिखा गया है।	0 00
	इसके उपरान्त इस कार्यालय के पत्र कमाक 137 दिनाक 11/01/2022 रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पुन लिखा गया है परन्तु डाक विभाग द्वारा रजिस्ट्री इस कार्यालय मे प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने के कारण वापिस प्राप्त हो गई है। श्री लक्ष्मण पुत्र श्री कपूरा की मृत्यु हो जाने के कारण रिकवरी की जानी सभव नही हो पा रही है। मृत्यु की प्रति साथ सलग्न है। इसलिए पैरा समाप्त करने की कृपा करे।	
144	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00

145	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू–राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
146	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
147	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू-राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
148	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू–राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
149	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
150	7200/— की रिवकरी हो चुकी है। जबिक 14640/— रूपये की रिकवरी पैंडींग है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र क्रमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
151	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
152	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया	0 00

	गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	
153	अधिनस्थ कार्यालय को सबन्धित सरपच से रिकवरी करने के लिए अतिम नोटिस देने के बाद भू—राजस्व अधिनियमके तहत कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है।	0 00
154	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
155	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटींग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
156	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
157	रिकवरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग मे लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाऊ लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00

158	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसमा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेत् सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
159	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंखिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंखिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंखिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
160	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आढिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आढिट हरियाणा का अधिकारी/आढिटर उनके कार्यालय का आढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
161	12 000 रू की रिवकरी हो चुकी है। बाकी के लिए प्रयास जारी है। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंढिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंढिट हरियाणा का अधिकारी/आंढिटर उनके कार्यालय का आंढिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑंढिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबिधत उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
162	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आहिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आहिट हरियाणा का अधिकारी/आहिटर उनके कार्यालय का आहिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑहिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00

163	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
164	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न है। सम्बधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आडिट 13807—887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आडिट हरियाणा का अधिकारी/आडिटर उनके कार्यालय का आडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र कमाक ऑडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचित्र के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू सबधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
165	रिवकरी हो चुकी है। रसीद साथ सलग्न हैं। सम्बंधित अधिनस्थ कार्यालय को विधानसभा कमेटी की मिटीग में लिए गए निर्णय के अनुसार इस कार्यालय के पत्र कमाक लॉक्ल आंडिट 13807-887 दिनाक 08 07 2022 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है कि जब भी लॉकल आंडिट हरियाणा का अधिकारी/आंडिटर उनके कार्यालय का आंडिट करे तब रसीद की प्रति दिखाकर पैरा ड्रॉप करवा ले। इस कार्यालय के पत्र क्माक ऑंडिट/पचायत/109378 दिनाक 14 09 2022 द्वारा ग्राम सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतू संबंधित उपायुक्त को लिख दिया गया है।	0 00
		5,300 00

The Committee has desired to keep the para pending with the direction to Local Audit department that detils be provided to the development & Panchyats department and to complete the process of recovery

Part-IV

ANNUAL AUDIT REPORT OF THE LOCAL AUDIT DEPARTMENT,
HARYANA ON THE ACCOUNTS OF URBAN LOCAL BODIES (ULBs)
& PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIs) FOR THE YEAR 2015-16
PART-II-B (PANCHAYAT SAMITI) AND PART-II-C (ZILA PARISHAD)

AUDITED BY THE DIRECTOR,

LOCAL AUDIT DEPARTMENT, HARYANA

[49]

Appendix-'U'

As referred to in Para 3 of Part-II (B) TEMPORARY ADVANCES of the Annual Audit Report of Local Audit Department Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs)

Statement showing the Temporary Advances outstanding in case of Panchayat Samitis

Sr No	Name of Institution	Period of Audit	Amount ₹
1	Panchayat Samıtı Pınjore	4/13 to 3/15	2 600
2	Panchayat Samıtı CharkhıDadn I	4/13 to 3/15	7 150
3	Panchayat Samıtı Tauru	4/13 to 3/15	3 525
4	Panchayat Samıtı Mustafabad	4/14 to 3/15	10 000
5	Panchayat Samiti Bilaspur	4/14 to 3/15	1 46 000
6	Panchayat Samıtı Chhachraulı	4/14 to 3/15	16 729
7	Panchayat Samıtı Kanına	4/09 to 3/15	27 100
8	PanchayatSamıtı Gharaunda	4/13 to 3/15	1 75 000
9	PanchayatSamıtı Gurugram	4/13 to 3/15	3 56 362
10	PanchayatSamıtı Saha	4/14 to 3/15	2 000
11	PanchayatSamıtı Ladwa	4/14 to 3/15	5 000
12	Panchayat Samiti Kairu	4/10 to 3/15	25 000
		Total	7,76 466

The Department in its written reply stated as under

Sr No	Para No 3	Name of Panchayat Samiti		Particular of Para	Reply of Department	Remarks
	Period of Audit	Statement sh case of Panc				
			Amount of Advance			
1	4/13 to 3/15	Pinjore	2600	Rs 2600/ has l Shri Mukesh J	ance amounting to been recouped from IE Details of cash d Para may drop	2600/ adjusted
2	4/13 to 3/15	Charkhı Dadn I	7150	Rs 150/ has been tered in cash has been given Gram Sachiv expired Copy of enclosed Rs given to Shri Rawho has also be	Rs 150/ only adjusted	
3	4/13 to 3/15	Tauru	3525	The amount of is mentioned was officer/officials d	Wrongly mentioned Rs 3525/	
4	4/14 to 3/15	Mustafabad	10000	Amit Kumar S vide memo 21 08 2013 a 16 02 2016 lt ii	een issued to Shr SEPO now BDPO No 1893 dated and 475 dated is also intimated that Kumar BDPO is in	
5	4/14 to 3/15	Bilaspur	146000	An amount of Rs 30000/ and Rs 46000/ total Rs 76000/ has been adjusted by Shri Sushil Kumar SEPO on 19 03 2014 and 21 04 2015 respectively		76000/ adjusted
6	4/14 to 3/15	Chhachrauli	16729	the years 1975 The record is n	this para relates to 2 1973 and 1998 ot traceable As and ord is available the omitted	
7	4/09 to 3/15	Kanına	27100	16000+ 13300	ance o0f Rs 6000+ = 35300/ has been copies attached	27100/ adjusted

8	4/13 to 3/15	Gharaunda	175000		s already been (Copy enclosed)	175000/ adjusted		
9	4/13 to 3/15	Gurugram	356362	the audit report to of temporary advany employees	The amount was wrongly shown in the audit report by LAD No amount of temporary advance was given to any employees of PS Gurugram Para may be dropped			
10	4/14 to 3/15	Saha	2000	from the con which was ente	which was entered in cash book page No 57 (Copy enclosed) Para			
11	4/14 to 3/15	Ladwa	5000	cash book pa	25/03/2015 (Copy enclosed) Para			
12	4/10 to 3/15	Kaıru	25000	has been adjus	Temporary advance of Rs 25000/ has been adjusted Photocopy of cash book is enclosed Para may be dropped			
		Total	776466			672737/ adjusted		
-		Adjusted	672737					
		Balance	103729					

The Committee has desired to keep the para pending

[50]

Appendix-'V'

As referred to in Para 4 of Part-II(B) of the Annual Audit Report of Local Audit Department Haryana for the year 2015-16 on the accounts of Urban Local Bodies(ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs)

Statement showing the position of Arrear and other dues in respect of Panchayat Samitis

Sr No	Name of Panchayat Samıti	Period of Audit	Dues viz, SportsFund Haryana Sanwad and open darbar Panch/Sarpanch samelon etc		Rent of Residence Quarters
1	Alewa	4/13 to 3/15	1 000		
2	Namaund	4/14 to 3/15		6 10 570	
3	Uchana	4/14 to 3/15	5 90 640	4 239	
4	Narwana	4/14 to 3/15	5 95 450	_	
5	Kaıru	4/10 to 3/15	23 88 248		
6	Pinjore	4/13 to 3/15		3 45 700	
7	Jınd	4/14 to 3/15	 11 405		
8	Charkhı Dadrı I	4/13 to 3/15	9 46 459		
9	Gohana	4/14 to 3/15	10 21 143	-	
10	Mustafabad	4/14 to 3/15	18 21 200	1 37 660	
11	Bilaspur	4/14 to 3/15	1 76 000	71 007	
12	Chhachrauli	4/14 to 3/15	4 98 150		
13	Badhra	4/13 to 3/15	6 43 000	_	
14	Kanına	4/09 to 3/15	58 07 047	1 37 368	
15	Gharaunda	4/13 to 3/15	6 54 305		10 670
16	Dadn II	4/13 to 3/15	7 69 871		

GrandTotal				2 42 73,752	
Total			2,00,43,423	42,19,659	10 670
29	Sampla	4/14 to 3/15		3 50 870	
28	Nissingat Chirao	4/14 to 3/15	3 51 855	3 75 255	
27	Lakhan Majra	4/14 to 3/15	2 04 676		
26	Kharkhoda	4/12 to 3/15		3 49 165	
25	Bapoli	4/13 to 3/15	12 25 017		
24	Kathura	4/14 to 3/15	9 44 376	_	
23	Indn	4/14 to 3/15		1 40 336	
22	Hisar II	4/13 to 3/15	2 84 476		
21	Ladwa	4/14 to 3/15	1 39 763	11 38 339	
20	Sonipat	4/11 to 3/15		5 47 745	
19	Adampur	4/14 to 3/15	63 977		
18	Saha	4/14 to 3/15	6 25 810		
17	Gurugram	4/13 to 3/15	2 90 960		

The Department in its written reply stated as under -

Sr No	Para No	Period of Audit		Name of Panchayat Samiti	Particular of Para	Reply of Department	Remarks
	4	Statement sl other dues in (Appendix V	n respect of				
		Dues viz Sports fund Haryana Sanwad and open Darbar Panch/ Sarpanch Sammelan etc		Rent of Shops	Rent of Residence Quarters		
1	4/13 to 3/15	Alewa	1000	0	0	Recovery has been made vide receipt No 92 dated 05/08/2021 Copy of challan and receipt enclosed Hence Para may be dropped	1000/ recovered
2	4/14 to 3/15	Namaund	0	610570	0	Pending shop rent of Panchayat Samiti has been recovered Hence Para may be dropped	610570/ recovered
3	4/14 to 3/15	Uchana	590640	4239	0	The amount of samiti dues have been recouped from Gram Panchayats Shop rent amounting to Rs 4239/ has been recovered vide receipt No 132 dated17 10 2018 Para may be dropped (Copy enclosed)	590640/ recovered 4239/ recovered
4	4/14 to 3/15	Narwana	595450	0	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayats Para may be dropped	595450/ recovered

5	4/10 to 3/15	Kaıru	2388248	0	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayats Para may be dropped	2388248/ recovered
6	4/13 to 3/15	Pinjore	0	345700	0	The outstanding rent of shops has been recovered from the shopkeepers Photo copy of shop rent register is enclosed Para may be dropped	345700/ recovered
7	4/14 to 3/15	Jind	0	11405	0	Recovery has been made vide receipt No 16 dated 06 07 2015 and 31 dated 10/08/2015 Copy enclosed Para may be dropped	11405/ recovered
8	4/13 to 3/15	Charkhi Dadri I	946459	0	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayats Para may be dropped	946459/ recovered
9	4/14 to 3/15	Gohana	1021143	0	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayats Para may be dropped	1021143/ recovered
10	4/14 to 3/15	Mustafabad	1821200	137660	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samiti has been recovered from Gram Panchayats Shop rent has also been recovered Para may be dropped	1821200/ recovered 137660/ recovered

11	4/14 to 3/15	Bilaspur	176000	71007	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samit has been recovered from Gram Panchayats Rent of shops has also been recovered from the shopkeepers Para may be dropped	176000/ recovered 71007/ recovered
12	4/14 to 3/15	Chhachrauli	498150	0	0	Pending outstanding dues of Panchayat Samit has been recovered from Gram Panchayat vide cheque No26838 dated 17 08 2021 Para may be dropped	498150/ recovered
13	4/13 to 3/15	Badhra	643000	0	0	Pending Samiti dues has been recovered Para may be dropped	643000/ recovered
14	4/09 to 3/15	Kanına	5807047	137368	0	Samiti Dues are pending and Shop rant of Rs 137368/ has been recovered Para may be dropped	137368/ recovered
15	4/13 to 3/15	Gharaunda	654305	0	10670	Para already dropped	654305/ recovered 10670/ recovered
16	4/13 to 3/15	Dadn II	769871	0	0	The amount shown in para has been recovered from Gram Panchayats Para may be dropped	769871/ recovered
17	4/13 to 3/15	Gurugram	290960	0	0	The amount has been recovered from the Gram Panchayats No samiti dues are pending Para may be dropped	290960/ recovered

18	4/14 to 3/15	Saha	625810	0	О	The amount has been recovered from the Gram Panchayats in the year 2017 18 No samiti dues are pending Para may be dropped	625810/ recovered
19	4/14 to 3/15	Adampur	63977	0	0	O Samiti dues are still pending	
20	4/11 to 3/15	Sonipat	0	547745	0 The record pertaining to this Para has been theft for which FIR No 0652 dated 13 012 2016 has been lodged in City Police Station Sonipat Para may be dropped (Copy enclosed)		
21	4/14 to 3/15	Ladwa	139763	1138339	0	Samiti due are outstanding	
22	4/13 to 3/15	Hısar II	284476	0	0	Samiti due are outstanding	
23	4/14 to 3/15	Indri	0	140336	0	The amount has been recovered fromAgriculture Deptt Vide letter No 50 dated 25 02 2021 Para may be dropped	140336/ recovered
24	4/14 to 3/15	Kathura	944376	0	0	Out of Rs 944376 an amount of Rs 640740 has been recovered and Rs 303636/ is still outstanding	640740/ recovered
25	4/13 to 3/15	'	1225017	0	0	Amount is still outstanding	

26	4/12 to 3/15	Kharkhoda	0	349165	0	The amount has been recovered from the shopkeepers and no amount of shop rent is outstanding Para may be dropped	349165/ recovered
27	4/14 to 3/15	Lakhan Majra	204676	0	0	Out of Rs 204676 an amount of Rs 126306 has been recovered and Rs 78370/- is still outstanding	126306/ recovered
28	4/14 to 3/15	Nissing at Chirao	351855	375255	0	The amount of Samit dues and shop rent has been recovered	351855/ recovered 375255/ recovered
29	4/14 to 3/15	Sampla	0	350870	0	The amount is outstanding due to court case	
		Total	20043423	4219659	10670		12141137/ 2182705/ 10670/ recovered
		Grand Total		24273752/			
		Recovered		14334512/			
		Balance		9939240			

The Committee has desired to keep the para pending

Appendix-'Y'

As referred to in Para 6 (II) of Part-II (B) of the Annual Audit Report of Local Audit Department Haryana for the year 2015 16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs)

IRREGULAR, EXCESS AND AVOIDABLE EXPENDITURE (II)

Statement showing the cases of invalid/ Irregular Excess and Avoidable Expenditure in case of Panchayat Samitis in the state

Sr No	Name of Panchayat Samiti	Period of audit	Amount ₹	Particular		
1	Panchayat Samıtı Alewa	4/13 to 3/15	17 340	Expenditure of ₹ 2 400 vide vr no 10 of 8/14 were made for purchase of foot darn for office use ₹ 2 340 vide vr no 4 of 5/13 for purchase of 18kg rope ₹ 9 700 vide vr no 3 of 9/13 for repair of photostate machine and ₹ 2 900 vide vrno 17 of 6/13 for repair of submersible from open market without calling quotation and without consulting approved sources which was irregular The responsibility for non adherence for prescribed purchase procedure may be fixed and excess amount if any be recovered from the official at fault		
2	Panchayat Samiti Narwana	4/14 to 3/15	5 815	Samiti jeep from	no 6 of 6/14 were m private agency w e such as PWD (B& shop which is irregu	ithout exhausting RR) and Haryana
3	Panchayat Samiti	4/10 to	15 804		15 804 as detailed Be d without following fin	
	Kaıru	3/15		Vr no	Month	Amount ₹
				Nil	Арпі 2010	10 000
				124	March 2013	4 800
				Nil	March 2015	1 004
					Total	15,804

4	Panchayat Samiti Pinjore		14 021	made for repair 11 of 17/4/13 banners ₹ 1 9 items ₹ 1 100 computer ₹ purchase of tov repair of windor purchase of c 17/3/15 for purchase	r of Photostat mad for purchase and 48 vide vr no 21 vide vr no 24 d 1 250 vide vr no wels ₹4 163 vide w panes ₹710 vid leaning items ₹ chase of toner et	no 7 of 10/4/13 were thine ₹ 600 vide vr no it printing of two cloth of 3/7/14 for cleaning of 8/7/14 for repair of 22 of 22/7/14 for vr no 33 of 22/7/14 for de vr no 5 of 3/3/15 for 700 vide vr no 7 of c were made without lar on the part of samiti
			10 938	10 of 1/14 an spent for repa without obta	nd ₹ 719 vide vr	₹ 2 250 vide vr no no 11 of 1/14 were from private agency om Govt Central
5	Panchayat Samıtı Julana	4/14 to 3/15	20 896	of 4/14 were sp		₹ 14 515 vide vr no 1 lock jeep from local vhich is irregular
6	Panchayat Samıtı Sıwan	4/14 to 3/15	1 00 872	from samiti fun This may eithe	id were nota fit cha	ed below were made arge on the samiti fund of appropnate source
				Vr no	Month/ year	Amount ₹
				11	Aug 14	15 080
				12	Aug 14	15 108
				13	Aug 14	15 092
				14	Aug 14	15 080
				8	Aug 14	39 432
				9	Aug 14	1 080
1					Total	1,00,872
				Roadways		cost of rent paid to GM Siwan to Sonipat for
				Sammelon	n from Sonipat to S	ent for Gram Panchayat Biwan and viceversa
				3 Vr No 9 Sammelon		ard for Panchayat Raj

			82 780	on of author engage made from	employees as mentally wages without as Panchayat Sige any person on do as such may eith the defaulters or recovernment	out sanction Samiti was not aily wages Thi er be justified	of competent empowered to us the payment or made good
				Sr No	Designation of employee	Year	Amount ₹
				1	Safaı Karmchaп	2014 15	2 700
				2	Driver	2014-15	80 080
						Total	82 780
7	Panchayat Samıtı Jınd	4/14 to 3/15	45 950	Electrical material of ₹ 8 693 vide vr no 17 of month 4/14 keyboard of ₹ 1 400 vide vr no 16 of 4/14 stationary of ₹2 940 vide vr no 2 of 6/14 repair of R O of ₹ 2 600 vide vr no 8 of 6/14 glasses of ₹4 850 vide vr no 7 of 11/14 repair of computer of ₹ 3 550 vide vr no 10 of 1/15 and white wash material of ₹21 917 vide vr no 2 of 3/15 were purchased from open market without calling quotation and without consulting approved sources resulting into irregular purchases			
			59 065	repai	ng the year 2014- or of jeep from l shop which is irregi	ocal firm ins	
8	Panchayat Samıtı Dadrı I	4/13 to 3/15	9 100	₹ 7 500 vide vr no nil of 4/14 were paid for Safa Karmchari allowance (but attendance registe not put up during audit) which is not a fit charge on samiti fund Beside this ₹ 1 600 vide vr no 508of 11/13 were spent for purchase of bedsheet rajai etc without calling quotation and without consulting approved sources which was irregular. The responsibility for non adherence for prescribed purchase procedure may be fixed and excess amount if any be recovered from the official at fault.			lance register of a fit charge 30 vide vr no purchase of quotation and ces which was non adherence may be fixed
9	Panchayat Samıtı Tauru	4/13 to 3/15	21 760				

				Vr no	Month	Amount ₹	Par	ticulars	
				3	9/13	4 560	Ladoo fro Misthan B	m Brijwari Shandar	
				4	9/13	11 000	Repair of	computer	
				4	9/13	6 200	Cost of te	ntage	
					Total	21 760			
10	Panchayat Samıtı Mustafabad	4/14 to 3/15	64 820	Payments of ₹ 64 820/ were made from samitifundon account of cost of 350 proceeding books writing of board with materials and advertisement etc were not afit charge on the samitifunds. This may either be recouped out of appropriate sources or regularized with the sanction of Govt from the official at fault.					
			22 000	₹ 22 000 was paid vide vr no 12 of 7/14on account of legal fee to Sh Ran Singh Chauhan Advocate of Distt Courts Jagadhari where as the case of the litigation at the Distt Court should have been got pleaded through the legal officer of the Panchayat and Development Board Department Haryana posted at each headquarter As such expenditure made on account of counsel fee at Distt Court may be got regularized with the sanction of competent authority or recovered from the officials at fault					
			3 18 665						
					/n No 9		\max=t	Dortioulors	
				\ \ \ \	/r No & Date	'	Amount ₹	Particulars	
					6 of		4 578	Cost of UPS for Photostat	
			<u></u>		4/14			machine	

				7	22 893	Cost of
				of 5/14		intercom system
				9 of 9/14	15 916	Cost of 3 iron boards
				3 of 11/14	5 800	Cost of racks wooden
				2 of 12/14	31 800	Cost of one new computer
				8/1 12 of 12/14	83 804	Cost of CCTV cameras
				10/1 of 12/14	1 34 564	Cost of aluminum steeldoors
				10/2 of 12/14	16 210	Cost of steel doors
	į			14 of 3/15	1 250	Repair of fan tube sets
				18 of 3/15	1 850	Cost of videography on 22 1 15
				Total	3 18 665	
11	Panchayat Samiti Bilaspur	4/14 to 3/15	31 260	Payments of ₹31 260 we account of advertisement panch Sarpanch and Refreshment for trainmembers 100 ruled regisarpanch election were. This may either be a sources or regularized persons as mentioned wages without the sand panchayat samiti was persons on daily wages such may either be just defaulters or regularized.	nt photostate of paper etc a ning of panesters for ward length out a fit charge recouped out with the sanctic below were enction of competent out empowers. Thus the payout the the sanctic with the sanctic length or made length out empowers.	of by election of arrangement of chayat Samitic pandi of panch on samiti fund of Appropriate on of Govt The gaged on daily ent authonty as the dot of the Govt the good from the on of the Govt
			2 40 400	The persons as mention daily wages without		

•

â

.

				engage made as	person on s such ma defaulters	daily wag y either be or regulai	was not empo ges Thus the e justified or ma nzed with the sa	payment ade good
				!	Year	Amount	Desig nation	
			1		2014-15	1 30 000	Driver Accou ntant	
					2014-15	1 10 400		
			2 601	Light madelectrical of purch Rs 7 36 The sai	aın bazaar I materials iases bill v 9 resulted	Bilaspur o vide vr no vorked out into exces se recove	Goel Electrical n account of pur 36 of 8/14 But t to Rs 4768 in ss payment of R red from the M	rchase of the total astead of ts 2 601
			2 96 307	chairs 0 8/14 & ₹ ₹ 37 75 38 000 system Transfoi no 81of nil of 3/ quotatio manufac purchas the bill prescrib	carpets so 190 971 vio 3 vide vr vide vr ₹17 400 vi mer batte 2/15 for je 15 for rent in instead cture The ied was ne ithe resp ied purcha	ofa etc ₹ le vr no 61 no 37 of no 39 de vr no 6 ery tubula ep battery of tentag of approv quality and either specionsibility use procee	14 were paid for 5513 vide vr in 16514 for water of 9/14 for 160 of 2/15 for Ultimeter of 2/15 for collecting for non adhered une may be for covered from the state of 2/15 for non adhered of 2/15 for non a	no nil of notostate cooler ₹ r sound PS micro of vide vr no g on spot supply of f material on nor in ence for fixed and
12	Panchayat Samiti Chhacharauli	4/14 to 3/15	72 955	11/14 v	vere paid ₹ 70 660 v chairs etc	to Sh Ra ide vrino	4 ₹ 665 videvr aj Kumar C A 22/1-4 of 3/15 f onstitute a valid o	for office for rent of
			2 010	tray m	nat cup : getting ve ame be :	glass tub	rere made on pue rod fan regu the BDPO Ched from the o	ilator etc hachrauli
13	Panchayat Samıtı Badhra	4/13 to 3/15	8 100	Karmch which i	ian on act surregular	count of v The same	Ratni Devi part wages out of si e may either be julanzed with s	amiti fund

			43 995	₹ 3 695 vide vr no 2 of 5/13 were paid for inverter battery ₹ 29 600 vide vr no 12 of 8/14 for cost of MRF tyres and ₹10 700 vide vr no 15 of 9/14 were spentfor cost of toner cartridge without calling quotation which is irregular. The responsibility for non adherence for prescribed purchase procedure may be fixed and excess amount if any recouped from the official at fault.
14	Panchayat Samiti Kanina	4/09 to 3/15	48 218	₹48 218 were paid for repair of photostat machine and computer out of samiti fund but these payments were not a fit charge on the samiti fund. This may be recouped out of Govt. contingency
15	Panchayat Samıtı Gharaunda	4/13 to 3/15	9 021	Payment of Electricity bill amounting to ₹ 9 021 of office canteen for the period 29/12/14 to 28/2/15 was made from Panchayat samiti fund which was irregular the same may be recovered from the office canteen owner or official at fault
16	Panchayat Samıtı Dadn II	4/13 to 3/15	14 414	Payments of ₹ 6 080 vide vr no nil of 6/13 were made to Sh Sham Lal Safai Karmchari of the month of 4/13 to 5/13 and ₹8 334 vide vr no 98 of 1/15 paid for cost of cement cresher & sand to Sh Shamsher tiles Charkhi Dadri from samiti fund which is irregular and not a fit charge on the samiti funds This may either bere couped out of appropriate sourcesor regularized with the sanction of Govt
17	Panchayat Samiti Saha	4/14 to 3/15	6 008	₹1 440 vide vr no 41 of 7/14 were paid for sanitary items ₹1 410 vide vr no 65 of 8/14 for repair of fan and electrical wires ₹ 948 vide vr no 82 of 11/14 for purchase of crockery and ₹2 210 vide vr no 96 of 2/15 spent for purchase of stationary without calling quotation instead of approved source of supply or rate contract firm The responsibility for non adherence for prescribed purchase procedure maybe fixed and excess amount if any recouped from the official at fault
18	Panchayat Samiti Sonipat	4/11 to 3/15	1 251	The following expenditure were made in excess The same may be recovered from the official at fault

				Vr No and month	Amount due	Amount Pald ₹	Excess Paid ₹
				7 of 7/14	1 624	2 675	1 051
				27 of 3/13	3 000	3 200	200
				Expenditure of ₹ 3 7 bedsheet stationary toner doors tent mailing out of samition samition appropriate source of	y & refilling atenals labo fund which he same e	toner printe ourers pipe is did not a either be r	er cartridge printer & fibre sheets and constituted charge ecouped out from
19.	Panchayat Samiti Rai	4/14 to 3/15		Payment of ₹19 162 were made from samiti fund on account of purchase of ready reckoner purchase of halogen heater bed sheet and pillow cover mattress crockery and repair of MCB of EOPS residence were not a fit charge onsamiti fund. This may either be recouped out of appropriate source or got regularized with sanction of Government.			
20	Panchayat Samıtı Ladwa	4/14 to 3/15	3 625	employees to chart	account of account of account	income tax ntant were e recouped	statement of BDPO not a fit charge on out of appropriate
21	Panchayat Samiti Indri	4/14 to 3/15	27 380	of purchase of associate for the i samiti fund and the the proper purchase	two battene ncome tax r e expenditur se procedure	es and for eturn were re were ma e This may	nit fund on account payment to NKG not a fit charge on de without adopting either be recouped ed with sanction of
22	Panchayat Samiti Bapoli	4/13 to 3/15	3 000	the expenditure s calculated as ₹ 2	ide the tota 05 916 inste	l of vouche ad of ₹20	on dated 2/9/14 in ers of was wrongly 8 916 Thus ₹ 3 000 from the official at
			28 066	of salary of DEO darbar purchase f scheme and statio	refreshmen or almirah & nary for D p	t and makii rent of Ger lan were no	nit fund on accounting banner for khulan set for MIS for IAY ta fit charge on the but from appropriate
23	Panchayat Samiti Israna	4/13 to 3/15	15 279	NAREGA labor a paid for printing of	nd ₹ 11 299 of voter list niti fund The	ovide vr no from samiti e same may	r refreshment for b 84 of 1/14 were fund were not a fit by be recouped from

24	Panchayat Samiti Ganaur	4/14 to 3/15	1 14 030	Payment of ₹ 1 14 030 were made from samiti fund on account of labor payment for construction of Rajiv Gandhi Sewa Kendra for MGNREGA purchase of two mattress & four folding cots for EOPS residence and Photostat were not a fit charge on the samiti fund This may either be recouped out of appropriate source or got regularized with sanction of Government
25	Panchayat Samiti Nissing at Chirao	4/14 to 3/15	5 937	₹91 734 were paid to install a R O System in BDPO Office and as per quotation the rate was including vat. But in the bill the vat. @12 5% was extra charged with the basic cost. Hence ₹5 937 were paid in excess in shape of vat The same may be recovered from the firm or official at fault.
			1 21 000	Payment of ₹1 21 000 were made to Sh Jagjit Singh Beniwal Advocate for defending the case related to shop of Panchayat Samiti for 11 cases @ ₹ 11 000 each but the name of advocate did not exist in the penal of advocates which is irregular
			14 000	₹ 14 000 spent for refreshment vide bill no 63 date14/11/14 for Panch/Sarpanch Seminar organized under RGPSA scheme at BDPO office on dated 14/11/14 out of samitifund were not a fit charge on samitifund
		Total	23 10 700	

The Department in its written reply stated as under

Sr No	Reply of the department	Remarks
1	The expenditure has been incurred after obtaining quotations from the local Market Copy of quotations are enclosed Hence Para may be dropped	
2	No repair work of Jeep was done by Roadways workshop in Narwana Hence the work was done from local market Now NOC from PWD and Roadways vide letter No 42 dated 05/08/2021 and 44 dated 05/08/2021(Copy enclosed) has also been obtained Hence Para may be dropped	
3	This amount has been received from election department which has been entered in case book page No 97 (Copy enclosed)	10000/
	No requirement of quotations The fare claimed is as per Haryana Roadways bus fare This bus was recommended by Roadways authorities as buses were not available with HR Hence Para may be dropped	4800/
	The record was not traceable at that time Now the record is available and the photo copy of the bill is enclosed. Hence Para may be dropped.	1004/
4	The expenditure has been incurred after obtaining quotations from the local market (copy enclosed). Hence Para may be dropped	

	The expenditure has been incurred after obtaining quotations from local market. Hence para may be dropped	
5	NOC from HR Jind vide letter No 1121 dated 27 08 2021 has also been obtained. Hence Para may be dropped	
6	The expenditure was incurred as per Director Dev and Panchayat letter No ECA 2 2014/41156-63 dated 31 07 2014 on account of hiring of Roadways buses refreshment of Sarpanch/Punches and flex board for Panchayat Sammelan held in Sonipat Which was necessary to incur Hence para may be dropped	
	The person was engaged for smooth functioning of office work as no regular posts were sanctioned in PS Siwan. Hence sweeper and driver were engaged. The expenditure was made after passing the regulation. Moreover Panchayat Samiti is competent to engage the part time sweeper. Hence para may be dropped.	
7	The purchases were made after obtaining the quotations from the local market. The approved source/ authorized dealers are not in Jind Copy of quotations are enclosed. Hence Para may be dropped.	
	The repair of jeep has been done after obtaining quotations from the local market NOC from HR Jind vide letter No 5426 dated 17 08 2021 has also been obtained Hence Para may be dropped	
8	The record relating to this para has been burnt in Jat Aarakshan Andolan FIR No 0047 dated 21/02/2016 PS Dadin City has been lodged (Copy enclosed) Hence Para may be dropped	
9	The amount has been recouped from Contingency fund vide receipt No 4/25 dated 05/08/2021 Hence Para may be dropped	
10	The amount has been recovered from Gram Panchayats in the shape of Samiti Dues Hence Para may be dropped	
	The case was related to land of Panchayat Samiti which is under trial in District Court and the services of Advocate were urgent. Hence Para may be dropped	
	1 Rs 4578/ was spent on purchase of UPS for computer instead of Photostat Machine which is necessary due to electric fluctuation 2. The office of BDPO is located in two different buildings for smooth functioning of office work the intercom is required 3. Three iron boards were prepared in three different villages and the cost of these boards has been recovered from these GPs. 4. Wooden racks were purchased to keep the office record which were necessary. 5. For smooth functioning of office work the computer was purchased as almost all the work is unlined. 6. Office building is situated outside the city. Hence CCTV cameras were installed due to security reasons. 7. The office of BDPO is in Rajiv Gandhi Seva Sadan. The doors were fitted in this building for security/safety purpose. 8. Steel doors were installed in the Computer Lab which were necessary. 9. Repairs of Fans/Tubes was necessary for which the amount was spent. 10. The amount was spent on the videography of buses deputed for Beti	

	Bachao Beti Padhao Sammelan held at Panipat on 22 01 2015			
11	The expenditure was incurred on the bye election of Panch/Sarpanch on the verbal orders of DC Yamuna Nagar			
	No regular Accountant and Driver was posted during the time of audit. Hence the services of these employees were urgently required for smooth functioning of office work. Hence Para may be dropped.			
	M/s Goel Electrical &Fancy Light main bazaar Bilaspur has been shifted from Bilaspur Present address of this firm is not available			
	The amount was spent on celebration of 26 January 2014 and 2015 functions Purchase of Photostat Machine and UPS for computer Battery for invertor Battery for Jeep which was necessary Hence Para may be dropped			
12	Rs 1630/ were paid on account of arrear of wages to Shri Madan Lal Mali Rs 665/ has been recovered from Shri Raj Kumar CA vide Receipt No 4/73 dated 02/08/2021 and Rs 70660/- were spent on the occasion of 26 January 2014 2015 and 15August 2013 2014 & 2015 on after obtaining quotations from market on the orders of SDM (C) Bilaspur Hence para may be dropped			
	Now bills have been got verified from the BDPO Chhachrauli Hence para may be dropped			
13	The amount has been recouped from contingency fund vide cheque No 296630 dated 12/08/2021 Hence para may be dropped			
	The amount was spent on purchase of Battery for invertor MRF Tyres for Jeep which was necessary for smooth functioning of office work			
14	The computers and photostat machine were used for office work of Panchayat Samiti also and fund were not available in Govt contingency at that time For smooth functioning of office work these instruments were got repaired. Hence para may be dropped.			
15	The amount has been recovered from the Canteen owner vide Receipt No 69/935 dated 25/09/2019 Hence para may be dropped			
16	Notices have been issued to the concerned vide No 5060 dated 18 06 2021 and 5061 dated 18 06 2021			
17	The accountant posted at the time of audit has been expired. Hence para may be dropped			
18	The record pertaining to this Para has been theft for which FIR No 0652 dated 13 012 2016has been lodged in City Police Station Sonipat Hence Para may be dropped (Copy enclosed)			
	The record pertaining to this Para has been theft for which FIR No 0652 dated 13 012 2016has been lodged in City Police Station Sonipat Hence Para may be dropped (Copy enclosed)			
	0652 dated 13 012 2016has been lodged in City Police Station Sonipat Hence Para may be dropped (Copy enclosed) The record pertaining to this Para has been theft for which FIR No 0652 dated 13 012 2016has been lodged in City Police Station			

£

Ready reckoner was purchased for calculation of Pension/ ACP/ Increments Other articles were purchased for rest house of Panchayat Samiti Which is essential Hence para may be dropped		
The amount has been recouped from contingency vide RTGS dated 12/08/2021 Hence para may be dropped 3625/		
The amount has been recouped from Contingency fund vide cheque No 179617 dated 04/08 2021 Hence Para may be dropped	27380/	
The amount alongwith interest has been recovered from the concerned employee on 06 08 2021 which was deposited in to Bank Account Hence Para may be dropped	3000/	
The amount has been recouped from Contingency fund vide cheque No 389507 dated 05/08 2021 Hence Para may be dropped	28066/	
The amount of Rs 3980/ is still recoverable from NAREGA Rs 11299/ were spent on repair of printer for printing of voter list		
The amount is still recoverable from NAREGA		
The amount (5937+297)alongwith interest has been recovered from the concerned firm which was entered in cash book page No 93 Hence Para may be dropped		
The court fee was paid for pending 11 cases of shops in Honble High court. Hence Para may be dropped		
The amount has been recouped from HIRD Nilokhen Hence Para may be dropped		
	Increments Other articles were purchased for rest house of Panchayat Samiti Which is essential. Hence para may be dropped. The amount has been recouped from contingency vide RTGS dated 12/08/2021. Hence para may be dropped. The amount has been recouped from Contingency fund vide cheque. No 179617 dated 04/08 2021. Hence Para may be dropped. The amount alongwith interest has been recovered from the concerned employee on 06 08 2021 which was deposited in to Bank. Account. Hence Para may be dropped. The amount has been recouped from Contingency fund vide cheque. No 389507 dated 05/08 2021. Hence Para may be dropped. The amount of Rs. 3980/ is still recoverable from NAREGA. Rs. 11299/ were spent on repair of printer for printing of voter list. The amount is still recoverable from NAREGA. The amount (5937+297)alongwith interest has been recovered from the concerned firm which was entered in cash book page. No 93. Hence Para may be dropped. The court fee was paid for pending 11 cases of shops in Hon ble High court. Hence. Para may be dropped. The amount has been recouped from HIRD. Nilokhen. Hence. Para.	

The Committee has desired to keep the para pending

á

Ī

Appendix-'Zll'

As referred to in Para 3 of Part II(C) of the Annual Audit Report of Local Audit Department Haryana for the year 2015 16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions(PRIs)

Statement showing the position of Arrear and other dues in respect of Zila Parishad

Sr No	Name of Zıla Parıshad	Period of audit	Rent ofshops ₹	Rent of Building ₹	Rent of Khokhas ₹
1	Gurugram	4/14 to 3/15	92 85 292	7 62 759	57 87 549
2	Rohtak	4/14 to 3/15		9 85 713	
	Т	otal	92 85 292	17 48 472	57 87 549
Grand Total			1 68 2	21 313	

The Department in its written reply stated as under

Sr No	Para No	Period of Audit	Name Of Zlia Parishad	Particular of Para		Reply of Department	Remarks
	3	2015 16	arrear and	showing the other dues in id (Appendix	respect of		
			Rent of Shops	Rent of Building	Rent of Khokhas		
1	4/14 to 3/15	Gurugram	9285292/	762759/	5787549/	Rs 23 80 230/ has been recovered as rent of shop and 69 05 062/ is outstanding Rs 58048/ has been recovered as rent of building and Rs 7 04 711/ is outstanding and Rs 3 54 145/ has been recovered as Khokha Rent and 34 33 404/ is outstanding	23 80 230/ 58 048/ 3 54 145/
2	4/14 to 3/15	Rohtak	0	985713/	0	The amount has been recovered by XEN PR Rohtak Para may be dropped	9 85 713/
		Total	9285292/	1748472/	5787549/		37 78 136/
		G Total		16821313/			
		Recovered		3778136/			
 '-		Balance		13043177/			

The Committee has desired to keep the para pending

Appendix-'Z'

As referred to in Para 6 of Part II (C) NON/SHORT RECOVERY & LOSS OF REVENUE of the Annual Audit Report of Local Audit Department Haryana for the year 2015 16 on the accounts of Urban Local Bodies (ULBs) and Panchayati Raj Institutions (PRIs)

27 no of shops were constructed by the Zila Parishad Sonipat in place of old veterinary hospital building in the city out of which only 4 no of shops have been let out and the remaining 23 shops are lying vacant since a long period

Non letting of 23 shops resulted in recurring loss of revenue of Parishad Sonipat fund

The Department in its written reply stated as under

Sr No	Para No	Period of Audit	Name of Zıla Parlshad	Particular of Para	Reply of Department	Remarks
				Non/short recovery and loss of Revenue Zila Parishad Sonipat		
1	6	2015 16	Sonipat	27 No of Shops were constructed by the Zila Panshad in place of old veterinary hospital building in the city out of which on 4 No of shops have been let out and the remaining 23 shops are lying vacant since a long penod Non letting of 23 shops resulted in recurring loss of revenue to Zila Panshad fund	27 shops mentioned in para were not letted out and due to this these shops have been destroy ed Thereafter this condemned shops/land was transferred to M C Sonipat vide letter No 1243-45 Dated 03 02 2016 at the level of Commissioner Rohtak	

The Committee has desired to keep the para pending

Statement showing the outstanding observation/recommendation of the Local Bodies and Panchayati Raj Institutions Committee of the Haryana Vidhan Sabha on which the Government is yet to take final decision -

PART-I

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENANNUAL TECHNICAL INSPECTION REPORT ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS & LOCAL BODIES FOR THE YEAR 2011 2012 TO 2016 2017, AUDITED BY THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), HARYANA

Sr No	Pending Paragraphs	Brief subject
1	4 1 1 (2011-13)	Non realization of rent Rs 42 11 lakhs
2	4 9 (2011-13)	Encroachment of Land
3	4 2 2 4 (2015 16)	Loss of revenue due to inaction
4	4 2 2 6 (2015-16)	Non levy of installation/ license and processing fee on Dish Antenna of Automated Teller Machines (ATMs)
5	4 6 (2015-16)	Excess payment of EPF to man power supplying agencies
6	4 7 (2015-16)	Irregularities relating to Solid Waste Management (SWM)
7	4 1 (2016 17)	Non obtaining of bank guarantee resulted in non recovery

PART-II

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENANNUAL TECHNICAL INSPECTION REPORT ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS & LOCAL BODIES FOR THE YEAR 2017 2018 & 2018 2019, AUDITED BY THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT), HARYANA

Sr No	Pending Paragaraph	Brief subject
8	4121	Non preparation of plans
9	4122	Non establishment of Area Sabha and Ward Committee
10	4 1 3 (Financial Management)	Non adjustment of outstanding advances
	4132	
11	4133	Non availment of exemption from Goods & Services Tax
12	4135	Purchase of store items on quotation basis instead of e tendering
13	4145	Swachh Bharat Mission (Urban)
14	4152	Loss due to change in specifications
15	4161	Unauthonzed installation of mobile/communication towers
16	4162	Non recovery of Property tax including fire tax
17	4163	Non recovery of rent of shops
18	4164	Loss of revenue for trade and commercial activities
19	4165	Non recovery of Municipal Electricity Tax
20	4166	Loss of revenue due to delay in tendering process on outdoor advertisement
21	4167	Non realization of revenue due to dishonored cheques
22	4168	Non realization of fire charges
23	4169	Non recovery of contract amount
24	4171	Encroachment of land
25	4172	Irregular running of marnage palaces/halls
26	4173	Loss due to lack of co ordination between MCG and Police department

27	4174	Shortage of staff
28	4175	Non preparation of Annual Accounts
29	422 (Financial Management) 4221	Delay in release and unauthorized retention and utilization of funds
30	4222	Non utilization of funds
31	4223	Diversion of project funds towards pay and allowances
32	4224	Non maintenance of separate bank account
33	4231	Projects not taken on priority basis
34	4232	Payment of mobilization advance in contravention of NIT conditions
35	4233	irregular allotment of work on single tender
36	4234	Allotment of work without obtaining clearances from departments
37	4235	Capacity building and monitoring
38	424	Conclusions

~ ·

j.

PART III

DEVELOPMENT & PANCHAYATS DEPARTMENTANNUAL AUDIT REPORT OF THE LOCAL AUDIT DEPARTMENT, HARYANA ON THE ACCOUNTS OF URBAN LOCAL BODIES (ULBs) & PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIs) FOR THE YEAR 2015-16 PART II A (GRAM PANCHAYATS), AUDITED BY THE DIRECTOR, LOCAL (AUDIT) DEPARTMENT HARYANA

Sr No	Pending Paragaraph	Brief subject
39	3 (i) of Part II(A) Appendix- I	Misappropriation/likely cases of Embezzlement
40	3 (ii) of Part II(A) Appendix J	Cases of Embezziement Misappropriation
41	3 (iii) of Part II(A) Appendix- K	Cases in which income realized by Gram Panchayat
42	3 (iv) of Part II(A) Appendix L	Grant in Aid/Land Tax/Lease Money/Wine share and interest etc
43	3 (v) of Part II(A) Appendix M	Cases of suspected embezzlements/Misappropriations/Fraudulent payments
44	4 of Part II(A) Appendix N	Relates of irregular expenditure incurred in the excess of prescribed limit
45	4 of Part II(A) Appendix O	Relates to the cases of Fee paid to the Counsellors in excess of prescribed limit
46	4 of Part II(A) Appendix P	Relates to the cases of Non Deduction of Sale Tax Income tax from the building material suppliers
47	4 of Part II(A) Appendix Q	Relates to the cases of Purchase of RCC Pipes from open market
48	4 of Part II(A) Appendix R	Relates to the Statement showing outstanding Amount of Lease Money of Shamlat Land etc

PART IV

DEVELOPMENT & PANCHAYATS DEPARTMENTANNUAL AUDIT REPORT OF THE LOCAL AUDIT DEPARTMENT, HARYANA ON THE ACCOUNTS OF URBAN LOCAL BODIES (ULBs) & PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS (PRIs) FOR THE YEAR 2015 16 PART- II B (PANCHAYAT SAMITI) AND PART II C (ZILA PARISHAD), AUDITED BY THE DIRECTOR, LOCAL (AUDIT) DEPARTMENT HARYANA

Sr No	Pending Paragraphs	Brief subject
49	3 of Part II (B) Appendix U	Temporary Advances outstanding in case of Panchayat Samitis
50	4 of Part II (B) Appendix- V	Arrear and other dues of Panchayat Samitis
51	6(ıı) of Part II (B) Appendix- Y	Irregular Excess and Avoidable Expenditure in case of Panchayat Samitis
52	3 of Part II (C) Appendix- Z II	Arrear and other dues of Zıla Parıshad
53	6 of Part II (C) Appendix- Z	Non/Short recovery & Loss of revenue of Zıla Parıshad Sonıpat